

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2022—पौष 17, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 5-22-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4210 (दो-1-8/2019), दिनांक 11 नवम्बर 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 25 से 26 अक्टूबर 2021 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. 1553-1369-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4212 (दो-1-46/2002), दिनांक 11 नवम्बर 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 2 सितम्बर 2021 का दिनांक 20 सितम्बर 2021, दिनांक 21 सितम्बर 2021 का, दिनांक 29 सितम्बर 2021 का, दिनांक 30 सितम्बर 2021 का एवं 4 अक्टूबर 2021 का कुल छः दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 1(ए)12-2021-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2021 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री अतुल सिंह, भापुसे. तत्का. पुलिस अधीक्षक, जिला-सागर वर्तमान में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 02 से 10 अक्टूबर 2021 तक, नौ दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

2. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र.-एफ 1(ए)158-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे. अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, पु. मु., भोपाल को दिनांक 26 अप्रैल से 18 जून 2021 तक, चौवन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 108 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा. भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा. भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

क्र.-एफ 1(ए)58-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री हितेश चौधरी, भापुसे-2013 पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्ड वर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 30 दिसम्बर 2021 तक, पंद्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ दमन और दीव की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. श्री हितेश चौधरी, | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती अंजुलता चौधरी, | — | पत्नी |
| 3. श्री नील चौधरी, | — | पुत्र |
| 4. श्री कैलाश चौधरी, | — | पिता |

(2) श्री हितेश चौधरी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती प्रतिमा एस. मैथ्यू अति. पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हितेश चौधरी भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री हितेश चौधरी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री हितेश चौधरी भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसीप्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हितेश चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)58-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2021 द्वारा डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल मध्यप्रदेश, भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)-2020 EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अकेले अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह, सिकरवार, भापुसे, द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त सुविधा का लाभ न ले पाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ 1(ए)167-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 03 से 22 नवम्बर 2021 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-21 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, सचिव, गृह(पी) विभाग, मंत्रालय द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 16-63-2021-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश गेल (इंडिया) विजयपुर, जिला-गुना को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4987 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 04 दिसम्बर 2021 से 03 फरवरी 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1)की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

उक्त आदेश को “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित किया जाये.

क्र. 2066-792-2021-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला-गुना

को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4462 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 16 दिसम्बर 2021 से 15 जून 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1)की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

उक्त आदेश को “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 4(1)(bb)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री पुष्पेन्द्रनाथ द्विवेदी, एडवोकेट निवासी उमरिया को जिला उमरिया एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया हेतु जिला मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 3-3-2015-इकतालीस-2.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा जारी “मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कंपनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश 2019” की कंडिका 12(क) (सात) में निम्नानुसार प्रावधान है:—

“नगरीय क्षेत्र में भूमि की कमी तथा स्कूलों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं

के परिसरों/शासकीय चिकित्सालयों/सार्वजनिक उद्यानों/खेल मैदानों में अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी.”

2. राज्य शासन एतद्वारा “मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/ इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कंपनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश-2019” की उक्त कंडिका 12 (क) (सात) को विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 07-42-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री जयपाल चावड़ा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर नियुक्त किया जाता है।

क्र. 1580-1296-2021-अठारह-6.—मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्र. 3 सन् 1972) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री आशुतोष तिवारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के पद पर नियुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021
सूचना

क्र. एफ-3-121-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-4160-टी सी-24-देवास-उपा./नग्रानि-2021-उपा-नग्रानि, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	देवास जूनियर	110/2 में से	4500.00 वर्गमीटर	आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक वाणिज्यिक तथा मार्ग (कलेक्टर परिसर)	वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना)
2	देवास जूनियर	415/2 में से	413.87 वर्गमीटर	आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा मार्ग (सिविल लाईन रोड)	वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना)
3	देवास जूनियर	440/1/2 में से	4546.13 वर्गमीटर	आवासीय एवं मार्ग (सिविल लाईन रोड)	वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना)
योग . . .			9460.00		

उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ-3-90-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपठित धारा 23 (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित होशंगाबाद विकास योजना, 2035 (प्रारूप) के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण भी किया जा सकेगा:—

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227, वी. बी. 2, द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल.
2. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
3. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, होशंगाबाद.
5. उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, 1/39, गिन्नी कम्पाउण्ड, मिनाक्षी चौराहा के पास, होशंगाबाद.

अनुसूची

II. होशंगाबाद विकास योजना 2035 (प्रारूप) के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र (क्रमांक 4.2) में प्रस्तावित उपांतरण

सरल क्रमांक (1)	ग्राम (2)	स्थल (3)	प्रस्तावित विकास योजना में उपयोग (4)	प्रस्तावित भूमि उपयोग (5)
1	रायपुर	होशंगाबाद से पिपरिया मार्ग के उत्तर की ओर वर्तमान निर्मित नहर से वर्तमान निर्मित बायपास मार्ग क्रमांक 1 तक.	आमोद-प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र, यातायात नगर एवं मार्ग.	सम्मुख मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के दो-गुना गहराई तक मिश्रित उपयोग शेष उपयोग एवं मार्ग यथावत.
2	रायपुर	प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े बायपास मार्ग क्रमांक-2 के पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर पिपरिया मार्ग तक.	आमोद-प्रमोद के अंतर्गत यातायात नगर एवं मार्ग.	सम्मुख मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के दो-गुना गहराई तक मिश्रित उपयोग, कृषि एवं मार्ग.
3	फेफरताल	ग्राम फेफरताल के खसरा क्रमांक 456 लगकर उत्तर में: प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक पश्चिम में: प्रस्तावित वाणिज्यिक तथा दक्षिण एवं पूर्व में: प्रस्तावित 24.00 मीटर मार्ग के मध्य में स्थित भूमि आमोद-प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र.	आमोद प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र.	प्रस्तावित आवासीय.

II. होशंगाबाद विकास योजना 2035 (प्रारूप) पुस्तिका में उपांतरण संबंधी प्रस्ताव

1. अध्याय-3 की सारणी 3-सा-2 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के सरल क्रमांक 34 के पश्चात निम्नानुसार नवीन क्रमांक 35 अतः स्थापित किया जाना प्रस्तावित:—

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
35	निर्मल होम्स से आदमगढ़ अंडर पास तक	8.00	12.00

2. अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035

अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की सारणी क्रमांक 4-सा-1 प्रस्तावित भूमि उपयोग, 2035 के स्थान पर निम्नानुसार सारणी प्रतिस्थापित की जाना प्रस्तावित है।

सारणी 4-सा-1 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

क्र	भूमि उपयोग वर्गीकरण	प्रस्तावित क्षेत्र 2031 (हेक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र 2019 (हे. में)			उच्चावचन/निम्नावन (+)/(-)	प्रस्तावित क्षेत्र 2035 (हेक्टेयर में)		
			क्षेत्रफल	प्रतिशत	उपयोगिता दर		क्षेत्रफल	प्रतिशत	उपयोगिता दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	आवासीय	1973.62	685.81	41.76	4.03	1287.81	2003.04	48.03	8.01
2	मिश्रित	-	36.58	2.23	0.22	-	142.50	3.42	0.57
3	वाणिज्यिक	148.09	27.21	1.66	0.16	128.88	148.09	3.55	0.59
4	औद्योगिक	162.70	120.49	7.34	0.71	42.21	165.52	3.97	0.66
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	286.31	230.69	14.05	1.36	55.62	298.89	7.17	1.20
6	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं.	14.36	9.72	0.59	0.06	4.64	22.55	0.54	0.09
7	आमोद-प्रमोद	706.67	214.18	13.04	1.26	492.49	854.58	20.49	3.42
8	यातायात एवं परिवहन	419.09	317.45	19.33	1.87	101.64	535.09	12.83	2.14
योग . .		3710.84	1642.40	100.00	9.66	-	4170.26	100.00	16.68

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.1 की पहली पंक्ति में 1983.39 के स्थान पर 2003.04 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.1 की तीसरी पंक्ति में 47.40 के स्थान पर 48.03 एवं 7.93 के स्थान पर 8.012 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.2 की तीसरी पंक्ति में 36.63 के स्थान पर 36.58 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.2 की पांचवी पंक्ति में 134.10 के स्थान पर 142.50 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.2 की छठवी पंक्ति में 3.20 के स्थान पर 3.42 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.3 की पहली पंक्ति में 26.98 के स्थान पर 27.21 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.4 की पांचवी पंक्ति में 3.96 के स्थान पर 3.97 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.5 की चौथी पंक्ति में 7.14 के स्थान पर 7.17 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.7 की तीसरी पंक्ति में 879.00 के स्थान पर 854.58 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.7 की सातवीं पंक्ति में 879.00 के स्थान पर 854.58 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.7 की आठवीं पंक्ति में 21.02 के स्थान पर 20.49 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3. अध्याय-5 विकास नियमन की कंडिका 5.22 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां की सारणी के नोट क्रमांक 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना एवं तत्पश्चात बिन्दु 6 अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:—

6. कृषि भूमि उपयोग में विकसित राजस्व ग्रामीण आबादी से 250 मीटर परिधि में ग्रामीण-विकास संबंधी गतिविधि, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा सुविधायें, साप्ताहिक बाजार, खाद, संग्रहण केन्द्र, शासकीय अर्द्ध शासकीय/पंजीकृत संस्था द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थान, गौशाला स्वयं के उपयोग हेतु आवास स्वीकार्य होंगे.
7. यातायात नगर/मैकनिक नगर/लाजिस्टिक हब, बस स्थानक:—इस उपयोग हेतु आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि के अंतर्गत स्थल का चयन किया जा सकेगा, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी, ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशाप, स्पेयर पार्ट्स एवं सुधार दुकान, रात्रि विश्राम गृह, बोर्डिंग/लॉजिंग, बैंक, बैंक एटीएम, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट बुकिंग आफिस, लॉजिस्टिक गतिविधियाँ, वेयर हाऊस एवं अनुशांगिक गतिविधियाँ.

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये जा सकते हैं. ऐसी आपत्तियाँ/सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

सूचना

क्र. एफ-3-104-2021-अठारह-5.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, द्वारा प्रस्तुत ग्वालियर-मुरैना विशेष क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2035 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरण का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण भी किया जा सकेगा:—

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227, वी. बी. 2 द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल.
2. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना
3. कलेक्टर, जिला मुरैना
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, मुरैना
5. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भिण्ड.

उपांतरण का विवरण

क्रमांक	तहसील एवं जिला	गांव का नाम एवं सर्वे क्रमांक	प्रारूप योजना 2035 प्रस्तावित भूमि उपयोग	धारा 19 (2) में प्रस्तावित उपांतरण के पश्चात भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुरैना	ग्राम छौंदा के सर्वे क्रमांक— 795, 796, 797, 798, 799, 800, 810, 811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 854, 861, 862, 816/1268, 860/2 ग्राम भौन्देरी के सर्वे क्रमांक— 438, 439, 454, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 496, 497, 498, 499.	मेला मैदान के लिये प्रस्तावित हरित क्षेत्र.	बायपास से 120 मीटर तक मिश्रित उपयोग तथा शेष भाग प्रस्तावित आवासीय उपयोग.

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ऐसी आपत्तियां/सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-11-13-2021-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1964 की धारा 3 एवं 16 द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	अशोक नगर	मुंगावली	मुंगावली	मल्हारगढ़ किला मल्हारगढ़	ग्राम मल्हारगढ़ मुंगावली, जिला अशोकनगर	1863.240 1872.769 1831.568 1840.021 1850.010	शासकीय	नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना पाण्डेय, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

खण्ड-2 चतुर्थ तल, पर्यावास भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2022

क्र. 438-मविविनि-स्था.-2022.—मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 8-1/2021/पचास-1, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 के तारतम्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आज दिनांक 3 जनवरी 2022 को मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

अमिता चपरा, अध्यक्ष.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

क्र. 650-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—बड़खरा 740
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—बड़खरा
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.188 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	636/1/1	0.188	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	636/1/2			
निजी भूमि का योग . .		0.188		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 652-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:-

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुरनैकिन
 (ग) ग्राम—झलवार
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—झलवार
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.231 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	195	0.015	उपमुख्य अभियंता (निर्माण),	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
2	211	0.001	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	निर्माण हेतु.
3	218	0.004		
4	300/1/1	0.096		
5	300/2	0.004		
6	300/3	0.004		
7	300/4	0.004		
8	300/5	0.004		
9	300/6	0.004		
10	300/7	0.004		
11	300/8	0.004		
12	300/9	0.004		
13	300/10	0.004		
14	300/11	0.004		
15	300/12	0.004		
16	300/13	0.004		
17	300/14	0.004		
18	300/15	0.004		
19	300/16	0.004		
20	300/17	0.004		
21	313	0.017		
22	321	0.002		
23	454	0.006		
24	527/1	0.006		
25	637	0.02		
	निजी भूमि का योग . .	0.231		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 654-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुरनैकिन
- (ग) ग्राम—पड़खुरी पवाई
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—पड़खुरी नम्बर 02
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.061 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1285/1	0.001	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	1285/2			
3	1292/1			
4	1293/1			
5	1293/2			
6	1313/1			
7	1313/2			
8	1317/2			
9	1364			
10	1409/2			
11	1414/1			
12	1414/2/2			
13	1417/1			
14	1453			

निजी भूमि का योग . . . 0.061

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 656-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—भेलकी पवाई 821
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—भेलकी
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.582 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	19	0.015	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	20	0.056		
3	21	0.05		
4	23	0.003		
5	25	0.002		
6	26	0.13		
7	27	0.02		
8	28	0.052		
9	29/1/1	0.014		
10	29/1/2			
11	29/1/3			
12	29/1/4			
13	29/1/5			
14	29/1/6			
15	29/1/7			
16	29/1/8			
17	29/1/9			
18	29/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	30	0.096	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
20	32	0.042	पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
21	33	0.012		
निजी भूमि का योग . .		0.582		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 658-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुरनैकिन
- (ग) ग्राम—गोड़हाटोला
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—बघवार
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.252 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	137/1	0.252	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

निजी भूमि का योग . . 0.252

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 दिसम्बर 2021

क्र. 306-भू-अर्जन-प्रकाशन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम की अधिकांश भूमि का अर्जन इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	अमझोरी कोलहाई	28.211	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोद.	बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 308-प्रशा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	भदावल	0.500	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प्र. क्र. 310-प्रशा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	जोरोट	0.500	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प्र. क्र. 312-प्रशा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पहुआ	0.500	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	पी. एच. 2 पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 21 दिसम्बर 2021

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

क्र. 6737-भू-अर्जन-2021-22.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ “मण्डलावदा रोकबांध सह पुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण” के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम कुमारिया तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.505 हैक्टेयर भूमि

अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.505 हेक्टेयर भूमि है, जो ग्राम कुमारिया तहसील देवास में है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे. में.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं उ. द. पू. प. (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	525	निजी भूमि	सिंचित	0.021	कुंताबाई वि. उमरावसिंह जाति खाती	
2.	533/1	निजी भूमि	सिंचित	0.011	कमल पिता घनश्याम नि. डकाच्या	
3.	533/2	निजी भूमि	सिंचित	0.002	राहुल पिता घनश्याम नि. डकाच्या	
4.	534	निजी भूमि	सिंचित	0.012	मनीष पिता संतोष, गोपाल, भारत, पिता राधेश्याम जाति खाती नि. ग्राम कुमारिया	
5.	535/1/1	निजी भूमि	सिंचित	0.003	राधेश्याम पिता नारायण जाति खाती नि. कुमारिया	
6.	535/1/2	निजी भूमि	सिंचित	0.002	मदनलाल पिता नारायण जाति खाती नि. कुमारिया	
7.	535/1/3	निजी भूमि	सिंचित	0.002	घनश्याम पिता नारायण जाति खाती नि. कुमारिया	
8.	535/1/4	निजी भूमि	सिंचित	0.003	रामगोपाल, भारत, कलाबाई पिता राधेश्याम, शांताबाई विधवा राधेश्याम जाति खाती.	
9.	548/1	निजी भूमि	सिंचित	0.011	कमल पिता घनश्याम जाति खाती नि. कुमारिया	
10.	548/2	निजी भूमि	सिंचित	0.012	चतुर्भुज पिता हजारीलाल जाति खाती नि. कुमारिया	
11.	548/3	निजी भूमि	सिंचित	0.013	मानसिंह पिता हजारीलाल जाति खाती नि. कुमारिया	
12.	549	निजी भूमि	सिंचित	0.020	घनश्याम, अर्जुन पिता बाबूलाल, सोदराबाई विधवा बाबूलाल, जाति खाती नि. कुमारिया.	
13.	550	निजी भूमि	सिंचित	0.021	सुभाष, मोहनलाल पिता मोतीराम, आनंदीबाई विधवा मोतीराम, जाति खाती नि. कुमारिया.	
14.	554/1	निजी भूमि	सिंचित	0.030	नीरज पिता विक्रम जाति खाती नि. डकाच्या	
15.	554/2	निजी भूमि	सिंचित	0.010	नेहा पटेल पिता विक्रम पटेल जाति खाती	
			कुल योग	0.173		

किसम निरंक	वृक्ष संख्या निरंक	संरचना	
		प्रकार	कुर्सी एरिया
		—	—

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है. भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 15 है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

ग्राम कुमारिया तहसील देवास जिला देवास क्षेत्र 0.173 (हेक्टेयर में).

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं.

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 27 सितम्बर 2021

भू-अर्जन प्र. क्र. 15-अ-82-20-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खंडवा
 (ख) तहसील—पुनासा
 (ग) ग्राम—बंजारी
 (घ) अर्जित रकबा—0.30 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
70/2	0.30
	योग . . . <u>0.30</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जल स्तर से ग्राम बंजारी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र-क्यू-20-21-भू-अर्जन-2021

विदिशा दिनांक 09 दिसम्बर 2021

अन्तर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील-गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम खरथरी के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- खरथरी

तहसील-गंजबासौदा

जिला -विदिशा

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	कुल अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	पूरुभ पुत्र भाथूलाल जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय भू-राजस्व 5.00	56/2	1.073	0.450
2	भूपतसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है। भू-राजस्व 7.44	57	1.464	0.100
3	कमलाबाई उर्मिलाबाई पुत्रियां गुलाबसिंह शीलाबाई बेवा गुलाबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.44	58	1.464	0.290
4	भूपतसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है। भू-राजस्व 0.75	59/1	0.529	0.030
5	भूपतसिंह अजयसिंह विजयसिंह पुत्र खूबरिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000/4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंह भगतसिंह पुत्र गणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000/4000 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.75	59/2	1.000	0.090
6	तोरनसिंह रघुनाथसिंह राजेन्द्रसिंह वीरेंद्रसिंह पुत्र गणगुमानसिंह कृष्णाबाई पुत्री इमरतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 20.77	60/1	3.185	0.530
7	मुकेशसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है भू-राजस्व 4.50	61/1/1	0.591	0.050
8	भगतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति रघुवंशी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.50	61/1/2	0.591	0.050

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	कुल अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
9	भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000/4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000/4000 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.55	61/2	1.000	0.110
10	अजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.10	61/3	1.994	0.135
11	भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000/4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000/4000 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 59/2	61/4	1.000	0.060
12	शिवराजसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.28	61/5	0.103	0.005
13	रूपसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अअअयह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है भू-राजस्व 0.50	95/3	0.042	0.042
14	पहलादसिंहदेवेन्द्रपुत्रनवलसिंहसंदीपपुत्रईश्वरसिंह सचिनसिंह पुत्र कैलाशसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 23.00	97/1	0.273	0.130
15	भानुप्रतापसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 19.00	97/2	4.065	1.000
16	भानुप्रतापसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 97/2	98	5.258	0.300
17	सुदामाबाई पुत्र बट्टीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.51	166/1	0.154	0.010
18	बबलू पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.51	166/2	0.155	0.030
19	मथरा प्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंज में बंधक है भू-राजस्व 0.51	166/3	0.154	0.010
20	दवारकाप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.51	166/4	0.154	0.025
21	सुदामाबाई पुत्र बट्टीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.04	178/1	0.126	0.090
22	मोहनलाल पुत्र गनेशराम जाति रैकवार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.08	179/1/1	0.327	0.040

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.में)	कुल अर्जित रकवा (हे.में)
1	2	3	4	5
23	गीताबाई पत्नी चिरोंजीलाल जाति रैकवार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.62	179/3	0.491	0.020
24	बद्रीप्रसाद पुत्र किरसूलाल जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00	212/1/1	0.865	0.120
25	नीलेश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00	212/1/2	0.865	0.090
26	संजीव पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00	212/2/1	1.000	0.130
27	बबलू पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00	212/2/2	0.213	0.020
28	मथराप्रसाद पुत्र किरसूलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंज में बंधक है	212/3	1.750	0.530
29	द्वारकाप्रसाद पुत्र किरसूलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	212/4	1.212	0.170
30	प्रकाश पुत्र लालाराम जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 189/1	211/2/4	0.545	0.030
31	प्रहलादसिंहपुत्रबाबूलालगिरजाबाई बेवा बाबूलाल जाति रघुवंशी पता खरथरी बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	214/2	0.460	0.040
32	लालाराम पुत्र लुखु जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंजबासोदा में बंधक है भू-राजस्व 2.90	216	1.453	0.260
33	रईसखॉ पुत्र कालेखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	217/1	0.724	0.250
34	रईसखॉ पुत्र कालेखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 217/1	217/2	0.724	0.310
35	श्रीमतीसुनीता पत्नी विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	217/3	0.724	0.440
36	श्रीमतीसुनीता पत्नी विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	217/4	0.724	0.700
37	आसिफखाशाहरुखखाफारुखखाअजहरखा मजहरखा पुत्र आजादखा जाति मुस्लिम पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.50	206/1/1	1.913	0.600
38	श्रीमतीसुनीता पत्नी विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.50	206/1/2	1.914	0.670

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.में)	कुल अर्जित रकवा (हे.में)
1	2	3	4	5
39	ममतामनीषावारानीनावापुत्रीयाखुशालसिंहसरपरस्त मा कृष्णाबाईवेवाखुशालसिंहदेवेन्द्ररनजीतसुरजीत पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82	206/2	1.035	0.100
40	कमलसिंह पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 82/2	205/2	1.192	0.130
41	ममतामनीषावारानीनावापुत्रीयाखुशालसिंहसरपरस्त मा कृष्णाबाईवेवाखुशालसिंहदेवेन्द्ररनजीतसुरजीत पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82/1	204/1	0.690	0.280
42	कमलसिंह पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82/2	204/2	1.683	0.150
43	बाबूलाल पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.44	203	2.456	0.010
44	देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता बैंक ऑफ इंडिया शाखा बासौदा में बंधक है भू-राजस्व 8.21	198/1	2.902	0.260
45	कल्लूउर्फकन्हैयालाल पुत्र बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.59	218/1	0.048	0.048
46	लल्लू पुत्र बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.59	218/2	0.049	0.049
47	राजाराम पुत्र अजबसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58	218/3	0.049	0.049
48	अजबसिंह नाबा पुत्र बलवंतसिंहसरपरस्तभाईकल्लू जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58	218/4	0.049	0.049
49	गुलाबबाई बेवा बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58	218/5	0.049	0.049
50	राजबाई बेवा बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58	218/6	0.049	0.049
51	केशवसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू रा.शा 43	62/1/2/1	1.019	0.080
52	शिवराजसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू रा.शा 38	62/1/2/2	0.917	0.010
53	सुदामाबाई पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.राजस्व 0.63	167/1	0.245	0.010
	योग		52.711	9.280

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोटा बैराज परियोजना तहसील-कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम पीकलोन के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

कोटा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-पीकलोन

जिला -विदिशा

तहसील-कुरवाई

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.में)	कुल अर्जित रकवा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	मेहराजखां पुत्र तुरावखां पता नि.ग्राम वीलाडाना 0.511/5.457 भाग भूमि स्वामी शाकिरखां पुत्र सरदारखांभाग 0.316/5.457 नि. ग्राम बकवारा रहीसउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद भूमि स्वामी दभाग 0.317/5.457 नि. ग्राम देवली जाकिरखां नावा पुत्र वशीरखां भूमि स्वामी सरफराजखां नावा. पुत्र साविरखां सर.वशीरखां पुत्र सरदारखां पता नि.ग्राम बकवारा भूमि स्वामी सलामउद्दीन,निजामुद्दीनपुत्र नूरमोहम्मद भाग 3.801/5.457 समान पता नि.ग्राम देवली भूमि स्वामी नूर मोहम्मद पुत्र मोती खां 0.512/5.457 जाति मुसलमान नि. ग्राम भूमि स्वामी	1413/2/1	5.457	4.105
2	शरीफखां पुत्र चुन्नुखां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम गुदावल कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 30.00	1423/1	5.743	4.343
3	चित्तरसिंह पुत्र सोमतसिंह भाग 0.108/0.839 इस्लामउद्दीन पुत्र नूरउद्दीन भाग 0.558/0.839 गोपीबाई बेवा सोमतसिंह 0.146/0.839 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई भाग 0.027/0.839 पुत्रियां सोमतसिंह जाति दांगी नि ग्राम भूमिस्वामी	1423/2/3	0.839	0.839
4	रामवतीबाई रामाबाई 146/3470 पुत्रीया सोमतसिंह भूमि स्वामी श्रीबाई पत्नि सोमतसिंहभाग 244/3470 महाराजसिंह पुत्र बुदसिंह भाग 0244/3470 भूमि स्वामी जयसिंह पुत्र नत्थूसिंहभाग 0136/3470 ओमकारसिंह पुत्र नत्थूसिंह भाग 136/3470 भूमि स्वामी सीताराम पुत्र उधमसिंह भाग 136/3470 जाति दांगी भूमि स्वामी नारायणसिंह पुत्र सरदारसिंह भाग 136/3470 भीकमसिंह पुत्र दलीपसिंहभाग 136/3470 भूमि स्वामी घासीराम पुत्र गोरेलाल भाग 136/3470 रामबाई बेवा हल्कूसिंह सुशीलाबाई पुत्री हल्कूसिंह 406/3470 संभाग भूमि स्वामी राजरानीबाई बेवा नत्थूसिंह कुन्दनलाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद कालूराम पुत्र चिरौजीलाल जमनाप्रसाद पुत्र गुलाबचंद जाति कायस्थ पता नि. ग्राम भाग 406/3470 अतिरिक्त पुत्र रकवा पता पीकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी भाग 1208/3470	1423/2/2	1.035	0.209
5	मुस्ताक खां असफाक खां जाविद खां पुत्रगण तुराव खां जाति मुसलमान नि वीलाडाना(पाही)	1423/2/1	2.216	1.973

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.में)	कुल अर्जित रकवा (हे.में)
1	2	3	4	5
6	सलीमउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी निजामुद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1420/1/1/2	1421/1/1/1	0.154	0.154
7	मिठ्ठूसिंह पुत्र खिलानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	1421/1/2/1	0.390	0.390
8	रहीशउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता देवली पाही कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	1421/1/2/2	0.391	0.391
9	आशाबाई पति जितेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व भूमि स्वामी 5.00	1421/2	1.082	1.082
10	सुरेन्द्रसिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वीरेन्द्रसिंह	1420/1/1/1	0.927	0.860
11	सलीमउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी निजामुद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 4.00	1420/1/1/2	0.773	0.260
12	मिठ्ठूसिंह पुत्र खिलानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 15.75	1420/1/2/1	0.538	0.458
13	रहीसउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता देवली पाही कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 15.75	1420/1/2/2	0.534	0.534
14	प्रेमबाई पति रंजीतसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 8.00	1420/2	0.772	0.652
15	ज्ञानबाई पति शिवराजसिंह जाति दांगी पता पीकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 246	1418/1	1.25	0.120
16	अमरसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पीकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 380	1418/2	0.174	0.064
17	रामसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 294/1	1418/3	4.000	0.260
18	अभिषेक पुत्र अजयसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 5.90	1418/4/1	1.990	0.680
19	विमलाबाई पत्नी अजयसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 5.90	1418/4/2	1.990	0.750
20	अजयसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	1418/4/3	0.420	0.080
21	अमरसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पीकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 280	1414	3.836	2.130
22	रामकुंवरबाई पुत्री नारायण सिंह जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.80	1417/5/2	1.135	0.320

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.मै)	कुल अर्जित रकबा (हे.मै)
1	2	3	4	5
23	अजबसिंह पुत्र बाबूलाल जाति नाई पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1417/2/1	1417/6/1	0.261	0.220
24	राजराम पुत्र बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1404/2	1417/6/2	0.260	0.180
25	काशीराम पुत्र बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोपाल पुत्र बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी नब्बोबाई पुत्री बाबूलाल पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी फूलाबाई पुत्री बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1404/3	1417/6/3	0.260	0.030
26	नारायण सिंह पुत्र प्यारेलाल भाग 1.841 बब्लू नावा.पुत्र नारायण भाग 0.470 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरप्रसाद लीलाबाई पूनाबाई पावतीबाई पुत्र पुत्रियां कालूराम भाग 0.110 समान भाग प्रहलाद नावा पुत्र कालूराम बेनीबाई बेवा कालूराम भाग 0.265 समान भाग जाति बीडर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खिलानसिंह पुत्र दौला भाग 0.512 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बालकिशन पुत्र खुमान भाग 1.359 जाति साहू पर्वतसिंह पुत्र भैयालाल भाग 0.331 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 597/3	1374	0.042	0.042
27	नारायण सिंह पुत्र प्यारा भाग 1.841 बब्लू नावा.पुत्र नारायण भाग 0.470 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरप्रसाद लीलाबाई पूनाबाई पावतीबाई पुत्र पुत्रियां कालूराम भाग 0.110 समान भाग प्रहलाद नावा पुत्र कालूराम बेनीबाई बेवा कालूराम भाग 0.265 समान भाग जाति बीडर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खिलानसिंह पुत्र दौला भाग 0.512 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बालकिशन पुत्र खुमान भाग 1.359 जाति साहू पर्वतसिंह पुत्र भैयालाल भाग 0.331 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 597/3	1375	0.031	0.031
28	अनिलदेव पुत्र श्रीधररावदेव जाति ब्रह्मण पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.05	1377/1	0.899	0.830
29	साधनादेव पत्नी अनिलदेव जाति ब्रह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.95	1377/2	1.158	0.460
30	विष्णुसिंह पुत्र श्रीराम उर्फ मुन्ना सिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूराजस्व 5.70	1377/6	1.672	0.150
31	साधनादेव पति अनिलकुमारदेव जाति ब्रह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.70	1377/8	0.209	0.050
32	नारायण पुत्र प्यारा भाग 1.841 बब्लू नावा.पुत्र नारायण भाग 0.470 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरप्रसाद लीलाबाई पूनाबाई पावतीबाई पुत्र पुत्रियां कालूराम भाग 0.110 समान भाग प्रहलाद नावा. पुत्र कालूराम बेनीबाई बेवा कालूराम भाग 0.265 समान भाग जाति बीडर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खिलानसिंह पुत्र दौला भाग 0.512 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बालकिशन पुत्र खुमान भाग 1.359 जाति साहू पर्वतसिंह पुत्र भैयालाल भाग 0.331 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 597/3	1377/9	4.146	0.060
योग			44.584	22.707

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोटा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोटा बैराज परियोजना तहसील-कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम सिरनोटा के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

कोटा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-सिरनोटा

जिला -विदिशा

तहसील-कुरवाई

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.में)	कुल अर्जित रकवा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	देवल पत्नी गौतम शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 28.76	3/1/1	5.610	0.700
2	श्रष्टी पुत्री गोतम शर्मा जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 28.75	3/1/2	5.609	0.770
3	इंद्रादेवी पत्नी केदारनाथ जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.21	3/1/3	0.627	0.030
4	मनु पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 13.72	3/2/1	2.882	0.240
5	विष्णु पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 12.72	3/2/2	2.883	0.500
6	साधनाबाई बेवा सुरेन्द्रकुमार जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 4.00	3/2/3. 3/3	0.835	0.165
7	गुलशेरखां पुत्र बाजखां जाति मुसलमान पता नि.ग्रा उमरछा 0.051/0.460 भाग भूमि स्वामी ईशाक खाँ अस्फाक खाँ अस्ताक खाँ,शहीद खाँ,सगीर खाँ,पुत्रगण छोटे खाँ, भूमि स्वामी ईशाकखाँ,अस्फाकखाँ,अस्ताक खाँ शहीदखाँ, सगीरखाँ,पुत्रगण छोटेखाँ, जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी हलीमनबी बेवा छोटेखाँ, जाति मुसलमान ,पता नि.ग्रा. उमरछा 0.052/0.460 भाग भूमिस्वामी मिस्तर खां , अजीज खाँ वकील खाँ, पुत्रगण सरदार खाँ जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा भूमि स्वामी मिस्तर खां , अजीज खाँ वकील खाँ, पुत्रगण सरदार खाँ जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा आमनाबी बेबा सरदार खाँ जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा 0.051/0.460 भाग भूमि स्वामी सियानीबाई पत्नी कमरुद्दीन जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा 0.154/0.460 भाग भूमि स्वामी मोती बाई पत्नी जाफरअली जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा 0.153/0.460 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.75	16/248	0.460	0.190

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मे)	कुल अर्जित रकवा (हे.मे)
1	2	3	4	5
8	हरकिशोर पुत्र ईशवरी प्रसाद जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 47.12	20/1	9.437	3.100
9	कस्तुरीबाई पुत्री ईशवरी प्रसाद जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 42.05	20/2	2.926	0.040
10	सुनीताबाई पुत्री कृष्णस्वरूप जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व शामिल बिलमुक्ता 24.00	98/1	2.038	0.060
11	अक्षय कुमार पुत्र रमेशकुमार जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.62	98/3	0.836	0.200
12	धूमनसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति दांगी पता नि. ग्राम सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.10	97/1	0.063	0.010
13	बलराम शेरसिंह पुत्रगण इमरत सिंह चिरौजीबाई वेबा प्यारेलाल धूमनसिंह पुत्र प्यारेलाल मुन्नीबाई बसंती बाई लक्ष्मीबाई पुत्रिया प्यारेलाल भाग 2.734/3.125 देवेन्द्र गजेन्द्र पुत्र भारत सिंह भाग 0.391/3.125 समान भाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.65	97/2	0.554	0.225
14	हुकुमसिंह उर्फ रविशंकर पुत्र चरणसिंह नि. ग्राम दांगी भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.75	97/3	0.616	0.015
15	कल्ला पुत्र नथुबा जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 3.95	115	0.502	0.030
16	कल्ला पुत्र नत्थू जाति चमार पता नि. ग्राम विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00	116/1/1	0.200	0.020
17	गंगाबाई वेबा कल्ला राधे हुकम रतनबाई पुत्र पुत्री कल्ला पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भाग 1796/2693 सुलेमान पुत्र मेहबूब खान जाति मुसलमान भाग 897/2693 पता उमरछा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	126/1, 160/1	1.766	0.930
18	अमर सिंह पुत्र माधोसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी मलखान सिंह पुत्र माधोसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजबाई वेबा माधोसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	126/2, 160/2	1.672	0.050
19	कन्छेदी पुत्र दगला जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.36	167/1	0.097	0.020
20	मीराबाई वेबा फूल्ला जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.70	167/2	0.233	0.023
21	धनीराम पुत्र मुल्ला जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भूमि स्वामी भू.रा.शा. 113/2/2	167/3	0.057	0.057

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मै)	कुल आजत रकवा (हे.मै)
1	2	3	4	5
22	ज्योति शर्मा वेबा संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी संस्कार शर्मा पुत्र संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग अंकिता शर्मा पुत्री संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	22	0.387	0.120
23	ज्योति शर्मा वेबा संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी संस्कार शर्मा पुत्र संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग अंकिता शर्मा पुत्री संजीव शर्मा जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	24	0.888	0.300
24	ब्रजेन्द्र कुमार देवेन्द्र संजीव गोतम व इंद्रादेवी उर्मिला देवी सरोजबाई पम्मीबाई उर्फ मधुलिका बाई पुत्र पुत्रीगण रामस्वरूप उमा बाई वेबा रामस्वरूप भाग 9/10 समान कंता शर्मा वेबा राजेन्द्र कुमार शर्मा तृप्ति श्रद्धा मोनिका पुत्रियां राजेन्द्र कुमार शर्मा भाग 1/10 समान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 7.62	25	1.254	0.265
25	साधना बाई वेबा सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 10.62	14/1/1	2.048	0.492
26	देवेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 8.63	14/1/2	1.777	0.460
27	रामकलीबाई पत्नी उमाशंकर जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.00	15/1	0.872	0.245
28	रामकलीबाई पत्नी उमाशंकर जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 4.92	15/2	0.852	0.555
29	विकाश कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 15.00	6/1	2.372	0.230
30	युवराज नाबा. पुत्र गोरव इंद्रा शर्मा वेबा गोरव सर.मा. स्वयं जाति ब्राह्मण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 15.50	6/2	2.300	0.090
योग			52.653	10.132

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोटा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

उमाशंकर भार्गव,
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन दिनांक 15 दिसम्बर 2021

प्रकरण क्रमांक /0003/ अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

- (1) भूमि का विवरण ।
 (क) जिला रायसेन ।
 (ख) तहसील / तालुका गैरतगंज ।
 (ग) ग्राम हरदौट

- अनुसूची -

- भूमि का विवरण -

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	गैरतगंज	हरदौट	284/1/1	0.219	0.049	परियोजना पश्चात् बंदा परियोजना कि.वा.न्यूनतम इकाई (ओपीआईए-2) क्रमांक-2 राहतगड, जिला-सागर (म.प्र.)	वीना सिवाई परियोजना के अंतर्गत मंडिया बांध से इस प्रभावित है।
			284/2	0.438			
			284/2/1	0.218			
			285	0.543	0.032		
			286	0.462	0.036		
			287	0.676	0.041		
			288	0.704	0.041		
			289	0.589	0.049		
			310	2.432	0.045		
			319	0.344	0.032		
			333/1,337/2, 342,344,345,346	3.230	0.041		
			333/2	2.023			
			333/3, 337/1	2.023			
			334	0.991	0.049		
			799/1/1	0.016	0.009		
			799/1/2	0.525	0.008		
			799/1/3	0.527	0.004		
			799/2	1.064	0.020		
			798/1/1	1.489	0.015		
			798/1/2	0.485	0.009		
798/1/3	0.821	0.045					

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा - 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
			808/1	0.088	0.088		
			808/2	0.058	0.058		
			825/1/1/1	0.231	0.032		
			825/1/1/2	0.101			
			825/1/2/1	0.170			
			825/1/2/2	0.101			
			825/2/1	0.101			
			825/2/2	0.101			
			826/1/1	0.239	0.032		
			826/1/1/2	0.202			
			826/2	0.477			
			826/1/2	0.239			
			828/1/1	0.531	0.035		
			828/1/2	0.190	0.034		
			848	0.202	0.032		
			850	1.153	0.121		
			858/1	0.413	0.012		
			858/2	0.513	0.024		
			859	1.330	0.032		
			946/1	0.498	0.041		
			946/2	0.437			
			946/3	0.437			
			946/4	0.579			
			947/1	0.271	0.010		
			947/2	0.272	0.010		
			957/1	0.405	0.032		
			957/2	0.784	0.041		
			958/1	0.118	0.015		
			958/2	0.121	0.017		
			959	1.424	0.024		
			1132/1	0.907	0.081		
			1132/2	0.906			
			1132/3	0.906			
			1133/1	0.560	0.024		
			1133/2	0.607			
			1134	0.907	0.024		
			1135	0.526	0.012		
			1137/1	0.489	0.005		

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
			1137/2	0.489	0.015		
			1138/1	0.303	0.008		
			1138/2	0.303	0.008		
			1138/4	0.692	0.012		
			1140	0.636	0.012		
			1102/1	0.975	0.065		
			1102/2/2				
			1102/2/1/1	0.081	0.020		
			1102/2/1/2	0.405			
			1101/1	0.845	0.035		
			1101/2	1.995	0.033		
			1103				
			1100	1.449	0.024		
			1099/1/1	0.708	0.036		
			1099/1/2	0.182			
			1099/3	0.874	0.012		
			1153/321/1	1.214	0.045		
			1153/321/2	1.214			
			1154/333	3.885	0.150		
			कुल	53.663	1.836		

नोट - मूनि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय गैरतगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 18 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

- (1) - भूमि का विवरण ।
 (क) - जिला रायसेन ।
 (ख) - तहसील / तालुका बेगमगंज ।
 (ग) - ग्राम ककरूआ बरामद गढ़ी

--अनुसूची:-

--भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	ककरूआ बरामद गढ़ी	2/1	1.983	1.983	कार्यपालन यंत्रि बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मीडिया बाँध से डूब प्रभावित हेतु
			2/2	4.266	4.266		
			2/3/1	0.060	0.060		
			2/3/2	0.260	0.260		
			3	1.011	1.011		
			4	1.983	1.983		
			5	0.947	0.947		
			6/1	1.202	1.202		
			6/2	0.976	0.976		
			7/1	2.298	2.298		
			7/2	2.298	0.862		
			10	3.415	3.415		
			11	0.251	0.251		
			12/1	3.404	3.404		
			12/2	2.022	2.022		
			13	1.243	1.243		
			14/1/1/1/1	0.420	0.420		
			14/1/1/1/2	0.417	0.417		
14/1/1/2	0.607	0.607					
14/1/1/3	0.397	0.397					
14/1/2	0.611	0.611					
14/2/1	0.409	0.409					

	14/2/2	0.408	0.408
	15/1	1.460	1.833
	15/2	0.731	
	15/3	0.731	
	15/4	0.731	
	16	4.189	3.339
	17/1	1.820	1.820
	17/2	1.820	1.820
	17/3	0.995	0.995
	17/4/1	0.506	0.506
	17/4/2	0.506	0.506
	18/1/1	1.011	1.011
	18/1/2	1.445	1.445
	18/2	0.405	0.405
	19/1/1/1	0.627	0.627
	19/1/1/2	0.809	0.809
	19/1/2	0.809	0.809
	19/1/3/1/1	0.809	0.809
	19/1/3/1/2	0.809	0.809
	19/1/3/2/1	0.809	0.809
	19/1/3/2/2	0.627	0.627
	19/2	0.809	0.809
	20/1	0.647	0.647
	20/2	0.502	0.502
	21/1	0.194	0.194
	21/2	0.365	0.365
	21/3	0.170	0.170
	22/1/1	0.975	0.975
	22/1/2	0.892	0.892
	22/2	0.586	0.586
	23/1	1.040	1.040
	23/2/1	0.526	0.526
	23/2/2	0.526	0.526
	24	0.769	0.769
	25	1.448	1.448
	26/1	0.809	0.809
	26/2	1.476	1.476
	26/3/1	0.405	0.405
	26/3/2	0.267	0.267
	27/1	0.316	0.316

27/2	0.320	0.320
28/1	2.023	2.023
30/1/1	1.214	0.380
30/1/2	1.942	0.020
31/1	0.506	0.101
31/2/1	1.473	0.547
31/2/2	0.563	0.182
35/1/2	0.731	0.376
35/1/3	0.731	0.097
35/2	1.659	0.235
36/1	1.615	0.847
36/2/1	1.055	1.014
36/2/2	0.280	0.280
36/2/3	0.280	0.280
37	0.798	0.798
38	0.954	0.954
39/1	0.413	0.413
39/2	0.036	0.036
40	1.731	1.731
शा.नं. 41		
42	0.360	0.360
43	1.318	1.318
44/2/1	2.023	2.023
44/2/2	0.567	0.567
44/2/3	1.295	1.295
44/2/4	0.809	0.809
46	0.575	0.575
47	1.430	1.430
48	1.335	1.335
49	0.490	0.490
50	0.543	0.543
51	0.729	0.729
52	0.918	0.918
53/1	0.445	0.445
53/2	0.284	0.284
54/1	0.607	0.607
54/2	0.117	0.117
56/1	0.121	0.121
56/2	0.405	0.405
57	0.570	0.570

59/3	0.809	0.795
60	0.093	0.093
61	0.332	0.308
62	0.174	0.057
63	0.138	0.097
64	0.069	0.069
65	0.109	0.077
68	0.332	0.332
69/1/1	1.668	1.668
69/1/2	1.668	1.668
69/1/3	1.668	1.668
70/1/1	0.291	0.291
72, 73		
70/1/2	0.242	0.242
72, 73		
70/2/1/1	0.174	0.174
72, 73		
70/2/1/2	0.149	0.149
72, 73		
70/2/2/1	1.169	1.169
शा न 72, 73		
70/2/2/2/1	0.627	0.627
72, 73		
70/2/2/2/2	0.348	0.348
72, 73		
74/1	0.178	0.178
74/2	0.149	0.149
76/1, 77	0.765	0.765
76/2/1, 77	0.089	0.089
76/2/2/1, 77	0.041	0.041
76/2/2/2, 77	0.036	0.036
78/1	1.764	1.764
78/2	1.473	1.473
80/1	0.507	0.507
80/2/1/1	0.809	0.809
80/2/1/2	0.809	0.809
80/2/1/3	0.899	0.899
80/2/1/4	0.809	0.809
80/2/2/1	0.405	0.405
80/2/2/2	0.809	0.809

82	0.486	0.486
83	1.113	1.113
84/1	0.387	0.387
84/2	0.628	0.628
86/1	0.882	0.882
86/2	0.235	0.235
88/1	0.675	0.675
88/2	0.470	0.470
89	1.664	1.664
90/1	0.241	0.241
90/2	1.134	1.134
91/1	0.746	0.746
91/2	1.417	1.417
92/1/1	0.925	0.925
92/1/2	0.141	0.141
92/2/1	0.801	0.801
92/2/2	0.196	0.196
93/1	0.766	0.766
93/2	0.983	0.983
95	0.802	0.802
96	1.825	1.825
97	2.096	2.096
98	1.659	1.659
99/1	1.416	1.416
99/2/1	0.544	0.544
99/2/2	0.876	0.876
101/39	0.559	0.559
103/26/1/1	0.566	0.566
103/26/1/2	0.029	0.029
103/26/2/1	0.518	0.518
103/26/2/2	0.081	0.081
105/64	0.036	0.036
107/69/1	1.668	1.668
107/69/2	0.419	0.419
108/22	0.263	0.263
109/84	0.283	0.283

नोट - भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

//

प्रकरण क्रमांक / 45 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

- (1) - भूमि का विवरण ।
 (क) - जिला रायसेन ।
 (ख) - तहसील / तालुका बेगमगंज ।
 (ग) - ग्राम खजुरिया बरामद गढ़ी

--अनुसूची--

--भूमि का विवरण--

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	खजुरिया बरामद गढ़ी	6/2	1.647	0.142	कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मंडिया बाँध से डूब प्रभावित हेतू
			7	0.174	0.032		
			9	2.012	0.275		
			20/1	0.660	0.344		
			21	0.125	0.053		
			22/1	0.610	0.610		
			22/2	0.610	0.610		
			22/3	0.610	0.610		
			22/4	0.610	0.610		
			23/1/1	0.291	0.291		
			23/1/2	0.275	0.275		
			23/1/3	0.190	0.190		
			23/2	0.567	0.567		
			24	0.045	0.045		
			25/1	0.162	0.162		
			25/2	0.162	0.162		
			26	0.206	0.206		
			27/1	0.139	0.139		
			27/2	0.130	0.130		
			28/1	0.024	0.024		
			28/2	0.101	0.101		

		29/1	0.809	0.182		
		29/2/1	0.154	0.154		
		29/2/2	0.975	0.562		
		30	3.455	1.214		
		31	0.165	0.165		
		33	0.045	0.045		
		35	0.040	0.040		
		36	0.202	0.202		
		37/1	0.101	0.101		
		37/2	0.069	0.069		
		38	0.121	0.121		
		39	0.113	0.113		
		40/1	0.069	0.069		
		40/2	0.069	0.069		
		41/1	0.061	0.061		
		41/2	0.064	0.064		
		42	0.255	0.255		
		43	0.206	0.206		
		44 शा. नं. 45	0.150	0.150		
		46	0.065	0.065		
		47	0.065	0.065		
		48	0.020	0.020		
		49	0.138	0.138		
		50	0.162	0.162		
		51	0.105	0.105		
		52	0.170	0.170		
		53	0.113	0.113		
		54	0.240	0.240		
		55	0.113	0.113		
		56	0.142	0.142		
		57	0.109	0.109		
		58	0.166	0.166		
		59/1	0.081	0.081		
		59/2	0.085	0.085		
		60	0.206	0.206		
		63	0.069	0.069		
		64	0.069	0.069		
		66	0.113	0.113		
		67	0.121	0.121		
		68	0.429	0.429		

69	0.093	0.093
70/1	0.069	0.069
70/2	0.162	0.162
71/1	0.125	0.125
71/2	0.134	0.134
72	0.251	0.251
73/1	0.497	0.497
73/2/1	0.121	0.121
73/2/2	0.126	0.126
74	0.821	0.821
75	1.088	1.088
77/1	1.214	1.214
77/2/1	0.202	0.202
77/2/2	0.425	0.425
78/1	1.094	1.094
78/2/1	0.809	0.809
78/2/2	0.809	0.809
78/3/1	0.809	0.809
78/3/2	0.809	0.809
79/1	1.283	1.283
79/2/1	0.641	0.641
79/2/2/1	0.239	0.239
79/2/2/2	0.405	0.405
80	0.316	0.316
81/1	0.352	0.352
81/2	1.092	1.092
81/3/1	0.722	0.722
81/3/2	0.723	0.723
82/1	0.912	0.367
82/2	0.898	0.008
83/1	0.773	0.041
83/2	0.805	0.097
84/1	0.825	0.032
84/2/2	0.352	0.170
85	0.352	0.352
86	0.065	0.065
89	1.259	1.105
90/1, 91	0.566	0.083
90/2/1	0.643	0.643
90/2/2	0.744	0.744

90/2/3	0.809	0.704
90/3, 91	1.011	1.011
92/1	0.283	0.283
92/2	0.315	0.315
92/3	0.315	0.315
92/4	0.649	0.649
93/1/1	0.494	0.494
93/1/2	2.355	2.355
93/2/1	0.607	0.607
93/2/2	0.607	0.607
94/1	0.114	0.114
94/2	0.069	0.069
95/1	1.214	1.214
95/2	1.946	1.946
96	0.048	0.048
97/1	1.235	1.235
97/2	0.510	0.510
97/3	0.530	0.530
97/4	0.331	0.331
97/5	0.758	0.758
98	0.170	0.170
100/1/1	0.119	0.119
100/1/2	0.330	0.330
100/2	1.225	0.296
103/1/2/1	1.214	0.242
103/1/2/2	1.214	1.134
103/1/2/3	0.809	0.809
103/1/2/4/1	0.405	0.405
103/1/2/4/2	0.384	0.384
103/1/2/4/3	0.020	0.020
103/1/2/5/1	0.521	0.521
103/1/2/5/2	2.586	2.586
103/2/1/1	0.202	0.202
103/2/1/2	1.012	1.012
103/2/2	1.214	1.214
103/2/3	0.526	0.526
104	0.490	0.417
105/1/1	1.012	0.324
105/2/2	1.214	0.668
106	0.388	0.388

	107	0.259	0.259		
	108	0.129	0.129		
	109	1.665	1.665		
	110/1/1	1.012	1.590		
	110/1/2	1.012			
	110/1/3	1.013			
	110/3	0.320	0.320		
	111	1.846	1.846		
	112	0.619	0.619		
	114/1/1/1	2.023	1.052		
	114/1/1/2 शा. न. 114/1/1/3	2.023			
	114/1/1/4	2.023			
	114/1/1/5	0.809			
	114/1/1/6	2.023			
	114/1/1/7	2.023			
	114/1/1/8	2.023			
	114/1/1/9	0.809			
	114/1/1/10	2.023			
	114/1/1/11	1.544			
	114/1/1/12/1	0.101			
	114/1/1/12/2	0.101			
	114/1/1/12/3	0.101			
	114/1/1/12/4/1	0.405			
	114/1/1/12/4/2	0.101			
	114/1/1/13	0.809			
	114/1/1/14	0.809			
	114/1/1/15	2.023			
	114/1/1/16	2.023			
	114/1/2/1/1	0.709			
	114/1/2/2/2	1.182			
	114/1/2/2/2/1	0.675			
	114/1/2/3	1.182			
	114/1/2/4/1	0.607			
	114/1/2/4/2	0.607			
	114/1/2/5	0.607			
	114/1/2/6	0.809			
	114/2	4.852			
	114/3/1	0.809			
	114/3/2/1/1	0.201			
	114/3/2/1/2	0.405			

	114/3/2/2	0.606	
	114/3/2/3	0.606	
	114/3/2/4	0.607	
	114/4	2.438	
	114/5/1/1	1.751	
	114/5/1/2	0.372	
	114/5/2	2.023	
	116	1.101	0.757
	117/1	0.628	0.161
	117/2	0.628	0.041
	118	0.267	0.081
	119/1	0.433	0.433
	119/2	0.437	0.437
	120/1/1	0.912	0.912
	120/1/2	0.912	0.912
	120/2	1.824	1.824
	120/3	1.812	1.812
	120/4	1.812	1.812
	121	0.178	0.178
	122	0.672	0.672
	123	0.194	0.194
	124	3.520	3.520
	125/1	0.486	0.486
	125/2	0.660	0.660
	126/1	0.607	0.607
	126/2	0.400	0.400
	127/1	0.300	0.260
	127/2	0.300	0.300
	127/3	0.600	0.539
	127/4	0.770	0.770
	127/5	0.819	0.819
	127/6	0.507	0.507
	127/7	0.865	0.865
	127/8	0.526	0.526
	128	0.599	0.599
	129	0.680	0.680
	130/1	0.180	0.180
	130/2	0.277	0.277
	131	0.860	0.860
	132/1/1, 133	2.310	2.310

	132/1/2,133	0.138	0.138
	132/2,133	2.323	2.323
	134/1	0.770	0.770
	134/2	1.476	1.476
	135/1/1	0.937	0.937
	135/1/2	0.405	0.405
	135/1/3	0.405	0.405
	135/1/4	0.405	0.405
	135/1/5	0.405	0.405
	135/2	1.278	1.278
	135/3	1.279	1.279
	136/2	1.214	1.214
	136/3	1.214	1.214
	136/4	1.214	1.214
	136/5	1.214	1.214
	136/6	1.214	1.214
	136/7	2.023	2.023
	136/8	0.223	0.223
	137/1 138	0.222	0.222
	137/2 शा. नं. 138	1.247	1.247
	139/1	1.214	1.214
	139/2/1	0.405	0.405
	139/2/2	0.614	0.614
	140	0.979	0.979
	141	0.101	0.101
	142/1	0.180	0.180
	142/2	0.073	0.073
	143/1	0.257	0.257
	143/2	0.301	0.301
	144	0.320	0.320
	145/1	0.058	0.058
	145/2	0.667	0.667
	145/3	0.166	0.166
	145/4	0.809	0.809
	146	0.081	0.081
	147	0.522	0.522
	148/1	0.385	0.385
	148/2	1.214	1.214
	149	1.427	1.427
	150	0.262	0.262

151	1.145	1.145
152	0.685	0.685
153	1.412	1.412
154	1.412	1.412
155	0.545	0.545
156/1	1.453	1.453
156/2/1	0.327	0.327
156/2/2	0.328	0.328
156/2/3	0.327	0.327
157/1/1शा.न. 158	0.559	0.296
157/1/2शा.न. 158	0.559	0.559
157/1/3शा. न. 158	0.559	0.559
157/2 158/2	1.214	1.214
159/1/1	0.223	0.223
159/1/2/1	1.214	1.214
159/1/2/2	0.809	0.809
159/2/1	1.214	1.214
159/2/2	1.032	1.032
160/1/1	1.011	1.011
160/1/2	1.011	1.011
160/1/3	2.023	2.023
160/1/4	0.837	0.837
160/1/5	0.809	0.809
160/1/6	0.809	0.809
160/2	0.202	0.202
161	0.985	0.985
162	0.101	0.101
163	0.320	0.320
164	0.235	0.235
165/1/1/1	0.696	0.696
165/1/1/2	0.696	0.696
165/1/2	0.047	0.047
165/2	0.648	0.648
166/1/1	0.202	0.202
166/1/2	0.158	0.158
166/2	0.161	0.161
169	0.372	0.372
171/1	1.619	1.619
171/2	1.609	1.609
171/3	0.627	0.627

			173	5.094	5.094
			174	0.813	0.813
			175	0.834	0.834
			177/1/1	0.607	0.607
			177/1/2	0.607	0.607
			177/2/1	0.127	0.127
			177/2/2	0.161	0.161
			178	0.672	0.672
			179	0.615	0.615
			181/1/1	0.385	0.385
			181/1/2	1.011	1.011
			181/2	0.624	0.624
			182	1.202	1.202
			183	0.773	0.773
			184	0.862	0.862
			185/1	0.486	0.486
			185/2	1.040	1.040
			186	1.469	1.469
			187/1/1	0.680	0.680
			187/1/2	0.081	0.081
			187/2/1	0.255	0.255
			187/2/2	0.255	0.255
			188/1	0.061	0.061
			188/2	0.061	0.061
			188/3	0.125	0.125
			189/1	0.607	0.607
			189/2	0.429	0.429
			190/1	3.694	3.694
			190/2	2.112	2.112
			190/3	1.789	1.789
			190/4	2.108	2.108
			190/5	1.983	1.983
			191/1	1.717	1.717
			191/2	0.586	0.586
			193	5.094	5.094
			194/1/1,195/2 196/1	0.809	0.809
			194/1/2/1/1	0.134	0.134
			194/1/2/1/2	0.134	0.134
			194/1/2/1/3	0.133	0.133
			194/1/2/1/4	0.142	0.142

	194/1/2/2	0.133	0.133
	194/1/2/3	0.133	0.133
	194/1/3,195/2/3 196/1/3	0.696	0.696
	194/2	0.223	0.223
	195/1	0.474	0.474
	196/2	1.506	1.506
	197	0.874	0.874
	199/1/1	2.225	2.225
	199/1/2/1	1.497	1.497
	199/1/2/2	0.728	0.728
	199/2/1/1	1.190	1.190
	199/2/1/2	1.180	1.180
	199/2/2/1	0.656	0.656
	199/2/2/2	0.660	0.660
	199/2/2/3	0.660	0.660
	200/1	1.214	0.566
	200/2	1.214	1.214
	200/3	0.117	0.117
	201/1	0.330	0.193
	201/2	0.330	0.243
	202	0.162	0.162
	203	0.444	0.444
	206/1	0.090	0.090
	206/2	0.056	0.056
	206/3	0.020	0.020
	208	0.514	0.514
	210	1.298	1.298
	211/1/1	1.214	1.214
	211/1/2/1	1.619	1.619
	211/1/2/2/1	0.809	0.809
	211/1/2/2/1/2	1.533	1.533
	211/1/2/2/2	2.023	2.023
	211/1/2/2/3	2.023	2.023
	211/2/1	1.942	1.942
	211/2/2	5.260	5.260
	211/3/1	7.204	7.204
	211/3/2	7.204	7.204
	212	0.049	0.049
	214	0.057	0.057
	215/1	0.060	0.060

	215/2	0.065	0.065
	218/1	0.069	0.069
	218/2/1/1	0.016	0.016
	218/2/1/2	0.020	0.020
	218/2/2	0.125	0.125
	218/2/3/1	0.014	0.014
	218/2/3/2	0.014	0.014
	219	0.040	0.040
	222	0.036	0.036
	223	0.069	0.069
	224	0.194	0.194
	225, 226	0.045	0.045
	227	0.036	0.036
	229	0.065	0.065
	230	0.041	0.041
	233	0.040	0.040
	234	0.024	0.024
	235	0.125	0.125
	236	0.170	0.170
	237	0.045	0.045
	238	0.069	0.069
	239	0.121	0.121
	240	0.089	0.089
	244	0.020	0.020
	245/1	0.008	0.008
	245/2/1	0.200	0.200
	245/2/2	0.016	0.016
	246	0.045	0.045
	247	0.045	0.045
	248	0.069	0.069
	305/1/2	1.351	0.081
	305/2/1	1.351	
	305/2/2/1	1.140	
	305/2/2/2	0.222	
	308/2/1	0.186	0.125
	308/2/2	0.239	0.219
	313/1	0.040	0.040
	313/2/1	0.757	0.020
	313/4/1	0.040	0.040
	313/4/2	0.248	0.248

	313/5	0.293	0.293
	313/6/1	0.028	0.028
	313/6/2	0.261	0.261
	316/1	0.668	0.051
	316/2/1	0.334	
	316/2/2	0.333	
	317/1	1.094	1.094
	317/2/1	0.626	0.626
	317/2/2	0.166	0.166
	318/1	0.324	0.324
	318/2	0.324	0.324
	319	0.048	0.048
	320/1	0.101	0.101
	320/2	0.101	0.101
	321/3	1.011	1.011
	321/4	0.592	0.592
	322/1	0.069	0.069
	322/2/1	0.069	0.069
	322/2/2	0.069	0.069
	323/1	0.968	0.968
	323/2	0.972	0.567
	324	0.186	0.186
	325/1	0.340	0.340
	325/2	0.340	0.340
	326	0.964	0.567
	327/1	1.023	0.041
	327/2	0.627	0.161
	327/3	0.635	0.466
	328	4.161	4.161
	329/1	1.762	1.762
	329/2/1	0.809	0.809
	329/2/2	0.961	0.961
	330/1	0.156	0.156
	330/2	0.077	0.077
	330/3	0.077	0.077
	330/4	0.152	0.152
	331/1	0.036	0.036
	331/2	0.021	0.021
	332	0.045	0.045
	333	0.454	0.454

			12	
334/1	0.156	0.156		
334/2	0.158	0.158		
335/1	0.293	0.293		
335/2	0.566	0.566		
335/3	1.129	1.129		
336	0.113	0.113		
337/1	0.615	0.615		
337/2	0.405	0.405		
337/3	2.217	2.217		
338/1	2.797	2.797		
338/2	0.809	0.809		
338/3	1.214	1.214		
338/4	1.214	1.214		
340	0.271	0.271		
341/1	1.155	1.155		
341/2	1.155	1.155		
342/1	0.303	0.303		
342/2/1	0.309	0.309		
342/2/2	0.309	0.309		
342/2/3	0.309	0.309		
343	0.866	0.866		
344/1/1	1.169	0.525		
344/2	1.214	0.567		
347/1	1.291	0.425		
347/2	1.287	1.122		
348/1/1	0.671	0.671		
348/1/2	0.672	0.672		
349	2.655	2.655		
350	0.057	0.057		
351/1	0.563	0.563		
351/2	0.559	0.559		
352	1.485	1.485		
353	0.190	0.190		
354	0.170	0.170		
356/1	0.405	0.405		
356/2	0.121	0.121		
358/1, 359	1.083	1.083		
358/2, 359	1.603	1.603		
359/1	2.112	2.112		
359/2	1.428	1.428		

359/3	1.428	1.428
360	0.862	0.862
361/1	0.910	0.910
361/2	0.907	0.907
362/1	1.018	1.018
362/2	0.837	0.837
363	0.101	0.101
364/1	0.252	0.252
364/2	0.252	0.252
364/3/1	0.728	0.728
364/3/2	0.295	0.295
365/1	0.809	0.809
365/2	0.615	0.615
366	1.080	1.080
367/1	1.214	1.214
367/2/1/1	0.202	0.202
367/2/1/2	0.809	0.445
367/2/2	1.214	0.527
368/1/1	0.174	0.174
368/1/2	0.162	0.162
368/2	0.330	0.330
369/1	1.214	2.656
369/2/1	1.136	
369/2/2	0.560	
369/2/3	0.575	
381	1.133	1.060
382/1/1/1	0.809	0.809
382/1/1/2	1.214	1.214
382/1/2/1	1.011	1.011
382/1/2/2/1	0.405	0.405
382/1/2/2/2	0.405	0.405
382/1/2/2/3	0.201	0.201
383/1	0.789	0.789
383/2	3.472	1.449
385	8.114	6.900
386/1	0.275	0.012
386/2	0.271	0.271
387	2.860	2.860
388/1	1.833	1.833
388/2	1.825	1.825

		389/1	0.565	0.565		
		389/2	0.117	0.117		
		390/1	0.093	0.093		
		390/2	0.093	0.093		
		391	0.024	0.024		
		392/1	1.481	0.591		
		392/2	1.214			
		395	1.740	0.388		
		396	0.274	0.274		
		397/1	0.158	0.158		
		397/2	0.089	0.089		
		400/1	0.218	0.218		
		400/2	0.081	0.061		
		401/1	0.781	0.781		
		401/2	0.243	0.041		
		403	2.120	1.755		
		404/1	0.963	0.781		
		404/2	1.453	0.461		
		405	0.085	0.085		
		407/1	0.627	0.627		
		407/2	0.565	0.565		
		408/1	0.821	0.821		
		408/2	1.449	1.449		
		408/3/1	0.476	0.476		
		408/3/2	0.607	0.607		
		408/4	1.083	1.083		
		408/5	0.981	0.981		
		408/6	0.668	0.668		
		408/7	0.845	0.845		
		408/8	0.857	0.857		
		409/1	0.120	0.120		
		409/2	0.101	0.101		
		409/3	0.238	0.238		
		409/4	0.020	0.020		
		411	0.498	0.498		
		412/1	1.000	1.000		
		412/2	0.532	0.532		
		413/1	0.231	0.231		
		413/2	0.235	0.235		
		413/3	0.231	0.231		

414/1/1	0.202	0.202
414/1/2	0.138	0.138
414/1/3	0.202	0.202
414/2	0.543	0.543
415	0.571	0.571
416/1	0.538	0.538
416/2/1	0.952	0.952
416/2/2	0.712	0.712
416/3/1/1	2.375	2.375
416/3/1/2	0.405	0.405
416/3/2	0.405	0.405
416/4	1.927	1.927
416/5	0.405	0.405
416/6	0.405	0.405
416/7	1.663	1.663
417/1	0.263	0.263
417/2	0.267	0.267
417/3	0.267	0.267
418/1	1.578	1.578
418/2	1.578	1.578
419/1	0.166	0.166
419/2	0.166	0.166
420	0.526	0.526
421	0.640	0.640
422	0.251	0.251
423/1शा. नं. 424	0.607	0.607
423/2शा. नं. 424	0.587	0.587
423/3शा. नं. 424	0.367	0.367
425/1	1.469	1.469
425/2	0.121	0.121
426/1	1.505	1.505
426/2	1.619	1.619
427	0.530	0.530
428/1	1.769	1.769
428/2	1.610	1.610
429	1.000	1.000
430/1/1	0.991	0.991
430/1/2	1.214	1.214
430/2	1.801	1.801
431/1	0.068	0.068

431/2	0.069	0.069
432/1	1.011	1.011
432/2/1	0.607	0.607
432/2/2/1	0.364	0.364
432/2/2/2	1.214	1.214
433/3	0.749	0.749
433/4	1.781	1.781
433/5	1.011	1.011
434/1, 435	0.510	0.510
434/2, 435	0.506	0.506
436	0.421	0.421
437/1	1.619	1.619
437/2	0.829	0.829
437/3	0.833	0.833
437/4	0.830	0.830
438	0.762	0.762
439	0.399	0.399
440/1	0.210	0.210
440/2	0.191	0.191
441	1.703	1.703
442	0.328	0.328
443	0.255	0.255
444/1/1	1.821	1.821
444/1/2	0.734	0.734
444/2	0.939	0.939
445/1	1.391	1.391
445/2	1.457	1.457
447/1	0.347	0.347
447/2	0.405	0.405
447/3/1	0.202	0.202
447/3/2	0.202	0.202
449	0.024	0.024
451	1.295	1.295
452/1	0.789	0.789
452/2	0.761	0.761
453/1	0.024	0.024
453/2	0.181	0.181
454/1	0.482	0.482
454/2/1	0.465	0.465
454/2/2	0.105	0.105

455	0.231	0.231
456	0.335	0.335
458	2.076	2.076
459/1	0.405	0.405
459/2	1.052	1.052
460	0.158	0.158
461	0.454	0.454
462/1	0.092	0.092
462/2	0.092	0.092
463/1	0.142	0.142
463/2	0.142	0.142
464	1.360	1.360
465/1	1.387	1.387
465/2	1.383	1.383
466/1	0.324	0.324
466/2	0.429	0.429
467	0.709	0.709
468/1	0.547	0.547
468/2	0.543	0.543
469/1/1	0.149	0.149
469/1/2	0.149	0.149
469/1/3	0.150	0.150
469/1/4	0.299	0.299
469/1/5	0.149	0.149
469/1/6	0.149	0.149
469/1/7	0.053	0.053
469/2/1	0.202	0.202
469/2/2	0.202	0.202
470/1	0.709	0.709
470/2	0.172	0.172
471/1/1	0.133	0.133
471/1/2	0.133	0.133
471/2	0.133	0.133
472/1	0.093	0.093
472/2	0.093	0.093
473/1	0.129	0.129
743/2	0.129	0.129
474/1	0.065	0.065
474/2	0.069	0.069
475/1/1	0.065	0.065

475/1/2	0.065	0.065
475/2	0.129	0.129
476/1	0.024	0.024
476/2	0.027	0.027
477/1	0.190	0.190
477/2	0.190	0.190
478/1/1	0.036	0.036
478/1/2	0.036	0.036
478/2	0.040	0.040
479/1/1	0.995	0.995
479/1/2	0.999	0.999
479/2/1	0.770	0.770
479/2/2/1	0.275	0.275
479/2/2/2	0.148	0.148
479/2/2/3	0.277	0.277
480/1/1	0.551	0.551
480/1/2	0.020	0.020
480/1/3	0.060	0.060
480/2	0.405	0.405
484	0.045	0.045
495	0.020	0.020
496/1	0.469	0.469
496/2	0.041	0.041
497	0.239	0.239
498	0.283	0.170
499	0.652	0.242
500	0.660	0.365
501	2.209	2.067
503	2.857	2.857
504	1.687	1.687
506/1	0.607	0.607
506/2/2/1	0.405	0.405
506/2/2/2	1.011	1.011
506/2/2/3	0.202	0.202
506/2/2/4	0.053	0.053
506/2/2/5	0.405	0.405
506/2/2/6	0.417	0.417
507/1	0.089	0.089
507/2	0.142	0.142
509	0.243	0.243

511	0.073	0.073
512/1	0.687	0.687
512/2	0.708	0.708
513/1/1	0.405	0.405
513/1/2/1/1	0.607	0.607
513/1/2/1/2	0.809	0.809
513/1/2/1/3	0.000	0.000
513/1/2/1/4	0.809	0.809
513/1/2/2	0.830	0.830
513/2	0.911	0.911
514/1/1/1	0.105	0.105
514/1/1/2	0.433	0.433
514/1/1/3	0.190	0.190
514/1/2	0.202	0.202
514/1/3	0.962	0.962
514/1/4	0.967	0.967
514/1/5/1	0.486	0.486
514/1/5/2	0.482	0.482
514/1/6	0.238	0.238
514/2/1	0.562	0.562
514/2/2	0.470	0.470
514/3/1	0.566	0.566
514/3/2/1/1	0.134	0.134
514/3/2/1/2	0.542	0.542
514/3/2/2	0.194	0.194
515/1	0.789	0.789
515/2	0.789	0.789
516	0.526	0.526
517/1/1	0.458	0.458
517/1/2/1	0.227	0.227
517/1/2/2	0.231	0.231
517/2	0.405	0.405
518	0.462	0.462
520	0.372	0.372
521	1.315	1.315
522/1	0.246	0.246
522/2	0.223	0.223
523	1.696	1.696
524	0.324	0.324
525	0.278	0.278

526/1, 527	1.149	1.149
526/2, 527	1.108	1.108
528/1/1	0.607	0.607
528/1/2	0.247	0.247
528/1/3/1	0.809	0.809
528/1/3/2	0.586	0.586
528/2	1.044	1.044
530/1/1, 531	0.777	0.777
530/1/2, 531	0.789	0.789
530/2, 531	1.570	1.570
533	2.614	2.614
534	0.793	0.793
536/1	0.486	0.486
536/2	4.136	4.136
538	0.178	0.178
540/1/1	1.619	1.619
540/1/2	3.476	3.476
540/2/1	1.704	1.704
540/2/2	1.700	1.700
540/2/3/1	0.885	0.885
540/2/3/2	0.809	0.809
541	0.239	0.239
544	1.028	1.028
547/1	1.427	1.427
547/2	0.296	0.296
548		
549	0.854	0.854
550	0.405	0.405
551	4.573	4.573
552	1.019	1.019
553/1/1	0.692	0.692
553/1/2/1	0.186	0.186
553/1/2/2	0.190	0.190
553/2	0.539	0.539
554/1	0.158	0.158
554/2	0.158	0.158
555/1	0.585	0.585
555/2	0.354	0.354
556	1.315	1.315
558	0.498	0.498

559	0.571	0.571
560	1.267	1.267
561	0.636	0.636
562	0.642	0.642
563/1	2.428	2.428
563/2/1	1.325	1.325
563/2/2	1.214	1.214
563/2/3	1.214	1.214
564/1	1.202	1.202
564/2	0.469	0.469
565	1.011	1.011
566	1.011	1.011
567	0.433	0.433
568	0.967	0.967
569/1/1	0.401	0.401
569/1/2	0.515	0.515
569/1/3	0.085	0.085
569/2	1.007	1.007
570	0.259	0.259
571	0.166	0.166
572/1	0.174	0.174
572/2	0.263	0.263
573	2.112	2.112
576/548	0.446	0.446
580/261	0.040	0.040
582/31	0.061	0.061
584/33	0.020	0.020
586/34	0.024	0.024
593/94	0.146	0.146
594/107	1.084	1.084
595/111	0.223	0.223
596/114	0.251	0.251
597/125	0.793	0.761
598/129/1	0.331	0.331
598/129/2	0.033	0.033
599/104	0.554	0.493
600/134/1	1.254	1.254
600/134/2	0.445	0.445
601/159	1.193	1.193
602/173/1/1	2.833	2.833

602/173/1/2	2.833	2.833
602/173/2	0.890	0.890
603/177	0.486	0.486
604/181	0.324	0.324
605/181/1	0.809	0.809
605/181/2/1	1.071	1.071
605/181/2/2	0.081	0.081
606/188	0.121	0.121
607/188	0.073	0.073
608/191/1	0.809	0.809
608/191/2	0.631	0.631
609/193/1/1	0.930	0.930
609/193/1/2/1	1.181	1.181
609/193/1/2/2	0.032	0.032
609/193/2	1.619	1.619
610/193	0.809	0.809
611/196	2.761	2.761
612/218	0.016	0.016
613/228	0.024	0.024
615/230	0.024	0.024
616/241	0.024	0.024
618/248	0.028	0.028
626/329	1.780	1.780
627/330	0.437	0.437
628/332	0.300	0.300
629/353	0.020	0.020
632/425/1	0.119	0.119
632/425/2	0.332	0.332
633/427	0.219	0.219
634/427	0.085	0.085
635/436	0.061	0.061
636/436/1	0.040	0.040
636/436/2	0.017	0.017
638/468/1	0.234	0.234
638/468/2	0.169	0.169
639/471	0.097	0.097
640/471	0.061	0.061
642/495	0.020	0.020
644/495	0.028	0.028
648/518	0.182	0.182

		650/558	0.417	0.417	
		652/573	0.466	0.466	
		653/573	0.397	0.397	
		654/573	0.628	0.628	
		655/130	0.121	0.121	
		656/130	0.142	0.142	
		657/130	0.101	0.101	
		658/146/1	0.041	0.041	
		658/146/2	0.040	0.040	
		659/516	0.494	0.494	
		660/197/1	0.059	0.059	
		660/197/2	0.059	0.059	
		660/197/3	0.060	0.060	
		661/419	0.089	0.089	
		662/545	0.158	0.158	
		663/179	0.559	0.559	
		664/471	0.024	0.024	
		666/445/1	1.457	1.457	
		666/454/2	0.061	0.061	
		667/179	0.405	0.405	

नोट - भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 43 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

- (1) - भूमि का विवरण ।
 (क) - जिला रायसेन ।
 (ख) - तहसील / तालुका बेगमगंज ।
 (ग) - ग्राम चंदोरिया

--अनुसूची--
 --भूमि का विवरण--

जिल्हा	तहलील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	चंदोरिया	318	0.255	0.081	कार्यपालन यंत्रि बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मंडिया बाँध से डूब प्रभावित हेतू
			319/1	0.202	0.053		
			319/2	0.203	0.128		
			320/1	0.667	0.053		
			320/2	0.668	0.060		
			361/1/1	1.011	0.413		
			361/1/2/1	5.869			
			361/1/2/2	1.214			
			361/2/1/1	0.405			
			361/2/1/2	0.518			
			361/2/2/1	0.405			
			361/2/2/2	0.518			
			361/2/3/1/1	0.405			
			361/2/3/1/2	0.404			
			361/2/3/2/1	1.214			
			361/2/3/2/2	1.089			
			361/2/3/2/3	0.508			
			361/2/3/3	2.023			
			361/2/3/4	0.581			
			363	0.028	0.028		
			364	0.109	0.109		
			365	0.344	0.344		
			367	0.259	0.259		
			368	4.513	3.704		
			369	0.845	0.845		
			370	0.603	0.603		

371	1.530	0.089
372/1	8.498	4.432
372/2	3.027	0.708
373	2.549	2.549
374/1	1.691	1.691
374/2	1.691	1.691
375/1	1.696	1.696
375/2	1.696	1.696
375/3	1.696	1.696
375/4	1.696	1.696
376/1/1	0.144	0.144
376/1/2	0.192	0.192
376/2	0.332	0.332
376/3	0.332	0.332
376/4/1	0.191	0.191
376/4/2	0.141	0.141
377/1	0.523	0.523
377/2	0.559	0.559
377/3	0.040	0.040
377/4	0.101	0.101
378/1/1	1.840	1.840
378/1/2	0.018	0.018
378/2	1.858	1.858
378/3	1.858	1.858
378/4/1	0.927	0.927
378/4/2	0.927	0.927
379/1	0.526	0.526
379/2	0.530	0.530
380/1	0.890	0.890
380/2/1	0.506	0.506
380/2/2	0.384	0.384
380/3	0.368	0.368
380/4	0.368	0.368
385	0.458	0.458
386/1	0.910	0.910
386/2	0.753	0.753
387	0.134	0.134
389	0.077	0.077
390/1/1	0.051	0.051
390/1/2	0.051	0.051
390/1/3	0.050	0.050
390/1/4	0.050	0.050
390/2	1.246	1.246
391	0.154	0.154
392	2.464	2.331
393/1	0.450	0.020
393/2	0.465	
393/3	1.120	

		394	0.214	0.214	
		395	0.227	0.227	
		396	0.162	0.162	
		397/1	0.060	0.060	
		397/2	0.693	0.693	
		398/2/1	2.239	2.239	
		399			
		398/2/2	3.682	3.682	
		399			
		399/1/1	0.303		
		399/1/2/1/1/1	0.935		
		399/1/2/1/1/2	0.934		
		399/1/2/1/2	0.934		
		शामिल नम्बर 400/1/1, 401/1			
		399/1/2/2	0.607		
		शा. न. 400/1/2 401/2			
		399/1/2/4	1.339		1.073
		400/1/1, 401/4			
		399/1/2/5	1.335		
		शा न 400/1/1 401/5			
		399/1/2/400 1/1/, 401/3	1.339		
		399/1/2/401/1/2	0.809		
		शा न 401/1/1			
		400/1/2	0.506		
		400/2	1.594		
		406/1	1.240		0.161
		406/2	0.946		
		407	1.259	0.721	
		408	1.113	0.101	
		436/1	2.198	0.101	
		436/2	2.023	1.546	
		438	0.312	0.113	
		439	0.368	0.020	
		440/1	0.667	0.405	
		440/2	0.462	0.032	
		441/1	0.546	0.320	
		441/2	0.291	0.170	
		445/1/1	0.405	0.405	
		445/1/2	0.221	0.221	
		445/2/1	1.410	0.892	

		445/2/2 ✓	0.303	0.303		
		446/1	0.615	0.121		
		446/2	0.283	0.032		
		461	0.761	0.494		
		462	1.064	0.081		
		463/1/1/1/1	0.619	1.867		
		463/1/1/1/2	0.620			
		463/1/1/2	1.238			
		463/1/2/1	0.061			
		463/1/2/2	0.056			
		463/2/1	1.295			
		463/2/1/2	1.295			
		467/1	1.234		1.375	
		467/2	1.234			
		468/1	0.041		0.041	
		468/2/1	0.486	0.486		
		468/2/2	0.283	0.283		
		468/3	0.186	0.186		
		468/4	0.543	0.543		
		469/1/1	0.083	0.083		
		469/1/2	0.083	0.083		
		469/2	0.166	0.166		
		470/1/1	0.049	0.049		
		470/1/1/2	0.048	0.048		
		470/1/2	0.097	0.097		
		470/2/1	0.096	0.096		
		470/2/1/2	0.101	0.101		
		470/2/2	0.101	0.101		
		471/1	0.093	0.093		
		471/2	0.093	0.093		
		472	0.380	0.380		
		473/1 शामिल नम्बर 474	1.214	2.717		
		473/2/1 474	0.579			
		473/2/2 474	1.105			
		475	0.397	0.397		
		477	1.165	1.165		
		479	0.918	0.918		
		481/444/1	0.809	1.181		
		481/444/2	0.615			
		505/319/1	0.385	0.202		
		505/319/2	0.384	0.203		
		506/395/1	0.170	0.170		
		506/395/2	0.235	0.235		
		511/380/1	0.295	0.295		
		511/380/2/1	0.046	0.046		
		511/380/2/2	0.046	0.046		
		511/380/2/3	0.264	0.264		
		512/385 ✓	0.708	0.708		
		कुल				

नोट - भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 41 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

- (1) - भूमि का विवरण ।
 (क) - जिला रायसेन ।
 (ख) - तहसील / तालुका बेगमगंज ।
 (ग) - ग्राम बेरखेडी बरामद गढ़ी

--अनुसूची--
 --भूमि का विवरण--

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	बेरखेडी बरामद गढ़ी	5/1	1.214	0.049	कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मंडिया बॉध से जूब प्रभावित हेतू
			5/2	1.214			
			5/3	1.214			
			5/4	1.327			
			13	0.291	0.257		
			14	0.198	0.198		
			15	0.923	0.526		
			16/1	3.490	2.306		
			16/2	3.003			
			17/1	2.356	3.763		
			17/2/1	1.161			
			17/2/2	1.267			
			20/1	0.736	0.736		
			20/2	0.736	0.736		
			21	2.995	2.995		
			22/1	2.833	2.833		
			22/2	3.893	3.893		
23	0.611	0.611					
24	1.372	1.372					
25	0.085	0.085					

26	0.093	0.093
27	0.182	0.182
28	0.045	0.045
29/1	0.530	0.530
30/1	1.283	1.283
31/1	0.809	0.809
31/2	1.781	1.781
32	0.227	0.227
33/1	0.409	0.409
34	0.134	0.134
35	0.773	0.773
36	0.129	0.129
37	0.741	0.741
38	0.085	0.085
39	0.854	0.854
41/1/1/1	1.000	0.809
41/1/1/2	0.821	
41/1/2	1.821	
41/2/1	0.512	
41/2/2	0.340	
43/1/1	0.364	0.931
43/1/2	0.405	
43/2	1.214	
44	0.429	0.429
45/1/1	1.080	1.080
45/1/2	0.405	0.405
45/2	0.405	0.405
46/1	0.316	0.316
46/2	0.040	0.040
47	0.522	0.522
48/1	0.606	2.489
48/2	1.273	
48/3	1.146	
49	0.121	0.020
52/1	0.174	0.161
52/2	0.178	
55	0.178	0.041
56	0.178	0.178

57	0.227	0.227
58/1/1	0.052	0.607
58/1/2	0.049	
58/2	0.324	
58/3	0.304	
59/1	0.081	0.741
59/2	0.267	
59/3	0.356	
59/4	0.073	
60/1	0.040	0.040
60/2	0.174	0.174
61/1	0.239	0.239
61/2	0.242	0.242
62/1/1	0.287	0.287
62/1/2	0.696	0.696
62/2	0.210	0.210
63	0.117	0.117
64/1	0.450	0.450
67		
64/2	0.607	0.607
शा. न. 67		
65	0.057	0.057
66	0.182	0.182
68	0.065	0.065
69/1	0.121	0.121
69/2	0.045	0.045
71/1	0.299	0.299
71/2	0.478	0.478
72	0.121	0.121
73/1	0.238	1.982
73/2	0.344	
73/3/1	0.405	
73/3/2	0.405	
73/3/3/1	1.279	
73/3/3/2	0.020	
73/3/3/3	0.032	
73/3/3/4	0.020	
75	0.239	0.239

76/1	0.907	0.907
76/2	0.906	0.906
77/1	0.891	3.217
77/2	1.076	
77/3	0.938	
77/4	0.757	
78/1	0.186	0.186
78/2	0.190	0.190
82/1/1	0.324	0.036
82/1/2	0.442	
82/2	1.691	
82/3	1.691	0.951
83/1	2.428	
83/2/1	1.611	
83/2/2	1.214	
83/3/2	0.405	
89	0.704	0.485
90	1.044	0.526
92	0.150	0.150
93	0.190	0.190
95	0.343	0.202
96	0.627	0.121
97	0.397	0.024
103	1.165	0.041
105	0.837	0.089
108/1	0.344	0.311
108/2	0.381	
118/1	0.227	0.556
118/2	0.506	
119	0.223	0.182
120	0.097	0.097
121	0.182	0.182

	123	0.198	0.061
	125	0.518	0.081
	126	0.036	0.036
	127	0.530	0.101
	141/1/2/1	0.512	0.456
	141/1/2/2	0.299	
	185/1/1	0.276	0.283
	185/1/2	0.275	
	185/2	0.364	
	185/3/1	0.611	
	185/3/2	0.020	
	185/4	1.234	
	185/5	0.425	
	187	0.198	
	188/1	0.081	0.607
	188/2	1.441	
	189	0.121	0.028
	191	0.089	0.089
	192	0.494	0.494
	195	0.421	0.421
	196	0.555	0.555
	197/1	0.279	0.279
	197/2/1	0.065	0.065
	197/2/2	0.069	0.069
	197/2/3	0.061	0.061
	197/2/4	0.061	0.061
	197/2/5	0.061	0.061
	197/3	0.109	0.109
	198/1/1	0.133	2.918
	198/1/2/1	0.016	
	198/1/2/2	0.020	
	198/1/2/3	0.020	
	198/1/2/4	0.020	
	198/1/2/5	0.020	
	198/1/3	0.299	
	198/1/4/1	0.405	
	198/1/4/2	0.595	

	198/1/4/3	0.197	
	198/2/1	1.218	
	198/2/2	0.238	
	199/1/1	0.737	
	199/1/2/1	0.607	
	199/1/2/2	0.121	
	199/1/3	0.490	
	199/2/1	0.441	2.032
	199/2/2	0.441	
	199/3	0.121	
	199/4	0.445	
	203/1/1	1.619	
	203/1/2	1.619	
	203/1/3	1.619	
	203/1/4	0.729	6.104
	203/1/5	0.729	
	203/1/6	0.728	
	203/1/7	0.728	
	203/1/8	0.728	
	205/1	0.157	0.157
	205/2	0.297	0.297
	207/1/1	0.267	0.267
	207/1/2	0.210	0.210
	207/1/3	0.264	0.264
	207/2	0.166	0.166
	207/3	0.303	0.303
	207/4/1	0.348	0.348
	207/4/2	0.348	0.348
	208/1/1	0.405	0.405
	208/1/2	0.405	0.405
	208/1/3	0.404	0.404
	208/2	0.745	0.745
	208/3	0.708	0.708
	208/4/1	0.583	0.583
	208/4/2	0.583	0.583
	208/5	0.065	0.065
	212	0.308	0.308

213/1	0.344	0.344
213/2	0.113	0.113
213/3	0.113	0.113
213/4	0.113	0.113
213/5	0.115	0.115
214	0.053	0.053
215	0.093	0.093
216	0.089	0.089
217	0.053	0.053
218	0.785	0.785
219/1	0.809	0.809
219/2	0.057	0.057
220/1	0.324	0.324
220/2/1	0.162	0.162
220/2/2/1	0.425	0.425
220/2/2/2	0.202	0.202
220/2/3	0.061	0.061
220/3/1	0.445	0.445
220/3/2	0.647	0.647
220/4	1.011	1.011
220/5/1	0.134	0.134
220/5/2	0.161	0.161
220/5/3	0.161	0.161
220/5/4	0.134	0.134
220/5/5	0.117	0.117
220/5/6	0.138	0.138
220/5/7	0.142	0.142
220/5/8	0.142	0.142
220/5/9	0.142	0.142
221/1/1	0.089	0.089
221/1/2	0.890	0.890
221/1/3	0.093	0.093
221/1/4	0.093	0.093
221/1/5	0.089	0.089
221/1/6	0.089	0.089
221/1/7	0.089	0.089
221/1/8	0.089	0.089
221/1/9	0.089	0.089

221/1/10	0.215	0.215
221/1/11	0.126	0.126
221/1/12	0.101	0.101
221/1/13	0.113	0.113
221/1/14	0.133	0.133
221/1/15	0.124	0.124
221/1/16	0.122	0.122
221/1/17	0.122	0.122
221/1/18	0.122	0.122
221/2	0.890	0.890
221/3/1	0.486	0.486
221/3/2	0.323	0.323
221/4/1	0.283	0.283
221/4/2/1	0.748	0.748
221/4/2/2	0.242	0.242
221/4/3	0.141	0.141
221/5	1.214	1.214
222/1/1	0.061	0.061
222/1/2	0.081	0.081
222/1/3	0.097	0.097
222/1/4	0.093	0.093
222/1/5	0.081	0.081
222/1/6	0.081	0.081
222/1/7	0.081	0.081
222/1/8	0.081	0.081
222/2	2.012	2.012
222/3/1/1	0.280	0.280
222/3/1/2	0.676	0.676
222/3/2	1.053	1.053
222/4/1	0.365	0.365
222/4/2/1	0.713	0.713
222/4/2/2	0.365	0.365
222/4/3	0.202	0.202
222/5	2.242	2.242
223/1/1	0.830	0.830
223/1/2	0.405	0.405
223/2	0.410	0.410
223/3	0.287	0.287
223/4	0.767	0.767

223/5	0.020	0.020
224/1	0.405	0.405
224/2	0.388	0.388
225	0.295	0.295
226/1	0.252	0.252
226/2	1.230	1.230
227/1/1	0.512	0.512
227/1/2	0.512	0.512
227/1/3	0.512	0.512
227/1/4	0.512	0.512
227/2	0.080	0.080
228/1	0.589	0.589
228/2	0.589	0.589
228/3	0.589	0.589
228/4	0.588	0.588
229/1/1	0.785	0.785
229/1/2	0.789	0.789
229/2	0.809	0.809
229/3	0.405	0.405
230/1/1	0.324	0.324
230/1/2	0.202	0.202
230/2	0.255	0.255
231	1.769	1.769
232	1.779	1.779
233/1/1	0.988	10.01
233/1/2	0.600	
233/1/3	0.600	
233/1/4	0.300	
233/1/5	0.520	
233/2	1.000	
233/3	1.000	
233/4	1.000	
233/5	0.486	
233/6	1.000	
233/7	1.000	
233/8/1	0.040	
233/8/2	1.174	
233/9	1.000	
233/10	1.000	

234	0.656	0.656
235	0.530	0.530
237/1	0.809	0.809
237/2	3.767	3.767
238/1/1/1	0.121	2.850
238/1/1/2	0.365	
238/1/1/3	0.121	
238/1/3	0.607	
238/2/2	1.000	
238/2/3	1.000	
238/2/4	1.000	
238/2/5	1.000	
238/2/6	1.000	
238/2/7	1.000	
238/2/8	1.000	
238/2/9	1.000	
238/2/10	1.000	
240/1/1	0.162	
240/1/2	1.149	1.149
240/2/1	0.709	0.709
240/2/2	0.101	0.101
241/1/1	0.101	0.101
241/1/2	0.377	0.377
241/2/1	0.910	0.910
241/2/2	0.304	0.304
242	1.627	1.627
243	0.506	0.506
247/213	0.736	0.736
248/41	0.299	0.081
250/41	0.486	0.405
257/213	0.117	0.117
258/219	0.283	0.283

		259/220	0.129	0.129			
		264/61/1	0.405	0.405			
		264/61/2	0.150	0.150			
		265/184/1/1	0.323	2.431			
		265/184/1/2	0.607				
		265/184/1/3/1	0.257				
		265/184/1/3/2	0.202				
		265/184/2/1	0.482				
		265/184/2/2	0.477				
		265/184/3/1	0.323				
		265/184/3/2	0.133				
		265/184/3/3	0.040				
		265/184/5	0.000				
		265/184/6	0.133				
		265/184/7	0.041				
		266/205/1	0.518		0.518		
		266/205/2	0.817		0.817		
		कुल					

नोट - भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 2432/ अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

- (1) - भूमि का विवरण ।
 (क) - जिला रायसेन ।
 (ख) - तहसील / तालुका बेगमगंज ।
 (ग) - ग्राम सेमरा

--अनुसूची--

--भूमि का विवरण--

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	सेमरा	2	0.308	0.308	कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मंडिया बंध से डूब प्रभावित हेतू
			3/1/1	0.182	0.182		
			3/1/2	0.182	0.182		
			3/2	0.360	0.360		
			3/3/1	0.551	0.551		
			3/3/2	0.052	0.052		
			4/1	0.150	0.150		
			4/2	0.154	0.154		
			5/1/क 67, 68 69, 70/2	3.286	0.486		
			5/2/3/2 शा.न. 13/1, 18/1, 67 68,69, 70]	0.809	0.178		

5/2/ख शा.न. 13/1, 18/1, 67, 68, 69, 70/3/1/1/1	0.859	0.389
5/2/ग शा.न. 13/1, 18/1, 67, 68, 69, 70/3/1/1/2	0.809	0.186
5/2/घ 13/1, 18/1, 67, 68, 69, 70/3/1	0.607	0.141
5/2/ङ शा.न. 13/1, 18/1, 67, 68, 69, 70/3/1/2	0.202	0.049
5/3 11/1 13/2 18/2	3.035	0.384
5/3/च 11/1 13/2 18/2	3.035	0.234
7	0.089	0.089
8/1	0.736	0.736
8/2	0.736	0.736
9	0.291	0.291
10/1/1 शा.न. 23	1.458	0.858
10/1/2	1.756	0.870
10/2/1 शा.न. 23 19	1.724	0.376
10/2/2 शा.न. 23	1.724	0.344
10/3 शा.न. 23 19	0.101	0.101
10/4 23	0.202	0.202
10/5, 23	0.999	0.769
11/2/1	2.930	2.857
11/2/2	1.926	0.201
12/1/1	0.134	0.134
12/1/2	0.133	0.133

12/2	0.267	0.267
12/3	0.494	0.494
13/3/1	0.283	0.283
13/3/2	0.486	0.486
14	0.202	0.202
15	0.433	0.290
16	0.166	0.166
17	0.251	0.157
22/1	1.161	0.016
22/2/1	0.809	0.283
22/2/2	1.509	1.214
22/2/3	0.183	0.126
24/1/1	0.287	0.016
24/1/2/1	0.147	0.056
24/2	0.712	0.471
24/3/1	0.429	0.429
24/3/2	0.242	0.242
26/1	0.056	0.056
26/2	0.242	0.242
30	0.534	0.534
39/1,39/2	0.275	0.275
39/3	0.405	0.405
40/1	0.421	0.393
40/2	0.417	0.417
67/1/1शा0न0 68 69.70	1.516	0.048
67/1/2शा0न0 68 69.70	1.512	0.057
67/2,68.69. 70/1	1.512	0.192
342/34/2	0.580	0.020
कुल		

नोट - भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 34 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

- (1) - भूमि का विवरण ।
 (क) - जिला रायसेन ।
 (ख) - तहसील / तालुका बेगमगंज ।
 (ग) - ग्राम माला

--अनुसूची--

--भूमि का विवरण--

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	माला	69	0.765	0.049	कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर	बीना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मंडिया बाँध से डूब प्रभावित हेतू
			84	0.332	0.012		
			85	0.166	0.041		
			87/1/2	0.279	0.048		
			94	0.741	0.020		
			95	1.955	1.931		
			97/1	1.631	1.631		
			97/2	1.214	1.214		
			99/1	1.097	1.097		
			99/2/1	0.607	0.607		
			99/2/2	0.502	0.502		
			99/3	0.266	0.266		
			100/1	1.175	0.124		
			100/2	1.760	1.760		
			100/3/1	1.618	1.618		
			100/3/2/1	0.733	0.644		
			100/3/2/2	1.695	1.615		
			101	5.419	5.419		
			102/1/1	1.214	1.214		
			102/1/2	1.214	1.214		
102/1/3	1.214	1.214					
102/1/4	0.684	0.684					
102/2	1.214	1.032					
103/1	0.097	0.097					

103/2	0.161	0.081
103/3	1.630	0.434
103/4/1	0.405	0.226
103/4/3	0.405	0.020
103/4/4	0.112	0.020
104/1	0.227	0.227
104/2	0.198	0.198
104/3	0.041	0.041
105/1	0.517	0.517
105/2	1.012	1.012
105/3	1.012	1.012
105/4	1.012	1.012
106/1	0.129	0.129
106/2	0.611	0.611
106/3	0.275	0.275
107/1	0.299	0.299
107/2	0.041	0.041
108	1.271	1.271
110/1	0.203	0.203
110/2	0.198	0.198
110/3	0.632	0.632
110/4	0.198	0.198
110/5	0.203	0.203
111	0.040	0.040
112	0.129	0.129
113/1/1	1.149	1.149
113/1/2/1	0.137	0.137
113/1/2/2	1.012	1.012
113/2	0.930	0.930
114	2.526	2.526
115		
116		
117/2	0.809	0.081
121/1	8.649	0.671
121/2	3.446	0.647
122/1/1	0.570	0.570
122/1/2	0.547	0.547
122/2	1.660	1.660
122/3	1.890	1.890
122/4/1	0.405	0.405
122/4/2	2.023	2.023
123/1	0.324	0.324
123/2	0.324	0.324
123/3	0.538	0.538
123/4	0.534	0.534
124/1	0.233	0.233
124/2	0.237	0.237
124/3	0.237	0.237
124/4	0.237	0.237
125	0.862	0.862

126/1/1	0.702	0.702
127		
126/1/2	0.165	0.165
127		
126/2	1.619	1.619
127		
127	0.001	0.001
126		
134/1	0.355	
134/2/1	0.567	0.870
134/2/2	0.809	
134/3	1.420	
274/2	3.103	0.170
274/3/1	3.760	0.121
274/3/2	2.023	1.950
279/1	0.263	0.040
279/2	0.405	0.405
281	0.409	0.389
287	0.595	0.121
288	2.424	2.404
289/1	2.343	1.473
289/2	2.342	0.068
335/1	0.607	0.547
335/2	1.011	0.020
336/1	1.522	1.498
336/2/1	1.246	0.902
336/2/2	1.652	0.032
337	0.125	0.125
338	0.081	0.081
339	0.219	0.219
340	1.125	1.125
341		
342	1.550	1.550
शा. न. 343		
344	0.036	0.036
345	2.108	1.428
346	4.326	4.326
347	1.189	1.189
348	0.611	0.611
349	0.494	0.494
350/1	1.198	1.198
350/2	0.809	0.809
352	1.485	1.485
353	1.906	1.906
354/2	0.162	0.162
355	1.226	1.226
356	2.331	2.331
357	0.502	0.502
358/1	0.304	0.304
बीड		
358/2	0.154	0.154
359/1	1.190	1.190
359/2	0.704	0.704
360	0.983	0.983
361	1.291	1.291
362	0.959	0.959
363	1.028	1.028
364	0.316	0.316
365	0.518	0.518
366	1.291	1.291
कुल		

नोट - भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 34 / अ-82/21-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

- (1) - भूमि का विवरण ।
- (क) - जिला रायसेन ।
- (ख) - तहसील / तालुका बेगमगंज ।
- (ग) - ग्राम माला

--अनुसूची--

--भूमि का विवरण--

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	भाला	69	0.765	0.049	कार्यपालन यंत्री	बीना सिचाई परियोजना के अंतर्गत मंडिया बाँध से डूब प्रभावित हेतू
			84	0.332	0.012	बीना परियोजना	
			85	0.166	0.041	जल संसाधन	
			87/1/2	0.279	0.048	संभाग राहतगढ़	
			94	0.741	0.020	जिला सागर	
			95	1.955	1.931		
			97/1	1.631	1.631		
			97/2	1.214	1.214		
			99/1	1.097	1.097		
			99/2/1	0.607	0.607		
			99/2/2	0.502	0.502		
			99/3	0.266	0.266		
			100/1	1.175	0.124		
			100/2	1.760	1.760		
			100/3/1	1.618	1.618		
			100/3/2/1	0.733	0.644		
			100/3/2/2	1.695	1.615		
			101	5.419	5.419		
			102/1/1	1.214	1.214		
			102/1/2	1.214	1.214		
			102/1/3	1.214	1.214		
			102/1/4	0.684	0.684		
			102/2	1.214	1.032		
			103/1	0.097	0.097		

103/2	0.161	0.081
103/3	1.630	0.434
103/4/1	0.405	0.226
103/4/3	0.405	0.020
103/4/4	0.112	0.020
104/1	0.227	0.227
104/2	0.198	0.198
104/3	0.041	0.041
105/1	0.517	0.517
105/2	1.012	1.012
105/3	1.012	1.012
105/4	1.012	1.012
106/1	0.129	0.129
106/2	0.611	0.611
106/3	0.275	0.275
107/1	0.299	0.299
107/2	0.041	0.041
108	1.271	1.271
110/1	0.203	0.203
110/2	0.198	0.198
110/3	0.632	0.632
110/4	0.198	0.198
110/5	0.203	0.203
111	0.040	0.040
112	0.129	0.129
113/1/1	1.149	1.149
113/1/2/1	0.137	0.137
113/1/2/2	1.012	1.012
113/2	0.930	0.930
114	2.526	2.526
115		
116		
117/2	0.809	0.081
121/1	8.649	0.671
121/2	3.446	0.647
122/1/1	0.570	0.570
122/1/2	0.547	0.547
122/2	1.660	1.660
122/3	1.890	1.890
122/4/1	0.405	0.405
122/4/2	2.023	2.023
123/1	0.324	0.324
123/2	0.324	0.324
123/3	0.538	0.538
123/4	0.534	0.534
124/1	0.233	0.233
124/2	0.237	0.237
124/3	0.237	0.237
124/4	0.237	0.237
125	0.862	0.862

126/1/1	0.702	0.702
127		
126/1/2	0.165	0.165
127		
126/2	1.619	1.619
127		
127	0.001	0.001
126		
134/1	0.355	
134/2/1	0.567	0.870
134/2/2	0.809	
134/3	1.420	
274/2	3.103	0.170
274/3/1	3.760	0.121
274/3/2	2.023	1.950
279/1	0.263	0.040
279/2	0.405	0.405
281	0.409	0.389
287	0.595	0.121
288	2.424	2.404
289/1	2.343	1.473
289/2	2.342	0.068
335/1	0.607	0.547
335/2	1.011	0.020
336/1	1.522	1.498
336/2/1	1.246	0.902
336/2/2	1.652	0.032
337	0.125	0.125
338	0.081	0.081
339	0.219	0.219
340	1.125	1.125
341		
342	1.550	1.550
शा. नं 343		
344	0.036	0.036
345	2.108	1.428
346	4.326	4.326
347	1.189	1.189
348	0.611	0.611
349	0.494	0.494
350/1	1.198	1.198
350/2	0.809	0.809
352	1.485	1.485
353	1.906	1.906
354/2	0.162	0.162
355	1.226	1.226
356	2.331	2.331
357	0.502	0.502
358/1	0.304	0.304
बीड		
358/2	0.154	0.154
359/1	1.190	1.190
359/2	0.704	0.704
360	0.983	0.983
361	1.291	1.291
362	0.959	0.959
363	1.028	1.028
364	0.316	0.316
365	0.518	0.518
366	1.291	1.291
कुल		

नोट - भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 11057-भू-अर्जन-2021-अ.वि.अ.कुक्षी का प्र.क्र. 04-अ-82-2020-21

धार, दिनांक 22 नवम्बर 2021

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में थाना तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम घुड़दलिया तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (01)

ग्राम - घुड़दलिया		तहसील - कुक्षी		
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	थाना तालाब योजना में प्रभावित होने से	0.655	0.000	0.655
	योग	0.655	0.000	0.655

अनुसूची (02)

थाना तालाब योजना में अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - घुड़दलिया		तहसील - कुक्षी						
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सूरपसिंह पिता नानका जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	68/1	0.655	0.000	0.655	0.655	0.000	0.655
	योग:-		0.655	0.000	0.655	0.655	0.000	0.655

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र- 53-82-भू-अर्जन-21-11911

सागर दिनांक 03 दिसम्बर 2021

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम :- बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला सागर
2. तहसील राहतगढ़
3. ग्राम परासरी खुर्द
4. पटवारी हल्का नं. 10
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 152.300

:: अनुसूची -01::

स. क्र.	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)			भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ऋषिराज बल्द सुखलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	3 64/1/1	1.150 0.220	1.150 0.220	0.000 0.000	0.000 0.000	1 कोहा, 1 उमर
2	अरविंद, राजेश, गजराज पिता मुंशीलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	4/1 7 73	0.880 0.610 0.030	0.880 0.610 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.030	1 उमर 2 बेरी, 1 बेरी डूट, 1 पीपल, 1 नीम, 2 बमूरा
3	रामबाबू बल्द हरिशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	4/2 5 12 16/1 47 68	0.110 0.950 0.140 1.650 0.360 1.220	0.110 0.950 0.140 1.650 0.360 1.220	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	
4	कुंजीलाल पुत्र मिहीलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र01/2 भाग भूमि स्वामी रामरानी बेवा मिहीलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1/1	0.170	0.170	0.000	0.000	1 पीपल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	महेश पुत्र मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी छोटू पुत्र मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी नोनीबाई बेवा मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई पुत्री मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी राजबाई पुत्री मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0 प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी पूजाबाई पुत्री मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1/2	0.170	0.170	0.000	0.000	
6	फूलसींग पुत्र आलम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	6/1/3	0.170	0.170	0.000	0.000	
7	जैबाई पुत्री आलम पता सा. दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	6/1/4	0.160	0.160	0.000	0.000	
8	अशोक बल्द रामप्रसाद निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.670	0.670	0.000	0.000	
			94/4	1.600	1.600	0.000	0.000	
			97/2	1.190	1.190	0.000	0.000	1 द्यूववेल, 1 जामुन, 2 अमरुद, 2 आम, 2 आवला, 2 बेरी, 16 सागीन, 2 बांस का घेरा
			102/2	0.770	0.770	0.000	0.000	1 द्यूववेल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	<p>राजेश पुत्र जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी रामप्यारी पुत्री जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी मथुराबाई पुत्री जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी कुवरबाई बेवा जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी कसिया पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी हल्केई पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी नत्थू पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी रामसींग पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी रवीदास पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी प्रमा पुत्री कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी दसोदा बेवा कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी पुनिया बेवा पंचा पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी</p>	भूमि स्वामी	6/3	0.500	0.500	0.000	0.000	
								2 रैंजा
10	<p>सुमत्रा बाई पुत्री रामसींग पता सा. ककरूवा भूमिस्वामी</p>	भूमि स्वामी	9/1	0.760	0.760	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	हरिशंकर पिता अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	9/2	0.750	0.750	0.000	0.000	
			15/2	1.210	1.210	0.000	0.000	
			15/4	2.020	2.020	0.000	0.000	
			28/1	2.320	2.320	0.000	0.000	1 आम, 1 बेरी, 3 बमूरा
			28/2	2.430	2.430	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 तालाब 1 छेवला
			28/3	0.810	0.810	0.000	0.000	
			28/4	2.400	2.400	0.000	0.000	
			41	0.200	0.000	0.000	0.200	
12	श्यामबाबू बल्द हरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	11	0.400	0.400	0.000	0.000	
			15/1	2.230	2.230	0.000	0.000	
			15/3	1.820	1.820	0.000	0.000	
			16/2	0.400	0.400	0.000	0.000	
			24	0.120	0.000	0.000	0.120	
			42	0.210	0.210	0.000	0.000	
13	रामसींग पिता कड़ोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी विनोद पिता करोड़ी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी प्रेम पिता कड़ोरी पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी सनमान पिता कड़ोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग प्रेमनारायण पिता कड़ोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी किरण पुत्री कड़ोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी अंगूरीबाई बेवा कड़ोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17	0.070	0.000	0.000	0.070	
			44	0.950	0.950	0.000	0.000	1 आम
			66	0.030	0.000	0.000	0.030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	प्रकाश पिता सूरतसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	19	0.940	0.940	0.000	0.000	3 बेरी, 1 बेल, 3 छेवला
15	युवराज नरेन्द्र नावा बल्द बली पि. प्रकाश पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	20	0.940	0.940	0.000	0.000	1 बेरी, 1 छेवला, 1 उमर
			21	0.510	0.510	0.000	0.000	3 छेवला
			22	2.880	2.880	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 3 छेवला, 1 बमूरा
			69/1	0.310	0.302	0.000	0.008	9 बमूरा
			70/1	0.020	0.020	0.000	0.000	
16	हल्कई बल्द परम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	25	0.020	0.000	0.000	0.020	1 जामुन, 2 बमूरा, 1 शोबबूल
17	काशीराम बल्द श्यामा पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	39/2	0.800	0.800	0.000	0.000	1 आम, 2 कोहा
18	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40	1.610	1.610	0.000	0.000	
			89	0.680	0.645	0.000	0.035	2 बमूरा, 1 शोबबूल, 1 बांस का घेरा
19	रघुराज प्यारेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	46	0.340	0.340	0.000	0.000	
			50/5	0.060	0.060	0.000	0.000	
			91/1	0.010	0.000	0.000	0.010	
20	सुखदेव पिता पवन जाति लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	1.760	1.760	0.000	0.000	
21	लक्ष्मण पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	50/1	0.150	0.150	0.000	0.000	
			114/3	0.270	0.270	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	मलखान पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	50/2	0.420	0.000	0.000	0.420	
23	गुवरधन पिता ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी राजेश पिता ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी प्रेमनारायण पिता ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी श्यामाबाई बेवा ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी लक्ष्मी पुत्री ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी अंगूरी पुत्री ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/3	0.420	0.420	0.000	0.000	1 कोहा
24	दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	50/4	0.420	0.420	0.000	0.000	2 आम,
			91/2	0.010	0.000	0.000	0.010	
25	सेवक पिता हजारी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	51	0.500	0.500	0.000	0.000	1 छेवला झूट, 2 रेंजा, 1 कोहा, 1 उमर
			93/1	0.550	0.550	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 1 बमूरा, 3 महुआ
			117	0.200	0.200	0.000	0.000	
26	भगवानसींग ना.बा. बल्द बली पृथ्वीराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	52	0.520	0.520	0.000	0.000	
			53	0.510	0.510	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	शोभाराम बल्द अमरसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	54/1	0.740	0.740	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
			76	0.010	0.000	0.000	0.010	
			141	2.340	2.337	0.000	0.003	1 पक्का कुआ, 4 आंवला, 2 अमरुद, 4 आम, 1 बेल, 2 छेवला, 1 नीम, 1 रुसल्ला
			142/1	0.600	0.600	0.000	0.000	
			155	0.300	0.300	0.000	0.000	1 कोहा
28	अशोक, महाराजसींग, पन्ननालाल पिस. रामप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	54/2	1.140	1.140	0.000	0.000	1 द्यूवेल, 4 कोहा, 3 उमर, 3 छेवला
29	रामप्रसाद पिता मूलचंद पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/1/2	0.210	0.210	0.000	0.000	
30	कुवेरसिंह पिता बंदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भूमि स्वामी भारतसींग पिता बंदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुत्री बंदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/4 भाग भूमि स्वामी शिवरानी चर्फ चंदाबाई बेवा बंदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/2	0.110	0.110	0.000	0.000	
			77	0.020	0.020	0.000	0.000	
			78	0.020	0.020	0.000	0.000	
			79	0.030	0.030	0.000	0.000	
			80	0.030	0.030	0.000	0.000	
			101/1	0.670	0.644	0.000	0.026	7 आंवला, 1 जामुन, 2 आम, 1 बहेरा, 3 सागौन, 2 शोबबूल, 1 नीम
			107/3 107/4	5.090	5.090	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 रुसल्ला, 2 छेवला, 1 छेवला झूट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	पृथ्वीसिंह बल्द सूरतसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	69/2	0.160	0.151	0.000	0.009	1 बेरी, 6 बमूरा, 1 सागौन
			70/3	0.010	0.010	0.000	0.000	
			75	0.840	0.840	0.000	0.000	1 बेरी, 2 बमूरा, 3 बबूल
			84/2	0.020	0.020	0.000	0.000	1 रुसल्ला, 1 पीपल
			108	0.520	0.520	0.000	0.000	13 छेवला, 3 कोहा, 1 उमर, 1 बहेरा
			109/2	0.970	0.970	0.000	0.000	1 उमर, 1 गुरार, 3 छेवला, 1 बमूरा
			136/2	2.700	2.700	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 नीम, 2 रुसल्ला, 1 छेवला
			137/3	3.000	3.000	0.000	0.000	
32	महादेव बल्द सूरतसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	69/3	0.150	0.100	0.000	0.050	2 बेरी, 1 इमली, 1 आम, 6 बमूरा
			70/2	0.010	0.006	0.000	0.004	
			84/1	0.030	0.030	0.000	0.000	
			109/1	0.520	0.520	0.000	0.000	2 कोहा, 1 छेवला
			112	1.780	1.780	0.000	0.000	1 बेरी झूट, 7 छेवला, 1 उमर, 1 बमूरा, 1 रुसल्ला
			135	0.770	0.770	0.000	0.000	1 द्यूवेल, 1 रेंजा, 8 छेवला
			136/1	2.710	2.710	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 द्यूवेल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	कमलेश भगवानदास पिता बबू प्रेमरानी बेवा बबू पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	81	0.090	0.078	0.000	0.012	1 द्यूववेल, 2 बेरी, 1 अमरुद, 1 कटहल, 1 आम, 1 रुसल्ला जूट
34	महराजसींग, अशोकसींग पिता रामप्रसाद गीताबाई पत्नी पन्नालाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	82	0.010	0.010	0.000	0.000	
35	फूलरानी बेवा सिरदारसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	83	0.070	0.070	0.000	0.000	1 बेरी,
36	छोटेराल शिवराज ना.बा. पिता सिरदार बली मा खुद फूलरानी पति शिवराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86	0.040	0.029	0.000	0.011	1 बेरी, 1 बबूल
			87	1.090	1.090	0.000	0.000	1 बेरी, 4 बमूरा
			116	0.160	0.160	0.000	0.000	1 रेंजा
37	पवन पिता हरिराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	90	0.030	0.005	0.000	0.025	
			113	1.490	1.490	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
38	मानसींग पिता प्यारेराल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	114/1	0.420	0.420	0.000	0.000	1 द्यूववेल, 1 नीम
			91/3	0.010	0.000	0.000	0.010	
39	सूरतसिंह पिता मूलचन्द्र पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	92	0.180	0.180	0.000	0.000	1 द्यूववेल
40	मूलामसींग पिता हजारीलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	93/2	1.600	1.600	0.000	0.000	4 आंवला, 1 बेरी
41	रामप्रसाद पिता मूलचन्द्र पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	94/1	0.370	0.370	0.000	0.000	
42	दीपेश अनिकेश बल्द पन्नालाल पता सा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	94/2	2.000	2.000	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	सदीप बल्द महाराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	94/3	1.600	1.600	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
44	मरत कुवरसींग पिता बद्दीप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	95/1	2.350	2.350	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी,
			100/2	1.180	1.180	0.000	0.000	
			104	0.720	0.720	0.000	0.000	1 छेवला
45	रोहित बल्द विष्णुप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	95/2	2.350	2.350	0.000	0.000	कच्चा कुआ 1
			138/2	0.500	0.500	0.000	0.000	
			139/1	0.330	0.330	0.000	0.000	
			139/2	1.220	1.220	0.000	0.000	1 बमूरा, 1 छेवला, 1 कोहा
			139/4	0.070	0.000	0.000	0.070	
46	जाह्द अली पिता कुदरत अली पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	96/1	0.840	0.840	0.000	0.000	1 छेवला
			100/1	0.070	0.070	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
			103	0.850	0.850	0.000	0.000	
47	पन्नालाल बल्द रामप्रसाद पता सा. सागर भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	96/2	1.610	1.610	0.000	0.000	
			132	0.610	0.610	0.000	0.000	
			133	0.050	0.000	0.000	0.050	
			134/1	1.620	1.620	0.000	0.000	
			134/2	0.190	0.190	0.000	0.000	
48	महाराजसींग बल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	97/1	1.190	1.190	0.000	0.000	
			102/1	0.780	0.780	0.000	0.000	
			131/3	0.800	0.800	0.000	0.000	2 छेवला
			131/4	0.500	0.500	0.000	0.000	
			145/2	0.400	0.400	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	नरसिंह बल्द महादेव पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	98	1.180	1.180	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 द्यूववेल, 3 बेरी, 2 नीवू, 1 आम, 3 अमरुद, 1 छेवला, 10 सागौन
50	राधाबाई बेवा अमरसींग मल्लीबाई पुत्री अमरसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	99	0.050	0.050	0.000	0.000	2 बेल,
51	विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	106	0.220	0.188	0.000	0.032	
			107/1	2.020	2.020	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 7 आम, 1 अमरुद, 2 बमूरा
			107/2	3.080	3.080	0.000	0.000	7 छेवला
			110/1	0.290	0.290	0.000	0.000	1 छेवला
			110/2	0.290	0.290	0.000	0.000	
52	नब्बोबाई बेवा प्यारेलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	114/2	0.810	0.810	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 1 उमर
53	श्री महावीरस्वामी मौजा देह मु. खूबसींग प्रबंधक कलेक्टर महो. सागर पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	118	2.520	2.520	0.000	0.000	
54	भगवासींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	120	0.060	0.060	0.000	0.000	
			121	0.090	0.090	0.000	0.000	3 कोहा, 1 छेवला
			122/1	0.140	0.140	0.000	0.000	4 आम, 1 जामुन
			125	0.600	0.600	0.000	0.000	1 बेरी, 3 कोहा, 1 छेवला
			137/1	1.210	1.192	0.000	0.018	1 पक्का कुआ, 4 जामुन, 3 अमरुद, 3 आम, 2 बेरी, 2 बमूरा, 1 कोहा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	महेश बल्द हरीसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	122/2	0.300	0.300	0.000	0.000	1 द्यूववेल, 8 आम, 3 कोहा, 1 चिरॉल डूट, 1 सागौन
			123/1	0.300	0.300	0.000	0.000	3 कोहा, 1 खैर
			123/2	0.300	0.300	0.000	0.000	
			137/2	1.210	1.210	0.000	0.000	1 कोहा
56	राकेश बल्द प्रेमसींग पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	126/1	2.000	2.000	0.000	0.000	1 बेरी, 2 कोहा
57	सूरजबाई पति प्रेमसींग पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	126/2	2.000	2.000	0.000	0.000	1 पक्का कुआ,
58	प्रेमसींग बल्द तुलसीराम पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	126/3	0.810	0.810	0.000	0.000	2 बेरी, 1 छेवला, 2 रेंजा
59	आमिर खान ना.बा. बल्द ब बली इस्माईल खान पता निवासी ककरूवा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	128/1	0.430	0.430	0.000	0.000	
			128/2	0.300	0.300	0.000	0.000	
60	छोटेखां पिता अमीर खां पता सा. ककरूवा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	129	1.600	1.600	0.000	0.000	6 बेरी, 3 रेंजा, 2 छेवला
61	हरीसींग पिता पूरन पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	130	1.350	1.350	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 रेंजा, 2 छेवला, 1 पीपल+छेवला, 2 उमर
62	मथुराप्रसाद बल्द हल्के पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	131/1	0.400	0.400	0.000	0.000	3 छेवला
63	लक्ष्मन वा रगवर नेतराम नरेश ना.बा. पिता शेवप्रसाद सुदामाबाई सुहागबाई प्रीतिबाई ना.बा. पुत्रियां शेवप्रसाद बली ब खुद मा उषाबाई बेवा शेवप्रसाद पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	131/2	0.710	0.710	0.000	0.000	
64	जीवन बल्द बाबूलाल पता सा. छीरखेड़ा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	134/3	1.620	1.620	0.000	0.000	5 बेरी, 2 रेंजा, 1 सेमर
			134/4	0.850	0.850	0.000	0.000	1 छेवला
65	महराजसींग बल्द सुंदरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	138/1	2.000	2.000	0.000	0.000	1 द्यूववेल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	खूबसींग पिता शोभाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	139/3	0.820	0.820	0.000	0.000	
			151/1	0.810	0.810	0.000	0.000	2 आम
67	रमकेश बल्द शोभाराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	140	0.100	0.100	0.000	0.000	
			151/2	1.210	1.210	0.000	0.000	2 आम
68	पूनाबाई पुत्री भगोनी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	142/2	1.470	1.470	0.000	0.000	1 उमर, 2 कोह
69	रामवती पिता भगोनी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	142/3	1.470	1.470	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
70	दुर्गा अनंदि पिस. छुट्टी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	143	1.200	1.200	0.000	0.000	1 द्यूवेल, 3 आम, 1 जामुन, 2 इमली, 3 अमरुद, 3 बेरी, 3 उमर, 2 नीम, 1 रूसल्ला, 1 बमूरा, 1 छेवला, 2 बांस का घेरा
71	हरीचरण पुत्र खिलान जाति कुर्मी पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	144/1	0.820	0.820	0.000	0.000	2 अमरुद, 2 नीवू, 1 नीम
			101/2	0.800	0.800	0.000	0.000	
72	रामशंकर वल्द हरिचरण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	144/2	1.800	1.800	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 3 बेरी, 1 छेवला
73	दामोदर पिता अजुदी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	145/1/1	0.290	0.268	0.000	0.022	6 आम, 3 आंवला, 3 नीवू, 1 जामुन, 1 कटहल, 3 उमर
74	वीरसिंह पिता अजुदी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0. 1/2 भाग भूमिस्वामी दिनेश, नाबा पिता कम्मोद बली मां प्रेमरानी बेवा कम्मोद पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी गोलू नावा पिता कम्मोद बली मा प्रेमरानी बेवा कम्मोद पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमि स्वामी शारदा नाबा पुत्री कम्मोद वली मां प्रेमरानी बेवा कम्मोद पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमि स्वामी आरतीबाई नाबा पुत्री कम्मोद बली मां प्रेमरानी बेवा कम्मोद पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी देवाबाई नाबा पुत्री कम्मोद बली मां प्रेमरानी बेवा कम्मोद पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	145/1/2	0.510	0.510	0.000	0.000	2 आम, 1 जामुन,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	जमना बल्द भगोनी विद्याबाई पति जमुना पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था	भूमि स्वामी	146/2	0.800	0.800	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 आम,
76	उधम बल्द बाबूलाल संतोषरानी पति उधम पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था	भूमि स्वामी	146/3	0.800	0.800	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
77	आजादरानी पत्नी प्रकाशशींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	147/1	0.1800	0.1800	0.000	0.000	1 बेरी,
			147/3	1.140	1.140	0.000	0.000	
78	रमेश कुमार पिता बाबूलाल पता सा.राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	147/2	2.020	2.020	0.000	0.000	कच्चा कुआ 1
79	युवराज ना.बा.बल्द बली प्रकाशशींग पता सा. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	147/4	1.620	1.620	0.000	0.000	कच्चा कुआ 1
80	गोविंद बल्द गौरी पता सा. भबूकाबारी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	150	0.550	0.550	0.000	0.000	
81	नर्मदाप्रसाद पिता शोभाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	151/3	1.210	1.210	0.000	0.000	2 आम, 1 पीपल
82	हैदरअली बल्द हसनअली पता सा. ककरूवा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	152/1	1.950	1.950	0.000	0.000	
			153	0.030	0.000	0.000	0.030	
			156/1	0.110	0.110	0.000	0.000	
83	सयैद अरशद अली पिता सैयद हसन अली पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	152/2	1.980	1.980	0.000	0.000	
		भूमि स्वामी	156/2	0.100	0.100	0.000	0.000	
			184	152.300	150.965	0.000	1.335	

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एवं मकान इत्यादि का विवरण

स. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुम्ब
1	2	3	4	5	6	7
1	हल्कई बल्द परम पता सा.देह भूमिस्वामी	जितेंद्र पिता गोपाल अहिरवार	25	कच्चा कमरा	48.93	निरंक
				बरामदा कच्चा	34.72	
				गाय सार खपरैल	8.19	
				ऑगन कच्चा	29.44	
				WC PMGSY	1.32	
2	(शासकीय) हरिबाई पति राजू चढ़ार	हरिबाई पति राजू चढ़ार	72	कच्चा कमरा	16.50	निरंक
				गाय सार	12.18	
				बरामदा पन्नी	16.10	
				ऑगन कच्चा	17.50	
3	युवराज नरेन्द्र नावा बल्द बली पि. प्रकाश पता सा. देह भूमिस्वामी	नरेन्द्र बल्द प्रकाश	69/1	गाय सार	65.61	निरंक
				पर्छी खुली पन्नी	14.85	
				पक्का शौचालय W.C.	1.50	
4	महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	महादेव / सूरतसींग	69/3	कच्चा मकान	147.13	निरंक
				ऑगन कच्चा	10.92	1. नरसिंह पिता महादेव
				W.C.	0.38	2. प्रशांत पिता महादेव
5	महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी		70/2	गायशाला	44.66	
6	महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	पृथ्वीसींग / सूरतसींग	69/3	कच्चा मकान	147.13	निरंक
				ऑगन कच्चा	10.92	1. भगवानसींग पिता पृथ्वीरांज
				W.C.	0.38	2. रामजी कुर्मी पिता पृथ्वीसींग

स. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब	
1	2	3	4	5	6	7	
7	महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	प्रकाश/ सूरतसींग	69/3	कच्चा मकान	147.13	निरंक	
				ऑगन कच्चा	10.92		
					7.68		1.. युवराज पिता प्रकाश
					W.C.		
8	पृथ्वीसिंह बल्द सूरतसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	पृथ्वीसींग/ सूरतसींग	69/2	कच्चा मकान	57.96	निरंक	
				टीन सेट	25.80		
				W.C.	7.52		
9	पवन पिता हरिराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	पवन बल्द हरिराम	90	कच्चा मकान वरामदा	75.71	निरंक	
				ऑगन कच्चा	23.94		
					23.69		
				नहानी W.C.	6.58		सुखदेव पिता पवन सींग
				पक्का शौचालय W.C. PMGSY	1.82		
10	पवन पिता हरिराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अखिलेश बल्द मनमोहन सिंह	90	कच्चा कमान	18.42	निरंक	
					25.45		
				बरामदा	15.21		
				गाय सार	18.77		
					16.95		
				ऑगन कच्चा	23.56		
11	दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	दलीप बल्द प्यारेलाल	91/2	पक्का मकान	26.57	निरंक	
				ऑगन कच्चा	2.88		
						1.. कैलाश लोधी पिता दलीप	
						1.. रीना लोधी पिता दलीप	

स. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
12	दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	राकेश पिता दलीप	91/2	कच्चा मकान	47.03	निरंक
					15.84	
				बरामदा	26.98	
				ऑगन कच्चा	13.91	
				नहानी	4.46	
				W.C.	1.35	
13	मानसींग पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	मानसींग बल्द प्यारेलाल	91/3	कच्चा मकान	32.78	निरंक
				बरामदा	18.29	1. चन्द्रेश पिता मानसींग
				पन्नी वरामदा	15.75	
					20.54	
				ऑगन कच्चा	7.98	
14	रघुराज प्यारेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	रघुराज बल्द प्यारेलाल	91/1	कच्चा मकान	9.86	निरंक
					34.77	
				बरामदा	20.58	
					33.78	
				ऑगन कच्चा	7.44	
				W.C.	1.50	
15	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	गोविंद बल्द गौरी	89	पक्का मकान	35.96	निरंक

स. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
16	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	नरेश पिता गोविंद	89	कच्चा मकान खपरैल	8.29	निरंक
					1.87	
					7.56	
					5.95	
				बरामदा खपरैल	6.09	
				बरामदा खपरैल	5.31	
				गाय सार खपरैल	9.78	
				नहानी कच्ची	1.38	
				शौचालय पक्की	0.57	
17	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	कल्याण पिता गोविंद	89	कच्चा मकान खपरैल	8.29	निरंक
					1.87	
					7.56	
					5.95	
				बरामदा खपरैल	6.09	
				बरामदा खपरैल	5.31	
				गाय सार खपरैल	9.78	
				नहानी कच्ची	1.38	
				शौचालय पक्की	0.57	
18	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	लक्ष्मीनारायण पिता गोविंद	89	कच्चा मकान खपरैल	8.29	निरंक
					1.87	
					7.56	
					5.95	
				बरामदा खपरैल	6.09	
				बरामदा खपरैल	5.31	
				गाय सार खपरैल	9.78	
				नहानी कच्ची	1.38	
				शौचालय पक्की	0.57	

स. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब	
1	2	3	4	5	6	7	
19	धीरजसिंग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	छोटेराल पिता गोविंद	89	कच्चा मकान खपरैल	8.29	निरंक	
					1.87		
					7.56		
					5.95		
					बरामदा खपरैल		6.09
					बरामदा खपरैल		5.31
					गाय सार खपरैल		9.78
					नहानी कच्ची		1.38
शौचालय पक्की	0.57						
20	धीरजसिंग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	गोपाल बल्द तुलाराम लोधी	89	कच्चा मकान	61.43	निरंक	
					5.70		
					ऑगन कच्चा		13.38
21	कुवेरसिंह पिता बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भूमि स्वामी भारतसिंग पिता बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुत्री बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/4 भाग भूमि स्वामी शिवरानी उर्फ चंदाबाई बेवा बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी	बाबूलाल बल्द हरनाम लोधी	101/1	कच्चा मकान	61.71	निरंक	
					WC		2.89
22	कुवेरसिंह पिता बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भूमि स्वामी भारतसिंग पिता बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुत्री बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/4 भाग भूमि स्वामी शिवरानी उर्फ चंदाबाई बेवा बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी	हरनाम बल्द बैजनाथ लोधी	101/1	कच्चा मकान	78.60	निरंक	
					ऑगन कच्चा		53.94

स. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
23	कुवेरसिंह पिता बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भूमि स्वामी भारतसींग पिता बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुत्री बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/4 भाग भूमि स्वामी शिवरानी उर्फ चंदाबाई बेवा बदीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी	भागचंद बल्द प्राणचंद कुर्मी	101/1	पक्का मकान	24.29	निरंक
				कच्चा मकान	12.60	
					10.50	
				ऑगन कच्चा	14.28	
24	भगवासींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	हरीसींग बल्द पूरनसींग कुशवाह	137/1	कच्चा मकान	88.58	निरंक
				पन्नी सेट	10.20	
					17.10	
25	छोटेला शिवराज ना.बा. पिता सिरदार बली मा खुद फूलरानी पति शिवराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	उधमसींग बल्द बाबूलाल	86	कच्चा मकान	66.63	निरंक
				WC	1.38	1. राजेन्द्र पिता उधमसींग
				ऑगन कच्चा	24.96	2. जितेन्द्र पिता उधमसींग
				पन्नी टपरा	14.19	
26	कमलेश भगवानदास पिता बबू प्रेमरानी बेवा बबू पता सा.देह भूमिस्वामी	कमलेश ,भगवानदास ,संतोष	81	कच्चा मकान	86.45	निरंक
					15.53	प्रियंका विश्वकर्मा
				बरामदा टीन	17.82	
				WC	3.63	

स. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
27	शोभाराम बल्द अमरसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	शोभाराम बल्द अमरसींग	76	गाय सार	14.00	निरंक
				बरामदा सार A C सीट	39.60	
				बरामदा A C सीट	20.72	
				कच्चा मकान	44.06	
				कच्चा मकान	34.04	
				सार पन्नी	26.65	
				W.C. A C Sheet	1.38	
			141	पन्नी छत	18.13	
28	धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी	छोटेलाल शिवराज बल्द सिरदार सींग	89	कच्चा मकान	24.57	निरंक
				परछी पन्नी	18.27	1. विवेक
					6.32	
29	भगवासींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुमित पिता भगवानसींग कुशवाहा	137/1	पक्का मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई टीन सेट	33.21	निरंक
				पक्की दहलान टीन सेट, लोहा पाइप पाया	29.97	
30	दामोदर पिता अजुदी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	गुडडा बल्द दामोदर	145/1	कच्चा मकान खपरैल	12.96	निरंक
					15.12	
				कच्चा मकान टीन की छत	16.81	
				खपरैल रूम	20.50	
				पर्छी पन्नी	19.60	
				W.C. A C Sheet	1.27	
ऑगन कच्चा	19.35					
31	दामोदर पिता अजुदी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	अजमेर पिता दामोदर	145/1	कच्चा मकान खपरैल	22.41	निरंक
				WC PMGSY	1.27	

स. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	आजत सपात का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	द्वारा उडा क तहस प्रगापय कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
32	दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	छोटेलाल पिता दामोदर	145/1	कच्चा मकान खपरैल	12.20	निरंक
					8.33	
				W.C.	1.27	
33	दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	गब्बर पिता दामोदर	145/1	कच्चा मकान खपरैल	29.15	निरंक
					11.25	
				W.C.A.C Sheet	1.27	
34	दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	दामोदर बल्द अजुद्दी	145/1	गाय सार खपरैल	25.13	निरंक
35	विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	मंदिर हनुमान जी	106	पक्का मंदिर	198.81	निरंक
					11.32	
				प्रथम तल गुम्मद	9.61	
36	विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	शाकीय प्राथमिक शाला	106	पक्का स्कूल	50.96	
					13.00	
				W.C. पक्का	10.66	
				Platform	22.14	
	योग-		34		3255.76	

प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ़ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1, 9, 11 एवं 59 रकबा कमशः 5.57, 21.57, 4.12, 7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकबा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/117/18/एम.पी.एस./31/1761/ भोपाल दिनांक 04.10. 2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतु:-

(i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टर रुपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रुपये 2 (दो) लाख प्रति कुआं।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रुपये 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो लो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे।

(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को बिक्रय करने के प्रकरणां में भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे।

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया संहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए।

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रु. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू-खण्ड नहीं लेना चाहता है तो रु. 5.00 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इसके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

(iii) परिवार से आशय है :- (i) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii) विधवा का परिवार।

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए। लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 24/1/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र -52अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-11903

सागर दिनांक 3 दिसम्बर 2021

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम :- हनौता सिंचाई परियोजना
 (2) भूमि का विवरण :-
 1. जिला सागर
 2. तहसील राहतगढ़
 3. ग्राम विनायकी
 4. पटवारी हल्का नं. 3
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 0.490 हेक्टे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित सीवर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	इन्द्रपाल सिंह पिता दलीपसिंह पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/3	1.080	0.110	0.000	0.000	-
2	बहादुर गनेश इन्द्रसिंह वल्द गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/5	0.700	0.000	0.080	0.000	कैम-1 कोहा-5
3	गोदाराम वल्द रतन ऊषाबाई पत्नि गोदाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/6	0.500	0.000	0.090	0.000	बेर-2 जामुन-1 कोहा-5 शूलबबूल-5 रूसल्ला-6
4	समशुलकमर पिता लालमिया पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/7	1.200	0.060	0.000	0.000	ऊगर-1 चिरोल-1 गुरार-1 छेवला-2
5	रामकिशन पिता जगन्नाथ पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/1	0.810	0.000	0.006	0.000	-
6	बारेलाल पि.मनमोहन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/1	0.120	0.016	0.000	0.000	-

7	भगवानसींग पिता हरप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/2	0.120	0.000	0.008	0.000	-
8	राजकुमार पि.रामेश्र्वरप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	0.620	0.000	0.060	0.000	-
9	बिहारीलाल पि.शंकरलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/1	0.080	0.000	0.020	0.000	-
10	अर्जुन उर्फ मथराप्रसाद ना.बा.वल्द व वली अमरतसींग कुर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	2.580	0.040	0.000	0.000	-
	योग		10	7.810	0.226	0.264	0.000	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्धन अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

- (16) उपरोक्तानुसार लाम एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाम प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/01/22 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र -49 अ-82-20-21-भू-अर्जन-11905

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम :- हनीता सिंचाई परियोजना
- (2) भूमि का विवरण :-
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | राहतगढ़ |
| 3. ग्राम | साईखेड़ा |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 2 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 0.050 हेक्टे. |

॥ अनुसूची -01॥

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	सबरू पुत्र गोरेलाल पता साईखेड़ा राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/2/1	0.240	0.000	0.050	0.000	सतकठा मिश्रित-13 खजूर-1
योग			1	0.240	0.000	0.050	0.000	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/01/22 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र -47अ-82-21-22-भू-अर्जन-11910

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| (1) परियोजना का नाम :- | हनौता सिंचाई परियोजना |
| (2) भूमि का विवरण :- | |
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | राहतगढ़ |
| 3. ग्राम | झिला |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 4 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 0.105 हेक्टे. |

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित सीवर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	सियाबाई पत्नी हल्केई. पता झिला राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/1	0.560	0.000	0.000	0.035	कोडा-3 छेवला-5 ऊमर-2 रुसल्ला-5
2	राघवेन्द्रसींग पि.देवेन्द्र सींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	1.220	0.000	0.000	0.070	कोडा-2 छेवला-1
योग			2	1.780	0.000	0.000	0.105	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्तून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सूखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत. प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ~~21/1/2022~~ को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र -51 अ-82-21-21-11909

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम :- हनौता सिंचाई परियोजना
 (2) भूमि का विवरण :-
 1. जिला सागर
 2. तहसील राहतगढ़
 3. ग्राम मढ़ियावदा (मढ़िया)
 4. पटवारी हल्का नं. 3
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 3.504 हेक्टे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	गब्बू पिता दिमान इमरतबाई पुत्री गब्बू आदिवासी सौर पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/2	0.900	0.410	0.000	0.000	कोहा-1 चंदनइमली-2 कोहा-5
2	लक्खू पिता दिम्मान जानकी बाई पति लक्खू पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/3	0.500	0.000	0.230	0.000	खजूर-1 शूलबबूल-5
3	बुद्धा पिता गोरेलाल गुड़ीबाई पति बुद्धा पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/4	0.500	0.130	0.000	0.000	आम-4 कोहा-1 कसई-1
4	मंगल पिता गोरेलाल कुंवरबाई पिता मंगल पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/5	0.500	0.010	0.000	0.000	नींबू-2 अमरुद-3 छेवला-5
5	हल्कई पिता महताप सुमतरानी पति हल्कई पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/8	0.500	0.350	0.000	0.000	बेर-2 गुरार-1 खजूर-1

6	रामसींग पिता महताप चन्द्रानी पति रामसींग पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/9	0.500	0.270	0.000	0.000	आम-2 औंवाला-1 नींबू-5 आम-3 अमरुद-1 महुआ-1 वेल-1 रंजा-2 छेपला-8 तेंदू-1 बबूल-1 शूलबबूल-1 मकान कच्चा-1 क्षेत्र. 55.35 वर्गमी.
7	बिहारी पिता खरगे आदिवासी पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	1.660	0.310	0.000	0.000	करघई-2
8	नन्हेराम वल्द शोरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	2.130	0.320	0.000	0.000	-
9	कशिया पिता खरगे पता सा.वोदरी तह. खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10	1.860	0.000	0.160	0.000	बेर-1 गुरार-1 बबूल-2 खैर-1 सैमर-1 कोहा-1
10	दिनेश वल्द गुमान ललिताबाई पति दिनेश पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/1	0.650	0.080	0.000	0.000	-
11	महताप पिता घन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/1	1.240	0.000	0.020	0.000	-
12	मुहरसींग नाबा वल्द वली नारायण सिंह पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/2	0.400	0.000	0.030	0.000	-
13	बल्लू वल्ल रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/3	0.400	0.000	0.010	0.000	-
14	साविर भिया पिता शेख चुन्ना पता निवासी ग्राम राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37	0.370	0.260	0.000	0.000	रंजा-1 बबूल-1
15	कमल पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/1	0.110	0.010	0.000	0.000	-
16	शुभम पिता बलराम जाति कुर्मी पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी ममता बेवा बलराम जाति कुर्मी पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/2	0.110	0.000	0.010	0.000	-

17	रामप्रसाद पिता रतन पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40/1/1	0.480	0.045	0.000		वेल-1 नीबू-1 जागुन-1 ऊमर-1 कोहा-1
18	गेंदाराम पिता रतन पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40/1/2	0.440	0.010	0.000		-
19	नेतराम पिता रतन पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40/1/3	0.480	0.035	0.000		-
20	पूना बाई वेवा रामसींग पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40/1/4	0.440	0.050	0.000		-
21	पुनु पिता रतन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/2	0.400	0.020	0.000	0.000	-
22	हजारी रामरतन हरकिशन पिता मोतीलाल पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42	1.680	0.330	0.000	0.000	बेर-2 आम-1 बबूल-1 खजूर-1
23	दिमान पिता रामकिशन आदिवासी (सीर) पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45	0.860	0.000	0.205	0.000	-
24	भीकमसींग पिता अमानसींग पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48	0.050	0.000	0.005	0.000	-
25	उमराव पिता अमान कुर्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51/2	0.350	0.000	0.002	0.000	-
26	दुरगसिंह पिता प्रेमसिंह पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57/1 57/2/1 - 0.810	4.430	0.045	0.000	0.000	-
27	शिवकांत पिता जीवनसींग पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	0.130	0.002	0.000	0.000	-
28	चन्द्रभान पिता लच्छू पता निवासी विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67/4	0.520	0.035	0.000	0.000	-
29	विनोद कुमार पिता घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74 79/2	0.550 0.740	0.010 0.035	0.000 0.000	0.000 0.000	कोहा-3 ऊमर-1 -
30	भगवानसींग पिता हरप्रसाद कुर्मी पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	1.200	0.040	0.000	0.000	कोहा-2 ऊमर-2

31	सोहिल ना वा बल्द बली नेतराम पता सा. करैया गूजर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/5	0.230	0.000	0.025	0.000	-
	योग		32	25.310	2.807	0.697	0.000	-

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्वयन अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आघागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुम्ब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुम्बों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 29/1/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र -48 अ-82-21-22-11908

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम :- हनौता सिंचाई परियोजना
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
 2. तहसील राहतगढ़
 3. ग्राम बम्हौरी सेठ
 4. पटवारी हल्का नं. 2
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 2.806 हेक्टे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	राजेश बबलू पिता बुध्दूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/4	0.800	0.100	0.000	0.000	-
2	गोविन्द वल्द बल्लु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/6	0.500	0.000	0.375	0.000	छेवला-2 कोहा-3
3	सतोष वल्द कहमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/7	0.700	0.000	0.060	0.000	
4	चुन्ना पिता हल्काई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1	1.610	0.130	0.000	0.000	बेर-1 पीपल-1 कैथ-1 छेवला-1
5	हरी व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.400	0.000	0.040	0.000	-
6	भागीरथ व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/3	0.400	0.000	0.020	0.000	-

7	श्रीमति विद्यादेवी पति जगतसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/4	0.800	0.000	0.100	0.000	
8	रमेश प्यारेलाल पिता चुन्नीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/1	0.590	0.000	0.090	0.000	छेवला-6
9	प्रेम व. पलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/2	0.600	0.060	0.000	0.000	गुरार-2 छेवला-5 कोहा-6
10	बाबूलाल व.भबूती साहू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	1.090	0.000	0.210	0.000	छेवला-10 कोहा-2
11	घनश्याम व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	0.460	0.000	0.120	0.000	जामुन-1 कोहा-5 छेवला-5
12	कमलेश वल्द शीलचन्द जैन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/3	0.820	0.031	0.000	0.000	-
13	प्रानसिह वल्द हुकुमसिह पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64	0.050	0.000	0.004	0.000	-
14	सुनील कुमार पिता रामसेवक पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65/1	0.900	0.000	0.045	0.000	छेवला-5
15	नर्मदा प्रसाद पिता मिहीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65/2	0.900	0.000	0.035	0.000	-
16	मनोज ना.वा.वल्द व वली नर्मदाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	0.410	0.000	0.040	0.000	कोहा-2
17	छोटेलाल पिता जबार पता राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	0.400	0.000	0.120	0.000	कोहा-2 छेवला-3 खजूर-1
18	चैनसिंग पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/1	0.140	0.010	0.000	0.000	-
19	करनसिंग पिता धन्नू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/2	0.620	0.045	0.000	0.000	-
20	कमलेश वल्द शीलचन्द जैन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/3	1.420	0.020	0.000	0.000	-
21	गनेश पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/8	0.140	0.045	0.000	0.000	-
22	रमेश प्यारेलाल पिता चुन्नीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1	1.530	0.040	0.000	0.000	खजूर-2 छेवला-3
23	प्रेम व. पलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/2	1.520	0.050	0.000	0.000	बेर-2 छेवला-5 खजूर-5

24	अमान पिता बारेलाल पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71	1.040	0.042	0.000	0.000	कोहा-3 शूलबबूल-10 वीसप्रिया-1 खजूर-10
25	राजीवकुमार पिता नर्मदाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/1	0.850	0.000	0.042	0.000	खजूर-3 कोहा-6 रंजा-2
26	रामबाई पुत्री भागीरथ प्रसाद ब्राह्मण पता सा.घसोय जि.विदिशा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/2	0.400	0.000	0.030	0.000	खजूर-3
27	विजयसींग अजयसींग पिता सीताराम शारदाबाई सुनीताबाई विनीताबाई पुत्री सीताराम पता सा.वटयावदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74	1.220	0.000	0.170	0.000	सेमर-1 सतकठा-1 कोहा-6 छेवला-3 हडुवा-2
28	श्री मुरलीधर जी देव मंदिर बाके प्रबंधक कले.महो.सांगर पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75	2.790	0.440	0.000	0.000	खजूर-6 गुरौर-2 पीपल-1 रंजा-1 बबूल-1 छेवला-12 हडुवा-1 सागौन-1
29	मंदिर श्रीदेव जानकी रमण जी देवमंदिर बाके मौजा रूसल्ला मु.गनेशसिंह पिता ग्याप्रसाद प्रबंधक कले. भूमि स्वामी महो. सागर पता सा.रूसल्ला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77	0.820	0.000	0.024	0.000	-
			78	6.670	0.000	0.170	0.000	बेर-2 खजूर-3
30	आशाराम बल्द धरमचंद अहिल्याबाई पुत्री धरमचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/1/1/1	0.350	0.015	0.000	0.000	-
31	रहूपमियां बल्द शरीफ अहमद पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/1/1/2	0.400	0.010	0.000	0.000	-
			85/1/2	0.400	0.010	0.000	0.000	-
			85/3	1.200	0.026	0.000	0.000	-
32	चैनसींग पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/2	0.200	0.005	0.000	0.000	-
33	शिवराज पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/6	0.200	0.000	0.010	0.000	-
34	रामकिशन बल्द रामेश्वर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/1	0.780	0.000	0.006	0.000	-
35	प्राणसिंह बल्द हुकुमसिंह पता सा. बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/2	0.400	0.004	0.000	0.000	-
36	रामनाथ बल्द रामचरण शारदा पुत्री रामचरण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/1	0.560	0.000	0.004	0.000	-

37	मु. समीर ना.बा. बल्द व बली प्यारेमियां पिता लालमियां पता राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/2	0.470	0.000	0.004	0.000	-
38	जगदीश प्रसाद वल्द बाबूलाल दुबे पता निवासी ग्राम बिनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/3	3.200	0.004	0.000	0.000	-
योग			41	38.750	1.087	1.719	0.000	-

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्धुन अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युवितयुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युवितयुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सूखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 20/1/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र- क्यू-82-20-21-भू-अर्जन

सागर दिनांक 24 नवम्बर 2021

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

--: अनुसूची (1) :-

तहसील : त्योंदा

जिला : विदिशा

हनौता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम सेरवासा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकवा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकवा	प्रभावित रकवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	हनौता सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम - सेरवासा की भूमि की आवश्यकता	113.803	40.166
	कुल योग :	113.803	40.166

-: अनुसूची (2) :-

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	रामकिशन पुत्र खिलानसिंह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 9640/42450 भाग भूमि स्वामी अजय पुत्र रामदयाल जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3210/42450 भाग भूमि स्वामी अंजलि पुत्री रामदयाल जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3210/42450 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3220/42450 भाग भूमि स्वामी दुर्गाबाई बेवा खिलानसिंह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 9630/42450 भाग भूमि स्वामी गुलाबसिंह पुत्र खिलानसिंह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 9640/42450 भाग भूमि स्वामी प्रेमबाई पुत्री खिलानसिंह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3900/42450 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/1	0.272	0.272	0.000
			58/1	1.944	0.450	1.494
2	पुरुषोत्तम पुत्र रामप्रसाद जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2/1	0.091	0.091	0.000
3	घनश्याम पुत्र खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी रामकिशन पुत्र खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी गुलाब पुत्र खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी प्रेमबाई पुत्री खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा 1/7 भाग भूमि स्वामी सरस्वतीबाई पुत्री खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी दुर्गाबाई बेवा खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी अजय पुत्र रामदयाल जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/21 भाग भूमि स्वामी अंजली पुत्री रामदयाल जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/21 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/21 भाग भूमि स्वामी		3/2/2	0.091	0.091	0.000

4	प्रेमनारायण पुत्र बलीराम जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2/3	0.090	0.090	0.000
5	देशराज पुत्र ग्याप्रसाद जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	0.439	0.439	0.000
			16	0.868	0.738	0.130
			49/1	0.627	0.276	0.351
			49/2	0.784	0.688	0.096
			96	1.108	0.210	0.898
6	पुरुषोत्तम पुत्र रामप्रसाद जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1	0.470		
7	प्रेमनारायण पुत्र बलीराम जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/2	0.470		
8	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सेरवासा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		5/3	0.705		
9	घनश्यामरामकिशनगुलाबप्रेमबाईसरस्वतीबाईपुत्रपुत्री खिलानदुर्गाबाई बेवा खिलान सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 402/1177 भाग भूमि स्वामी शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सेरवासा विदिशा मध्य प्रदेश 235/1177 भाग भूमि स्वामी अजयपुत्ररामदयाल अंजलीपुत्रीरामदयाल उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 68/1177 भाग भूमि स्वामी राकेशबलकृष्णपुत्रगण अमरसिंह जयंतीबाई पुत्री अमरसिंह सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 236/1177 भाग भूमि स्वामी राजुसीतारामपुत्रगणहल्कई ममताबाईपुत्रीहल्कई गीताबाई बेवा हल्कई सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 236/1177 भाग भूमि स्वामी		5/4	1.177		
	योग			2.822	2.592	0.230

10	हाकिमसिंह पुत्र ग्याप्रसाद जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	1.777	0.789	0.988
			7/1	0.053	0.030	0.023
			51/2	0.941	0.057	0.884
11	राजाभाई पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/2	0.114	0.015	0.099
			8	0.261	0.053	0.208
			11 12 रकबा 0. 658,13 रकबा 1. 473 23, रकबा 0. 084	2.727	0.726	2.001
			180	0.115	0.005	0.110
12	घनश्याम पुत्र जमनाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/2	0.087	0.087	0.000
			10/2	0.077	0.047	0.030
			45	0.355	0.273	0.082
13	प्रकाश पुत्र जमनाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/3	0.087	0.068	0.019
			10/3	0.076	0.051	0.025
14	रामनारायण पुत्र जमनाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10/1	0.077	0.049	0.028
15	महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी रामकलीवाई बेवा चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी अशोककुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14 15 रकबा, 0.105	1.129	0.806	0.323
			38	0.115	0.020	0.095
			68	0.575	0.284	0.291
			85	0.042	0.005	0.037
			164	0.063	0.063	0.000
188	0.136	0.007	0.129			
16	प्रकाश पुत्र विन्द्रावन जाति कुर्मी पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी रामदयाल पुत्र विन्द्रावन जाति कुर्मी पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17	0.335	0.015	0.320
17	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/1	0.152		

18	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	0.151		
	योग			0.303	0.031	0.272
19	प्रकाश पुत्र वृन्दावन जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.073	0.010	0.063
			24/3/1र. 0. 591,25/1 र.0.245	0.836	0.714	0.122
			76/2/1/1	0.193	0.168	0.025
20	रामसेवक पुत्र मथराप्रसाद जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/1	0.836	0.067	0.769
			76/3 77 (0.418) 78(0.42) 93 (1. 202)	1.714	0.438	1.276
21	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/2/1	0.444		
22	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/2/2	0.444		
	योग			0.888	0.239	0.649
23	मथराप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी सरस्वतीबाई पुत्री जगन्नाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/1	0.209	0.200	0.009
24	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/2/1	0.080		
25	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/2/2	0.080		
	योग			0.160	0.155	0.005
26	रामदयाल पुत्र विन्दावन जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/3/2	0.172	0.172	0.000
27	अरविन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/2	0.246	0.246	0.000

28	अनिलकुमार पुत्र गोपीलाल जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26	0.512	0.065	0.447
			30/1	0.554	0.550	0.004
			37/1	0.826	0.062	0.764
29	अनीलकुमार पुत्र गोपीलाल जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी शिदोबाई पुत्री गोपीलाल जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी कृणाबाई बेवा गोपीलाल जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29/2	1.871	0.015	1.856
			41	0.052	0.022	0.030
			60	0.251	0.040	0.211
30	महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी अशोककुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30/2/1	0.277	0.225	0.052
			30/2/2	0.277	0.277	0.000
			35	0.481	0.148	0.333
			37/2	0.836	0.149	0.687
31	मिलनसिंहनावा पुत्र रामवावू सर दादा भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31/1	0.264	0.072	0.192
			108/2	0.790	0.388	0.402
32	मधुरसिंहनावा पुत्र रामवावू सर माँ रामेतीवाई जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31/2	1.252	0.860	0.392
33	भगवानसिंह पुत्र मानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32	0.763	0.428	0.335
			69/1	0.314	0.291	0.023
34	अशोक कुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	1.045	0.448	0.597
			36	0.993	0.025	0.968
35	मुन्नालाल पुत्र भगवानदास जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 209/2101 भाग भूमि स्वामी कमलेश पुत्र भगवानदास जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 350/2101 भाग भूमि स्वामी राजा पुत्र भगवानदास जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 350/2101 भाग भूमि स्वामी राकेश पुत्र भगवानदास जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 350/2101 भाग भूमि स्वामी गुंडा पुत्र भगवानदास जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 351/2101 भाग भूमि स्वामी गयाप्रसाद पुत्र गोकुलप्रसाद जाति कायस्थ पता वा न 2 कैलाश नगर पलवल कैलाश नगर फिराजाबाद उत्तर प्रदेश 491/2101 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39 40रकवा 0.021	2.007	0.075	1.932

36	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/1	1.192		
37	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/2	1.180		
	योग			2.372	1.297	1.075
38	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44	0.324	0.294	0.030
39	पूरन पुत्र उमरावसिंह जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	46	1.024	1.024	0.000
40	शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48/1	0.627	0.627	0.000
			76/2/2	0.313	0.233	0.080
41	साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48/2	0.073	0.073	0.000
			50	0.136	0.136	0.000
			52/1	0.418	0.072	0.346
42	शुभम नाबा पुत्र रामबाबू सर पिता रामबाबू पुत्र ग्याप्रशाद भाग 1/6 प्रकाश रामदयाल पुत्रगम ब्रन्दावन श्यामबाई उमावाई पुत्रियां ब्रन्दावन भाग 1/3 शेरसिंह साहवसिंह पुत्रगम बैजनाथ भागवाई चन्द्रीवाई द्रोपती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी वाई सुमनवाई पुत्रियां बैजनाथ भाग 1/3 लखनपुत्र साहवसिंह भाग 1/3 मथराप्रसाद पुत्र जगन्नाथ व सरस्वतीबाई पुत्री जगन्नाथ हि 1/6 में समान भाग जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53	1.191	0.490	0.701
43	हरिचरण वावूलाल पुत्रगण बहादुरसिंह शीलावाई कस्तूरीवाई उसावाई उमावाई पुत्रियां बहादुर सिंह जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54	0.125	0.125	0.000
44	आशीषप्रताप पुत्र हरनामसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55	0.063	0.063	0.000
			56	1.024	1.012	0.012
			57	2.696	1.948	0.748
45	अजय पुत्र रामदयाल जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी अंजली पुत्री रामदयाल जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/2	0.418	0.229	0.189

46	मनमोहनसोदान पप्पूकमलेशपुत्रगणगोर्वधनमीनावाईवेवीवाईपुत्रियां गोर्वधनपार्वतिवाई बेवा गोर्वधन समान भाग जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी ग्याप्रशाद पुत्र रामप्रशाद जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/1	0.094		
47	सुखलाल पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/2/1	0.808		
48	मुरलीधर पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/2/2	0.801		
49	मनमोहन पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/2/3	0.627		
	योग			2.330	0.720	1.610
50	प्रेमनारायण पुत्र बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी मोहन पुत्र बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी जगदीश पुत्र बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी रामकुंवरबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी ललताबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी ममताबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा 1/8 भाग भूमि स्वामी नन्हीबाई बेवा बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/1	1.656	0.608	1.048
51	धनश्याम पुत्र खिलान जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/2	1.657	0.359	1.298
52	सरदारसिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1/1	0.549		
53	रतीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1/2	0.549		
	योग			1.098	0.470	0.628

54	राजाराम पुत्रगण भैयालाल, रामवती बाई पुत्री भैयालाल, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/2	1.097	0.393	0.704
55	अशोक कुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72	0.428	0.015	0.413
56	जबारखाँ पुत्र तालेवर खाँ जाति मुस्लमान पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1557/4462 भाग भूमि स्वामी अनवरखाँ पुत्र तालेवर खाँ जाति मुस्लमान पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1139/4462 भाग भूमि स्वामी हस्सोबाई पुत्री तालेवरखाँ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1557/4462 भाग भूमि स्वामी शकील खाँ पुत्र जबार खाँ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 209/4462 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/1	0.314	0.227	0.087
57	अरविन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/2/1/2	0.194	0.179	0.015
58	अनिलकुमार पुत्र गोपीलाल जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/1	0.042		
59	रतीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/2	0.042		
	योग			0.084	0.047	0.037
60	लक्ष्मीबाई पुत्री महाराजसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 180/3897 भाग भूमि स्वामी साहवसिंह पुत्र बैजनाथसिंह जाति कुर्मी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 993/3897 भाग भूमि स्वामी गोपीबाईसेठानीबाईरामसखीबाईलक्ष्मीबाई नर्वदीबाईप्रदेशबाई पुत्री महाराजसिंह समान भाग जाति दांगी पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 3/3897 भाग भूमि स्वामी लाखनसिंह पुत्र रूपसिंह जाति दांगी पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 42/3897 भाग भूमि स्वामी जाहरसिंह नाबालिग पुत्री हरी सिंह संरक्षक पिता स्वयम जाति दांगी पता त्योंदा त्योंदा विदिशा	भूमि स्वामी	81 82 रकवा 0. 052	0.167	0.052	0.115
			106/1	1.295	0.150	1.145
			166	0.094	0.094	0.000
			177	1.494	0.010	1.484

	313/3897 नवासा ग्राम भूमि स्वामी सतराम पुत्र आशाराम पता त्यांदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 726/3897 भाग भूमि स्वामी		178	0.178	0.020	0.158
	जाहरसिंहमहेशरजोरसिंहअनीताबाईविनीताबाईपुत्रपुत्रीहरिसिंह लक्ष्मीबाई बेवा हरिसिंह सामान भाग जाति दांगी पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1640/3897 भाग भूमि स्वामी		179	0.052	0.016	0.036
			400	0.345	0.228	0.117
61	मनमोहनसोदान पप्पूकमलेशपुत्रगणगोर्वधनमीनावाईवेवीवाईपुत्रियां गोर्वधनपार्वतिवाई बेवा गोर्वधन समान भाग जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी ग्याप्रशाद पुत्र रामप्रशाद जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84	0.042	0.025	0.017
			123 124 0.63 125- 0.209, 126 - 0.125, 127 - 1.878	2.892	0.507	2.385
			165/2	0.032	0.032	0.000
			170/2	0.486	0.301	0.185
			173	0.063	0.063	0.000
			175	0.042	0.042	0.000
62	रामवावू पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	107	0.700	0.452	0.248
			108/1	1.300	0.543	0.757
63	सुखलाल पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165/1/1	0.015	0.015	0.000
			172/1	0.083	0.043	0.040
			174/2/1	0.387	0.010	0.377
			187/1	0.021	0.021	0.000
64	मुरलीधर पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165/1/2	0.016	0.016	0.000
			171	0.219	0.015	0.204
			172/2	0.074	0.074	0.000
			187/2	0.021	0.021	0.000
65	सरदारसिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167/1	0.047	0.047	0.000
			169/1	0.062	0.062	0.000
66	रतीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167/2	0.047	0.047	0.000
			169/2	0.063	0.063	0.000

67	सरदारसिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/1	0.015		
68	रतीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/2	0.016		
	योग			0.031	0.015	0.016
69	घूमनसिंह व कमलाबाई पुत्र पुत्री नारायणसिंह प्रेमबाई बेवा नारायणसिंह हि. 1.775 हि. समान अरविन्द व रीनेशबाई, विमलेशबाई पुत्र पुत्रीया विजयसिंह, पुष्पाबाई बेवा विजयासिंह हि. 0.592 हि. समान गजरासिंह जाति दागी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	186	0.073	0.005	0.068
70	घासीराम पुत्र उदेतसिंह जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	197	0.230	0.031	0.199
71	तुलसीराम लाखन नाबा. पुत्रगण मोहन निर्मला राजकुमारी नाबा. पुत्रियां मोहन सुकवतीबाई विधवा मोहन सर.माता स्वयं जाति सहरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/1/1	1.000		
72	पानबाई बेवा देवीसिंह भगवानसिंह बा. तुलसीराम घनश्याम कमलेश ना.बा. पुत्र देवीसिंह सर, माँ स्वयं अनीताबाई पुत्री देवीसिंह जाति सहरिया पता निवासी ग्राम साहबा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/1/2	1.000		
73	मुन्नीबाई पत्नी बुद्धा जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/1/3	1.000		
74	पानबाई पुत्री सुमंत्राबाई पत्नी देवी जाति सहरिया पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/1/4	0.947		
75	जग्गू पुत्र तरवरिया जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/2/1	1.254		
76	जुवखा पुत्र खिलान जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/2/2	1.045		
77	मुन्ना पुत्र खिलान जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/2/3	1.045		
	योग			7.291	2.162	5.129

78	हीराबाई पत्नी बाबूलाल जाति सहरिया पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	304/1	1.000		
79	गजजू पुत्र मूलचंद जाति सहरिया पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	304/2	1.000		
80	रन्धीरसिंह हरिराम बुन्देलसिंह पुत्रगण श्यामलाल लीलाबाई रामसखीबाई पुत्रियों श्यामलाल कलाबाई वेवा श्यामलाल जाति पता निवासी ग्राम साहबा भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	304/6	1.000		
81	हीरालाल पुत्र सुखलाल जाति चमार पता साहबा विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	304/8	0.703		
	योग			3.703	2.124	1.579
82	लाखनसिंह पुत्र रूपसिंह जाति दागी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	399	1.086	0.542	0.544
83	गोविन्दसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	401	1.036	0.593	0.443
84	शिवेंद्र पुत्र गोविंदसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/1	0.460		
			405/4/2	1.327		
			405/5	0.754		
			405/6	0.754		
85	धूमनसिंह व कमलाबाई पुत्र पुत्री नारायणसिंह प्रेमबाई बेवा नारायणसिंह हि. 1.775. हि. समान अरविन्द व रीनेशबाई, विमलेशबाई पुत्र पुत्रीया विजयसिंह, पुष्पाबाई बेवा विजयासिंह हि. 0.592 हि. समान गजराजसिंह जाति दागी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/2	1.108		
86	जमनाबाईवेवाचित्तरसिंह हेमवतीबाईशिववातीबाईदुर्गाबाई पुत्री चित्तरसिंह समान भाग जाति दांगी पता उकायला विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/3/1	0.500		
87	दशोदाबाई रामकलीबाई शांतिबाई पुत्री अमोलसिंह समान भाग जाति दांगी पता उकायला विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/3/2	0.033		

88	राजोरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी विनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई बेवा हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/4/1	0.909		
89	हिमतसिंह पुत्र पंचा जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/7	0.754		
90	गोरेलाल पुत्र कल्लू जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/8	0.754		
91	गोरेलाल पुत्र कलुआभूरीबाईराजकुमारीपुत्रियाँकलुआ कोसाबाई बेवा कलुआ सामान भग जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/9	0.077		
	योग			7.430	1.127	6.303
92	अंशुल पुत्र प्रीतमसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	406/1	3.255	0.353	2.902
93	महेशसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	406/2/1	2.200		
94	वकीलसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	406/2/2	1.055		
	योग			3.255	0.255	3.000
95	ओमकार पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415/1	0.941	0.180	0.761
96	राजा पुत्र रूपसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415/2	0.919	0.183	0.736
			417	0.178	0.158	0.020
			418/2	0.188	0.054	0.134
97	सोनाबाई यशोदाबाईपुत्रियाँरूपसिंह चम्पाबाई बेवा रूपसिंह समान भाग जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	418/1	0.564	0.070	0.494
98	संतोष पुत्र रूपसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	419 420	1.034	0.291	0.743
			रकबा 0. 794			
			423	0.251	0.140	0.111

99	मोहन पुत्र धीरा जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	425/1	0.303	0.216	0.087
100	सावित्रीबाई पुत्री धीरा जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी कुसुमबाई पुत्री धीरा जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी पुत्रीबाई बेवा धीरा जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	425/2	0.084	0.039	0.045
101	कडोरी पुत्र नत्थू जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	427	0.826	0.005	0.821
102	राजोरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी विनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई बेवा हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	428/1/1	0.087	0.087	0.000
			428/2	0.261	0.177	0.084
103	खेतसिंह पुत्र छमाधर जाति दागी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी निरपतसिंह पुत्र छमाधर जाति दागी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	428/1/2	0.174	0.174	0.000
104	रघुराजसिंह पुत्र गनेशराम जाति दागी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	429	1.066	0.205	0.861
105	रघुराजसिंह शिवराजसिंह, बाबूसिंह पुत्रगण गनेशराम जाति दागी पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी राजपाल बा.नीरज व कान्ता रीना ना. बा. पुत्र पुत्रियाँ राजेन्द्रसिंह व चन्दाबाई बेवा राजेन्द्र सिंह सर. माँ स्वयं जाति 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433/1/1	1.045		
106	रणवीरसिंह पुत्र भुगंतसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433/1/2	1.045		

107	हरनामसिंह पुत्र खुमानसिंह जाति दागी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433/1/3 / क	0.671		
108	गोरेलाल पुत्रकलुआभूरीबाईराजकुमारीपुत्रियोंकलुआ कोसाबाई बेवा कलुआ सामान भग जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433/1/3 / ख	0.677		
109	जशवंतसिंह, वीरेन्द्रसिंह पुत्र गण गनेशराम समान भाग जाति दागी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433/2	0.794		
	योग			4.232	0.032	4.200
110	मिठठू लखवू पुत्रगण कुन्जा भेंवरबाई फूलबाई पुत्रियों कुन्जा जाति घोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435/1	0.157		
111	धनसिंह मुल्ला रन्जीता पुत्र गण हल्का समान भाग जाति रावत पता वन्द्रावली विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435/2	0.418		
112	हीरालाल पुत्र सुखलाल जाति चमार पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	435/3/1	0.297		
113	बाबूलाल पुत्र हरिराम जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435/3/2	1.182		
114	रामचरण पुत्र सोमत जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	435/3/3	0.195		
115	गप्पू पुत्र रघुवर जाति घोवी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435/4	0.157		
	योग			2.406	0.582	1.824

116	पप्पू पुत्र ग्यापसद सुखवतीबाई पुत्री ग्याप्रद व सुन्दरबाई बेवा ग्याप्रसाद पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी तरवर पुत्र भूरा हि. 0.279 रामगोपाल पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी हि. 0.487 नीलेश ना. बा. पुत्र करोडी हि. 0.209 सर. मां कमलाबाई जाति खगार पता नि.ग्राम 2/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	436	1.463	0.366	1.097
117	खयाली पुत्र भूगा जाति रावत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	437	0.418	0.418	0.000
118	N.A		446/1/1	0.810		
119	जाहरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी महेश पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रजोरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश दांगी 1/6 भाग भूमि स्वामी अनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी विनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई बेवा हरीसिंह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	446/1/2 /1	0.202		
120	खेतसिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी निरपतसिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी		446/1/2 /2	0.608		
121	गजराजसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	446/2/1	0.889		

122	गुलाबबाई सियाबाई मोहरबाई सियाबाई मोहरबाई पुत्र मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1221/1635 भाग भूमि स्वामी गोमतीबाई रामकलीबाई रामकलीबाई पुत्री मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 12/1635 भाग भूमि स्वामी मीराबाई शांतिबाई शांतिबाई पुत्री इन्दरसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 103/1635 भाग भूमि स्वामी भगवानसिंह पुत्र मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 299/1635 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	446/2/2	0.104		
123	कडोरी पुत्र नत्थू जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	446/3 446/4 रकबा 0. 815	1.233		
	योग			3.846	0.005	3.841
	कुल योग:-		186	113.803	40.166	73.637

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र/जा.क्र-927-भू-अर्जन-2021

आगर मालवा दिनांक 10 दिसम्बर 2021

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में कुण्डलिया परियोजना के डूब प्रभावित ग्राम गोठडा तहसील नलखेडा जिला आगर-मालवा, कुण्डलिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्रं.	ग्राम -गोठडा विवरण	तहसील - नलखेडा जिला आगर मालवा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	4.420	2.350
	योग	4.420	2.350

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

क.	प्रभावित कृषक का नाम पता सहित	खसरा न.	रकबा हेक्टेयर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	टिप्पणी
1	गणपत पिता भेरुलाल, गीताबाई वि. भेरुलाल, सूरज पिता जगदीश जाति भील नि. ग्राम भूमि स्वामी	1322	0.670	0.350	-
		1328	1.330	0.450	-
	योग		2.000	0.800	-
2	राजेन्द्र सिंह यसवंतसिंह जुगराजसिंह पिता भंवरसिंह सजनसिंह बलदेवसिंह सकरामसिंह भारतसिंह सोदानसिंह पिता भैरुसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1377	1.110	0.280	-
3	प्रेमसिंह मोहनसिंह महेन्द्रसिंह पिता सोनारसिंह, मानकुंवरबाई वि. सोनारसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	1379	0.070	0.030	-
4	भगवतसिंह पिता अर्जूनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	1419/min 6	0.200	0.200	-
5	आनन्दीलाल भारत ईश्वर पिता घीसा प्रेमबाई नि. घीसा जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1423	1.040	1.040	-
	TOTAL :-		4.420	2.350	-

प्र. क्र./जा.क्र ए-929-भू-अर्जन-2021-22

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया परियोजना के डूब प्रभावित ग्राम सामरी तहसील नलखेडा जिला आगर-मालवा, कुण्डलिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - सामरी		तहसील - नलखेडा जिला आगर मालवा	
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर-में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	21.964	6.889
	योग	21.964	6.889

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

क.	प्रभावित कृषक का नाम पता सहित	खसरा न.	रकबा हेक्टर	अर्जित रकबा हेक्टर में	शुल्क
1	उमराव बंशी पिता नार. आदि जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	584/1	0.784	0.200	
	योग		0.784	0.200	
2	नारायणसिंह हिंदुसिंह रमेश पिता भागीरथ व कमलाबाई पारुबाई पुत्रिया भागीरथ बालुसिंह पिता प्रभुलाल भुरीबाई विधवा प्रभुलाल हि. 1/2 समभाग तुलाराम निर्मयसिंह पिता गंगाराम गीताबाई सीताबाई भुलीबाई शारदाबाई पुत्रिय गंगाराम हि. 1/4 समभाग धीशु पिता दौला शंकुबाई लीलाबाई पिता दौला हि. 3/8 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319/1	2.644	0.700	
		326/1	4.526	0.500	
		327	0.460	0.460	
	योग		7.630	1.660	
3	बापूलाल उकार पिता धन्ना बरजुबाई पिता धन्ना हि.20 पैसे रामलाल हरलाल कमलाबाई दरयाबबाई पिता मन्ना भूरीबाई नंदुबाई धांपुबाई पिता देवा हि.20 चौपार	576/2	0.300	0.300	
		580/1	0.481	0.250	
		योग		0.781	0.550

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम पता सहित	खसरा न.	रकबा हेक्टेयर	अंशित रकबा हेक्टेयर में	विमार्क
4	घीसू पिता दौला हि 1/2 नारासिंह हिंदुसिंह रमेश पिता भागीरथ कमलाबाई पारुबाई पिता भागीरथ आदि जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	329	0.428	0.428	
	योग		0.428	0.428	
5	शंकुबाई लीलाबाई पिता दौला हि.3/4 समानुपात दौलाराम निर्भयसिंह पिता गंगाराम गीताबाई सीताबाई भुरीबाई शारदाबाई पुत्रिया गंगाराम हि. 1/4 समान भाग होकमसिंह धनसिंह गोकुलसिंह सीरमबाई शांताबाई मानुबाई सरजुबाई पिता घिसु कुंदीबाई वि. घिसु जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	332	0.794	0.450	
	योग		0.794	0.450	
6	दिलीपकुमार पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	542/2/1	0.418	0.418	
		592/2	0.418	0.418	
		593/1,594	0.418	0.418	
	योग		1.463	1.463	
7	नारायणसिंह हिंदुसिंह रमेश पिता भागीरथ व कमलाबाई पारुबाई पुत्रिया भागीरथ बालुसिंह पिता प्रभुलाल भुरीबाई विधवा प्रभुलाल हि. 1/2 समभाग तुलाराम निर्भयसिंह पिता गंगाराम गीताबाई सीताबाई भुलीबाई शारदाबाई पुत्रिया गंगाराम हि. 1/4 समभाग घीसू पिता दौला शंकुबाई लीलाबाई पिता दौला हि. 3/8 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	331	1.129	0.500	
	योग		1.129	0.500	
8	हरलाल शंकरलाल पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/1	0.366	0.020	
	योग		0.366	0.020	
9	नयाजबाई वि. गुलाबनबी हि.8 पैसे पल्ली मो पिता गोदाखा हि. 82 पैसे जाति विलायती	386/2	0.251	0.020	
	योग		0.251	0.020	
10	सुनिल पिता पृहलाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	631	0.941	0.400	
	योग		0.941	0.400	
11	भंवरलाल शंकुबाई पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	400/2/1	2.174	0.281	
	योग		2.174	0.281	
12	हरलाल पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	380	2.571	0.506	
		371	0.060	0.060	
		402/2,400/4	2.174	0.259	
		427/2,429/366	0.418	0.092	
योग		5.223	0.917		
TOTAL :-			21.964	6.889	

प्र. क्र./ए. -941-भू-अर्जन-2021-22

आगर मालवा, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवनों का सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भवन अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भवनों की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।



ग्राम - लटुशीउमठ		तहसील - नलखेड़ा जिला आगर मालवा म.प्र.		
क्र. 1	विवरण	अर्जित की जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर		
1	निजी भवनों के लिये 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	कुल भवन 24	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	अर्जित भवन का क्षेत्रफल वर्गमीटर
		24	2458.14	1956.43
	योग	24	2458.14	1956.43

अनुसूची (2)

स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	गीता बाई पति रमेश चंद्र	आर सी सी	10.95	x	9.05	99.10
							99.10
2	5	चंदर सिंह पिता धुला जी	आर सी.सी.	13.55	x	9.85	133.47
							133.47
3	6	देवी सिंह पिता नारायण सिंह	टीनशेड	10.00	x	5.40	54.00
			टीनशेड	7.95	x	3.10	24.65
			टीनशेड	6.85	x	1.10	7.54
			टीनशेड	6.65	x	3.65	24.27
			कवेलू	6.65	x	3.80	25.27
			शोचालय फर्सी	1.10	x	1.10	1.21
							136.94
4	7	अंबाराम पिता बंशीलाल	कवेलू	5.00	x	4.00	20.00
			टीनशेड	5.60	x	4.60	25.76
			टीन शेड	4.50	x	3.70	16.65
			आंगन	8.20	x	2.40	19.68
			आंगन	12.90	x	5.65	72.89
							154.98
			कवेलू	4.50	x	3.00	13.50

स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
				5	6	7	
1	2	रामसिंह पिता बंशीलाल	4	5	6	7	8
5	8		आंगन	4.65	x	3.30	15.35
			टीनशेड	6.85	x	3.60	24.66
							53.51
6	8/1	सोहनसिंह पिता बंशीलाल	कवेलु	5.00	x	3.10	15.50
			टीनशेड	5.70	x	3.40	19.38
			आंगन	11.30	x	5.60	63.28
							98.16
7	8/2	प्रमुलाल पिता बंशीलाल	कवेलु	6.30	x	3.30	20.79
			टीनशेड	6.30	x	3.50	22.05
			टीनशेड	12.70	x	4.85	61.60
							104.44
8	8/3	मानसिंह पिता बंशीलाल	टीनशेड	3.30	x	3.10	10.23
			टीनशेड	3.50	x	3.10	10.85
			टीनशेड	10.30	x	3.20	32.96
			शोचालय फर्सी	1.15	x	1.10	1.27
							55.31
9	9	बाबुलाल पिता मांगीलाल	टीनशेड	8.55	x	3.00	25.65
			टीनशेड	5.45	x	2.40	13.08
							38.73
10	10	भगवानसिंह पिता छीता जी	टीनशेड	7.80	x	2.80	21.84
			टीनशेड	7.00	x	2.65	18.55
			आंगन	4.70	x	3.90	18.33
							58.72
11	11	तोलाराम पिता बोंदा जी	घास फूस टापरी	7.50	x	3.20	24.00
			टीनशेड	7.50	x	3.20	24.00
							48.00
12	12	मांगीलाल पिता भग्गा जी	टीन शेड	4.10	x	7.10	29.11
			टीन शेड	4.20	x	5.00	21.00
			कवेलु	8.00	x	6.00	48.00
							98.11
13	13	चंदर सिंह पिता नानुराम	कवेलु	5.15	x	7.00	36.05
			टीनशेड	2.90	x	5.20	15.08
			टीनशेड	5.00	x	1.80	9.00
							60.13
14	14	मेहरबातसिंह पिता प्रहलादसिंह	कवेलु	8.00	x	4.80	38.40
			कवेलु	2.50	x	3.50	8.75
			टीन शेड	2.50	x	1.30	3.25

स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
				5	6	7	
1	2	3	4				8
							50.40
15	15	मेहरबानसिंह पिता धुला जी	आर सी सी	11.25	x	4.10	46.13
			आर सी सी	11.00	x	11.25	123.75
							169.88
16	16	लीला बाई पति रमेश	आर सी सी	8.30	x	4.20	34.86
			टीनशेड	10.00	x	8.30	83.00
			टीनशेड	14.20	x	4.65	66.03
							183.89
17	17	विक्रमसिंह पिता मांगीलाल	टीन शेड	11.00	x	7.70	84.70
			टीनशेड	8.40	x	7.00	58.80
			आर सी सी	7.20	x	3.95	28.44
							171.94
18	21	पारस पिता अनार सिंह	टीनशेड	13.60	x	6.00	81.60
							81.60
19	22	मोडसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर	कवेलु	13.60	x	4.00	54.40
			कवेलु	4.00	x	5.30	21.20
			टीनशेड	13.60	x	3.70	50.32
			टीनशेड	8.30	x	4.00	33.20
							159.12
							कुल योग 1956.43

नोट-- (१) भूमि/भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, भूमि, अर्द्धाधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कृत्याभियानों को अधिकांश और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि/भवन में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षक करने किसी भी भूमि अवमृदा में खुदाई करने या पैवन करने और अपने कर्तव्य को उपबन्धित अधिनियम के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।
- (3) अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि/भवन का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहता नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि/भवन पर कोई विलंगम सुजित नहीं करेगा।
- (4) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि/भवन अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे-2018-20-21

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम जौरा प0ह0क0-55 रा0नि0 वृत्-4 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 0.668 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- जौरा प0ह0क0-55 रा0नि0 वृत्-4 तहसील-जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	जौरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.668 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	117	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.097	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा नि0 ग्राम शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
2	118	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.123	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा नि0 ग्राम शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
3	124	भूमिस्वामी	भूखण्ड/पडत	0.065	रोशनलाल रमेशचन्द्र मुन्नालाल कल्याणसिंह पुत्र पतिराम कलावती पुत्री पतिराम स भाग 3375 वर्गफीट जाति रावत, सुनील पुत्र प्रभूदयाल भाग 875 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 ग्राम जैतपुर, मुन्नी पत्नी सुरेश भाग 2075 वर्गफीट जाति रावत सोनू बंसल पुत्र रामप्रकाश बंसल भाग 1600 वर्गफीट जाति

				<p>वैश्य नि० जौरा रामकली पत्नी नवावसिंह भाग 1000 वर्गफीट जाति राठौर नि० जौरा भूमि स्वामी प्रेमवती पत्नी पातिराम भाग 1100 वर्गफीट जाति त्यागी नि० जैतपुर रामो पत्नी बाबूलाल भाग 1200 वर्गफीट नि० सकतपुर लालसिंह विशम्भर पुत्रान प्रभूदयाल स भाग 875 वर्गफीट नि० शेखपुर रामो पत्नी कुअरपाल भाग 875 वर्गफीट नि० चिन्नोनी मंगलिया पत्नी मातादीन भाग 1600 वर्गफीट नि० जैतपुर मीरा पत्नी रामलखन भाग 875 वर्गफीट सभी जाति त्यागी उम्मेदी पत्नी सुरेन्द्र भाग 900 वर्गफीट जाति त्यागी नि० चिन्नोनी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी ब्रजभूशन पुत्र हरिओम भाग 6677 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० बंसल विहार कालोनी ग्वालियर अंगूरी देवी पत्नी सुरेश जोशी भाग 600 वर्गफीट नि० सिंगलपुरा गिरीश शैलन्द्र लक्ष्मीनारायण पुत्रान बाबूलाल स० भाग 4183 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० सकतपुर सुल्तान पुत्र फैलीराम भाग 1120 वर्गफीट जाति जाटव नि थरा आनन्द पुत्र बृजेश भाग 1120 वर्गफीट जाति ब्रा० नि० मुरैना सियावेटी पत्नी श्रीनिवास भाग 1000 वर्गफीट जाति राठौर नि० पता नि० ग्राम सकतपुर भूमि स्वामी सीमा पत्नी उत्तम भाग 1000 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० जौरा जनकश्री पत्नी रामप्रकाश भाग 1200 वर्गफीट जाति त्यागी नि० सकतपुर प्रहलाद पुत्र प्रभूदयाल भाग 1100 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० बदरपुरा नवावसिंह पुत्र सोना भाग 750 वर्गफीट बजाति तेली कमलेश हरीशंकर पुत्रान नवावसिंह स० भाग 1100 वर्गफीट जाति तेली नाहरसिंह पुत्र रामप्रसाद रामदुलारी वेवा रामप्रसाद स० भाग 750 वर्गफीट सोनू बंसल पुत्र रामप्रकाश बंसल भाग 750 वर्गफीट जाति वैश्य पता नि० जौरा भूमि स्वामी रेखा पत्नी वनवारीलाल भाग 750 वर्गफीट जाति ब्राम्हण ममता पत्नी बदनसिंह भाग 750 वर्गफीट जाति रावत पता नि० ग्राम सिकरौदा भूमि स्वामी विक्रमसिंह पुत्र रोशनलाल भाग 750 वर्गफीट जाति रावत नि० जौरा करनसिंह पुत्र भगवानसिंह भाग 800 वर्गफीट जाति त्यागी नि० सकतपुर भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.80</p>	
4	129	भूमिस्वामी	कृषिभूमि / पडत	0.094	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पजा निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

5	130	भूमिस्वामी	भूखण्ड/ पडत	0.023	ओमप्रकाश पुत्र बदनसिंह भाग 6900 वर्गफीट जाति रावत वीरवल दीनदयाल पुत्रान रामसिंह स0 भाग 1000 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 निमांस गुडडी पत्नी राजेन्द्र राठौर भाग 1000 वर्गफीट नि0 डोंगरपुर लोकेन्द्र पुत्र नेतराम भाग 1200 वर्गफीट द्रवेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप भाग 1250 वर्गफीट नि0 विजौली मुन्नी पत्नी रामविलास भाग 3400 वर्गफीट जाति शाक्य नि0 डोंगरपुर प्रदीप, जगदीश पुत्रान दुर्गाप्रसाद स0 भाग 1000 वर्गफीट जाति त्यागी पता नि0 ग्राम निमांस भूमिस्वामी।
6	465/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि /पडत	0.014	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल पत्नी बाबूलाल जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
7	465/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि /पडत	0.014	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल पत्नी बाबूलाल जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
8	466/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि /पडत	0.079	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
9	469	भूमिस्वामी	कृषिभूमि /पडत	0.052	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
10	470	भूमिस्वामी	भूखण्ड/ पडत	0.003	रामश्री पुत्री सुन्दर भाग 7039 वर्गफीट जाति रावत शारदा पत्नी मुकेशकुमार भाग 2414 वर्गफीट प्रमोदकुमार पुत्र राजाराम मनीशा पत्नी राकेशकुमार भाग 990 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 चिन्नोनी दिनेशकुमार सुनील कुमार पुत्रान महेश स0 भाग 675 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 दीपेश कैलाशी पत्नी गणेशराम कुशवाह भाग 604 सही 1/2 वर्गफीट राजाबेटी पत्नी रामसनेही कुशवाह भाग 505 सही 1/2 वर्गफीट शारदा पत्नी मुकेश त्यागी भाग 980 वर्गफीट मातादीन ज्वालाप्रसाद पुत्रान काशीराम स0 भाग 1250 वर्गफीट गिराज पुत्र द्वारिकाप्रसाद नावा0 सर0 रामकली मां खुद भाग 750 वर्गफीट राजकुमारी पत्नी सतीशकुमार भाग 940 वर्गफीट अंगुरीदेवी पत्नी बैजनाथ त्यागी भाग 650 वर्गफीट जसमन्त पुत्र पूरनचन्द्र भाग 750 वर्गफीट महावीर प्रसाद, गिराज, राकेश पुत्रान मातादीन स0 भाग 840 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 वघेल अंगद पुत्र हरीप्रसाद भाग

					<p>682 वर्गफीट जाति काछी नि0 ग्राम तालपुरा सुरेश पुत्र रामसिंह भाग 776 वर्गफीट राकेश पुत्र जण्डेल सिंह भाग 1000 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 जौरा सुमन पत्नी भरतकुमार त्यागी भाग 750 वर्गफीट नि0 चिन्नोनी, राजवेटी पत्नी रामसनेही, देवसिंह, दिनेशसिंह पुत्रान रामसनहेही स.भाग 1000 वर्गफीट जाति काछी नि0 तालपुरा महेन्द्रप्रसाद पुत्र गिरवरलाल भाग 750 वर्गफीट जाति ब्राम्हण प्रेमवती पत्नी चन्दनलाल भाग 1/2 रामवती पत्नी पुरुषोत्तम भाग 1/2 दरभाग 9/19 धर्मन्द्र सुरेश नावां0 पुत्रान देवीराम सर0 पिता खुद स0 भाग 7/19 मनोजकुमार योगेन्द्रकुमार पुत्रान रामभजन नावां0 सर0 पिता खुद स0 भाग 3/19 दर भाग 4750 वर्गफीट रामेश्वर दयाल नारायणलाल पुरुषोत्तम पूरनलाल पुत्रान रघूनाथप्रसाद स0 भाग 1800 वर्गफीट जयप्रकाश उमेश प्रमोद पुत्रान सुरेश फूलवती बेवा सुरेश रामलता निर्मला पुत्रियान सुरेश स0 भाग 450 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 खेरिया रामदीन वनवारी वा श्रीराम नावां पुत्रान राजाराम नावां0 सर0 मां बैजन्ती खुद स0 भाग 1/2 दर भाग 1125 वर्गफीट प्रभूदयाल मुरारीलाल राधेश्याम गौरीशंकर अनिलकुमार पुत्रान राजाराम स0 भाग 2304 वर्गफीट जाति बैश्य रामदीन वालिग श्रीराम राकेश नावां0 पुत्रान राजाराम सर0 मां बैजन्ती स0 भाग 450 वर्गफीट नि0 चिन्नोनी श्रीनिवास पुत्र उदयसिंह भाग 1650 वर्गफीट जाति त्यागी रामजीलाल पुत्र रूपचन्द भाग 421 वर्गफीट दिलीप प्रदीप पुत्रान बाबूलाल मधू बेवा बाबूलाल स भाग 1250 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 बदरपुरा वासुदेव कृपाल पुत्रान रूपचन्द स भाग 148 वर्गफीट छत्रपालसिंह भोगीराम पुत्रान भगवानलाल स भाग 1131 वर्गफीट विनोद पुत्र भगवानलाल 9 वर्गफीट अंगुरी पत्नी बैजनाथ भाग 750 वर्गफीट जाति त्यागी नि वघेल प्रकुल कपिलदेव नावा पुत्रान धर्मन्द्रकुमार पुत्रान भगवानसिंह नावां0 सर0 धर्मन्द्रसिंह पुत्रान भगवानसिंह स भाग 2180 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 जौरा, हेमराज पुत्र कुंअरपाल जाति त्यागी ब्रा. निवासी स्यारू भाग 1012 वर्गफीट भूमिस्वामी।</p>
11	481	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.056	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेंट

					शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।	
12	482	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.035	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।	
13	483	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.013	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।	
कुल कित्ता व कुल अर्जित रकवा				13	0.668	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटायें या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र. 07-अ-82-2020-21-भू-अर्जन-उ.म.रे-अलापुर

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम अलापुर प0ह0क0- 62 रा0नि0 वृत्त-04 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 2.830 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- अलापुर प0ह0क0-62 रा0नि0 वृत्त-04 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	अलापुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.830 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	424	भूमिस्वामी	पडत	0.124	ईदगाह।
2	425	भूमिस्वामी	पडत	0.061	हरगोविन्द नरोत्तम नवल किशोर कोशल किशोर पुत्रान तेजसिंह समान भाग 4/10 मनोरमा बेवा महेश भक्त वत्सल पुत्र महेश समान भाग 1/10 राधा मीरा रजनी नीलम रीता पुत्रियां तेजसिंह सभाग 1/2 दर भाग 3317 व0फू0 जाति शिवहरे कलावती बेवा कुदरी निर्मला पुत्री कुदरी समान भाग 3318 व0फू0 जाति महाजन राजेश कुमार पुत्र रामकृष्ण भाग 2365 व0फू0 जाति स्वर्णकार पता निवासी जौरा भूमि स्वामी ।
3	590/2	भूमिस्वामी	पडत	0.036	चम्बल कालौनी, आबादी
4	591	भूमिस्वामी	पडत	0.119	चम्बल कालौनी, आबादी
5	592	भूमिस्वामी	पडत	0.063	औकाफ डिपार्टमेन्ट अन्नी 1.31 प्रबन्धक

					कलेक्टर मुरैना ।
6	594	भूमिस्वामी	पडत	0.091	चम्बल कालौनी, आबादी
7	595	भूमिस्वामी	पडत	0.031	चम्बल कालौनी, आबादी
8	596	भूमिस्वामी	पडत	0.052	चम्बल कालौनी, आबादी
9	597	भूमिस्वामी	पडत	0.077	चम्बल कालौनी, आबादी
10	598	भूमिस्वामी	पडत	0.108	चम्बल कालौनी, आबादी
11	599	भूमिस्वामी	पडत	0.106	चम्बल कालौनी, आबादी
12	1032	भूमिस्वामी	पडत	0.010	औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना
13	1033	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.139	मो० असगरखां, मो० एहसानखां पुत्रान रामजानखां 1/3 समान, सूलतान अहम्मद पुत्र दायमखां 1/3 खेरून पुत्री बुन्दू खां 1/3 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।
14	1034	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.069	औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना
15	1035	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.066	ग्यासीराम दर्शनलाल पुत्रान रमले जाति कोरी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.90 ।
16	1036/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.054	अहमद हुसैन खां पुत्र वावूखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी -
17	1037/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.068	राजकुमार जगदीश पुत्रगण बेदरिया उर्फ वेदराम स भाग जाति किरार नि ग्राम भूमिस्वामी ।
18	1212	भूमिस्वामी	पडत/ कृषिभूमि	0.133	आशाराम पुत्र मुल्ला भाग 7568 वर्गफीट जाति नाई नि० जौरा विनीता सिंघल पत्नी दिलीप भाग 10500 वर्गफीट जाति वैश्य नि० जौरा पुष्पा यादव पत्नी सिकन्दर भाग 3025 वर्गफीट जाति किरार नि० जौरा लक्ष्मीकान्त संतकुमार अरविन्द कुमार पुत्रगण लालजीत समान भाग 11250 वर्गफीट जाति ब्रा० नि० मुदावली मुकेश वशिष्ट पुत्र द्वारिकाप्रसाद भाग 6750 वर्गफीट जाति ब्रा० पता नि० ग्राम मुदावली भूमिस्वामी ।
19	1214/1 1214/2	भूमिस्वामी	पडत/ कृषिभूमि	0.004	रामदयाल पुत्र नन्दराम भाग 1/2 सुनीता बेवा राजेश चाहत नाबा पुत्री राजेश आयुष नाबा पुत्र राजेश सर मा खुद समान भाग 1/6 भीकम पुत्र रामदयाल भाग 1/6 जाति किरार नि गिरजा पत्नी दिनेश शर्मा जाति ब्राम्हण हि० 1/6 निवासी मुंदावली भूमिस्वामी ।
20	1215/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.088	सुल्तानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि० ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमि स्वामी नबाब सिंह पुत्र बालकिशान भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नावा० पुत्रान फरीद खां सर० भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि०

					ग्राम स0 भाग 1/2 भूमि स्वामी।
21	1219/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.060	सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि0 ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमि स्वामी नबाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नाबा0 पुत्रान फरीद खां सर0 भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम स0 भाग 1/2 भाग भूमि स्वामी
22	1220	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.092	सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि0 ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमि स्वामी नबाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3, रहमान खां नबाब खां अरमान खां नाबा0 पुत्रान फरीद खां सर0 भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम स0 भाग 1/2 भाग भूमि स्वामी
23	1222/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.051	सूबेदारसिंह सरदारसिंह जगदीशसिंह मुन्नासिंह महेन्द्रसिंह पिस0 बावूसिंह अनीता पुत्री बावूसिंह स0 भाग 5/8 लक्ष्मी पत्नी रामजीलाल भाग 1/8 प्रीतम पिस0 हरमोहन समान भाग 1/8 जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी नेतराम राजेन्द्र कल्याण सिंह पुत्रान भोगीराम कमला चन्द्रकला उर्मिला पुत्रियां भोगीराम जाति किरार पता नि0 ग्राम समान 1/8 भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.56
24	1223	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.086	रामभरोषी पुत्र वीधाराम जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.81
25	1225	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.102	दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा0 अनीता पुत्री मूरली नावा0 नावा0 सरप मां0 खुद अंगुरी बेवा मूरली स0 भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोनू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31
26	1226	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्दीराम व देवश्री बेवा छिद्दीराम जाति किरार पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.15
27	1227	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.080	अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्दीराम व देवश्री बेवा छिद्दीराम जाति किरार पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.15
28	1228	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.085	मंदिर पुख्ता श्रीपारसनाथ कस्बा जौरा माफी अतीफ सरकार प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना पता नि0 ग्राम औकाफ डिपार्टमेन्ट
29	1229	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.187	मंदिर पुख्ता श्री पारसनाथ कस्बा जौरा माफी अतीफ सरकार प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना।
30	1231	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.106	गुडडी पुत्री चिन्दू जाति घोवी पता नि0 ग्राम

31	1241	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.020	भूमि स्वामी भू-राजस्व 15.94 दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा० अनीता पुत्री मुरली नावा० नावा० सरप मां० खुद अंगुरी बेवा मुरली सा० भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोनू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 10.00
32	1297 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.057	रमेशचन्द्र रामहेत पुत्रगण मंगलिया बसन्ती उर्मिला बाई मित्ता बाई नर्मदा पुत्रियां मंगलिया समान भाग जाति घोवी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी।
33	1297 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.052	बैजनाथ पुत्र कमला जाति घोवी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
34	1298 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.058	रामजीलाल पुत्र हीरालाल जाति किरार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.28
35	1298 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.053	सूबेदार सिंह, सरदार सिंह, जगदीश सिंह, मुन्ना सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्रान बाबू सिंह हिस्सा स.भाग 35/36, अनीता पुत्री बाबू सिंह हिस्सा 1/36 जाति किरार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
36	1306	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.066	नेतराम रामदयाल रामचरन पुत्रगण चौखरिया सा० भाग 3/4 रामनिवास नरेन्द्र संजय अजय पुत्रगण मोतीराम सा० भाग 1/4 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
37	1307	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.040	विनोद पुत्र भगवानलाल भाग 3/4 राजकुमारी पुत्री भगवानलाल भाग 1/4
38	1310	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.126	आशा पत्नी वीरेन्द्र कुमार जाति ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1309/1
योग	कुल किता 38			2.830	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदने उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2022

क्र. एफ 01-44-2018-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग उज्जैन के जिला आगर-मालवा की वर्तमान तहसील सुसनेर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील सोयतकलां का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को पारिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव, लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

क्र.	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाएँ	अभियुक्तियों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	तहसील-सुसनेर मुख्यालय-सुसनेर	वर्तमान तहसील सुसनेर के रा.नि.मं. सोयतकलां के पटवारी हल्का नंबर 1 से 24 तक कुल 24 पटवारी हल्कों के कुल 48 ग्राम अपवर्जित होंगे.	तहसील-सुसनेर मुख्यालय-सुसनेर	वर्तमान तहसील सुसनेर के रा.नि.मं. मंडल श्यामपुर के प.ह.नं. 25 से 35 रा.नि.मं. सुसनेर के प.ह.नं. 36 से 49 तथा रा.नि.मंडल मोडी के प.ह.नं. 50 से 59 इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्कों के कुल 76 ग्राम समाविष्ट होंगे.	पूर्व में:—तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़. पश्चिम में:—राजस्थान राज्य. उत्तर में:—प्रस्तावित नवीन तहसील सोयतकलां. दक्षिण में:—तहसील बड़ौद एवं तहसील नलखेड़ा.	
2	—	—	तहसील-सोयतकलां मुख्यालय सोयतकलां	वर्तमान तहसील सुसनेर के रा.नि.मं. सोयतकलां के प.ह.नं. 1 से 24 तक कुल 24 प. हल्कों के कुल 48 ग्राम समाविष्ट होंगे.	पूर्व में:—तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़. पश्चिम में:—राजस्थान राज्य. उत्तर में:—राजस्थान राज्य. दक्षिण में:—शेष सुसनेर तहसील. दक्षिण में:—शेष सुसनेर तहसील.	

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2022

क्र. एफ 01-10-2020-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला ग्वालियर की वर्तमान तहसील डबरा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील पिछोर का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को पारिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियों या सुझाव, लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

क्र.	विद्यमान संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील की सीमाएँ	अभियुक्तियों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	तहसील-डबरा (मुख्यालय-डबरा)	वर्तमान तहसील डबरा के वीरमढ़ाना धई, अरूँसी, बडेरा बुजुर्ग, सरनागत, भगेह, जंगीपुर, जरगांव, लखनोती, सकतपुरा, जनकपुर, पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा, कैठोदा, सहोना, पुट्टी, गिजौरा, मेहगांव, किरोल, किटोरा, देवगढ़, कुम्हरा, शुक्लहारी, सिसगांव, हथनौरा, कुल 27 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	मुख्यालय-डबरा	वर्तमान तहसील डबरा में 27 प. हल्के अपवर्जित होकर जौरासी, गंगापुर, बिलौआ, चिरपुरा, गढ़ी, धमनिका, इकोना, लदेरा, सूखापठा, कल्याणी, मकोड़ा, चिरूली, पठा पनिहार, अकबई बड़ी, समूदन, टेकनपुर, बोना, बेरू बरगंवा, सुल्तानपुर, इटायल, सिमिरिया, अरूँ, गेडोलकला, डबरा, रामगढ़, बुजुर्ग, कर्रा, चांदपुर, मगरोरा, बरोठा, लोहगढ़, सालबई, मिलधन, सर्वा, धिरोरा, झांडोली, करियावटी, जतरथी, जरावनी, नुन्हारी, विजकपुर, भैसनारी, चौमो, खडबई, बारोल, चितावनी, महाराजपुर, रजियावर, अकबईछोटी, छीमक, सिरसा, खेड़ी, रायमल, गोबरा, देवरा, कौसा कुल 56 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	पूर्व में-पिछोर पश्चिम में-भितरवार उत्तर में-ग्वालियर दक्षिण में-जिला दतिया.	
2.	—	—	तह. पिछोर मुख्यालय-पिछोर	वर्तमान तहसील डबरा के वीरमढ़ाना, धई, अरूँसी, बडेराबुजुर्ग, सरनागत, भगेह, जंगीपुर, जरगांव, लखनोती, सकतपुरा, जनकपुर, पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा, कैठोदा, सहोना, पुट्टी, गिजौरा, मेहगांव, किरोल, किटोरा, देवगढ़, कुम्हरा, शुक्लहारी, सिसगांव, हथनौरा कुल 27 पटवारी हल्के नवीन तहसील पिछोर में समाविष्ट होंगे.	पूर्व में-सेवड़ा पश्चिम में-डबरा उत्तर में-ग्वालियर दक्षिण में-जिला दतिया.	

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मैट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2022

क्रमांक 31, मप्रविनिआ, 05/ 01/2022 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 252-मप्रविनिआ-2018 दिनांक 9 फरवरी, 2018 को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है।

- राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में सूचीबद्ध विषयों पर सलाह देना होगा।
- राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श-दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली) विनियम, 2004" एवं समय-समय पर उसमें किये गये संशोधन द्वारा शासित होगी।
- राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।
- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म.प्र. शासन, भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे। राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे-

स क्र.	नाम	पता	वर्ग
1	श्री विवेक अग्रवाल	अध्यक्ष, विध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सर्किट हाउस चौक के पास, गली नंबर 3, राजेन्द्र नगर, सतना (म.प्र.)-485001	वाणिज्य
2	श्री महेन्द्र पी. खंते	उपाध्यक्ष, (ई एण्ड आई), वर्धमान फेब्रिक्स, ग्राम पीलीकरार, तालपुरा, रेहटी रोड, तह. बुदनी, जिला-सीहोर (म.प्र.)-466445	उद्योग
3	श्री प्रहलाद सिंह	ग्राम नोनिया कलां, पोस्ट सिंगोड, तहसील पनागर, जिला जबलपुर (म.प्र.)	कृषि
4	श्री दयाराम पाटीदार	उप सभापति, भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम- बुदियाखेड़ी, पोस्ट - सिधाना, तह. मनावर जिला - धार (म.प्र.)-454446	कृषि
5	श्री के.के. तिवारी	मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, परदेशीपुरा, इन्दौर (म.प्र.)-452011	श्रमिक / मजदूर
6	सुश्री स्मिता सक्सेना	अध्यक्ष, आशा स्मिता फाउण्डेशन, सी-99, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, जिला - भोपाल (म.प्र.)-462023	गैर सरकारी संगठन
7	श्रीमति अर्चना भटनागर	मध्यप्रदेश एसोसिएशन ऑफ वीमेन एण्ड इण्टरप्रेनर, 433/2, नेपियर टाउन, हाउबाग रेलवे स्टेशन रोड, नियर मंगनी हॉस्पिटल के समीप, जबलपुर (म. प्र.)-462008	गैर सरकारी संगठन

8	श्री बी.ए. सावले	निदेशक, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)-462023	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
9	श्री विपिन कुमार जैन	मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई-2/30, अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल (म.प्र.)- 462016	उद्योग
10	श्री सी.बी. मालपानी	सचिव, एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज, मण्डीदीप, जिला-रायसेन-462046	उद्योग
11	श्री डी.एल. मीना	मुख्य विद्युत अभियन्ता/ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर-482001	ट्रांसपोर्ट
12	श्री राकेश कुमार गौर	ग्राम कुलहाडा (डोलरिया), जिला होशांगाबाद-461116	कृषि
13	श्री रवि गुप्ता	445, कोतवाली मिलोनीगंज, जबलपुर-482002	वाणिज्य
14	श्री एस.एन. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आई.ई.एक्स.) कॉरपोरेट ऑफिस, प्लॉट न. सी-001/ए/1, 9 वी मंजिल, मैक्स टॉवर, सेक्टर 16 बी, नोएडा (उ.प्र.)-201301	वाणिज्य
15	डॉ. प्रवीण कुमार पानिग्रही	प्राध्यापक, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स एरिया, भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.), प्रबंध शिखर, राऊ-पीथमपुर रोड, इन्दौर (म. प्र.)-453556	शैक्षणिक
16	श्री राहुल चौधरी	मुख्य सलाहकर, (सेन्टर फॉर इकोनोमिक सेक्टर), अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी. नगर, भोपाल-462003	शैक्षणिक
17	प्रोफेसर (डॉ.) गयूर आलम	वरिष्ठ प्राध्यापक, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, केरवा डैम रोड, भोपाल-462044	शैक्षणिक

6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे।

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

Bhopal the 5th January 2022

No.31 -MPERC- 05 /01/2022- In exercise of powers under Section 87(1) of the Electricity Act, 2003 and in supersession of earlier notification No. 252/MPERC/2018 dated 9th February, 2018, the Commission hereby re-constitutes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M.P. Official Gazette.

2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters mentioned under Section 88 of the Electricity Act, 2003.
3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC (Constitution of State Advisory Committee and its functioning) Regulations, 2004 and its amendments.
4. The term of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette.
5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex-officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively. Principal Secretary Food, Civil Supplies and Consumers Protection, Govt. of M.P. shall also be the ex-officio member of the Committee. The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows:

S.No.	Name	Address	Category
1	Shri Vivek Agrawal	President, Vindhya Chamber of Commerce & Industries, Near Circuit House Chowk, Gali No. 3, Rajendra Nagar Satna(M.P.) – 485001	Commerce
2	Shri Mahendra P. Khante	Vice President (E&I), Vardhman Fabrics, Vill. Pillikarar, Talpura, Rehti Road, Teh. Budhni, District-Sehore (M.P.) – 466445	Industry
3	Shri Prahlad Singh	Village Nonia Kalan, Post Singod, Tahsil Panagar, Distt. Jabalpur (M.P)	Agriculture
4	Shri Dayaram Patidar	Deputy Chairman, Bharatiya Kisan Sangh, Malwa Region, Gram- Budiyakhedi, Post- Sidhana, Tehsil Manawar, Distt. Dhar (M.P.) – 454446	Agriculture
5	Shri K.K. Tiwari	Madhya Pradesh Bijli Karmchari Mahasangh, Pardeshipura, Indore (M.P.) – 452011	Labour
6	Ms. Smita Saxena	Chairperson, Asha Smita Foundation, C-99, New Minal Residency, District Bhopal (M.P.) – 462023	NGO
7	Smt. Archana Bhatnagar	Madhya Pradesh Association of Women & Entrepreneur, 433/2, Napier Town, Howbag Railway Station Road, Near Mangni Hospital, Jabalpur (M.P.)- 462008	NGO
8	Shri B.A. Sawale	Director, Central Power Research Institute, Govindpura, Bhopal (M.P.) – 462023	Academic and Research bodies

S.No.	Name	Address	Category
9	Shri Vipin Kumar Jain	M.P. Laghu Udyog Sangh, E-2/30, Arera Colony, Mahavir Nagar, Bhopal (M.P.) – 462016	Industry
10	Shri C.B. Malpani	Secretary, Association of all industries, Mandi deep, Raisen – 462046	Industry
11	Shri D.L. Meena	Chief Electrical Engineer/Electrical Energy Management, West Central Railway, Jabalpur – 482001	Transport
12	Shri Rakesh Kumar Gaur	Gram Kulhada (Dolriya), District – Hoshangabad – 461116	Agriculture
13	Shri Ravi Gupta	445, Kothwali Miloniganj Jabalpur- 482002	Commerce
14	Shri S.N. Goyal,	Chairman & MD, Indian Energy Exchange (IEX) , Corporate office: Plot no. – C-001/A/1, 9 th floor, Max Towers, Sector 16B, Noida, (UP)–201301	Commerce
15	Dr. Prabin Kumar Panigrahi	Professor, Information Systems Area, Indian Institute of Management (IIM), Prabandh Shikhar, Rau-Pithampur Road, Indore (M.P.) – 453556	Academic
16	Shri Rahul Choudhari	Principal Advisor, (Center for Economic Sector), Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, Sushasan Bhawan, Bhadbhada Chouraha, T.T. nagar, Bhopal- 462003	Academic
17	Prof. (Dr.) Ghayur Alam	Senior Professor, National Law Institute University, Kerwa Dam Road, Bhopal – 462044	Academic

6. Secretary to the Commission shall be the ex-officio Secretary to the State Advisory Committee.

By order of the Commission,
GAJENDRA TIWARI, Secy.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर, नरसिंहपुर

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2022

प्रारूप-पांच

(नियम-11 देखिए)

वर्तमान भूमि परियोजना नक्शे के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप

क्रं. 07.../नगानि/डी.पी.आर-455/2021-जबलपुर, निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति एवं सुझाव उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अतः एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15(3) के अधीन जबलपुर निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र का तदानुसार सम्यक् रूप से दिनांक 07 जनवरी 2022 को अंगीकृत किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में इस सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि, उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार कर लिया गया है.

अब उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन एतद् द्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 07 जनवरी, 2022 से 14 जनवरी, 2022 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालय में उपलब्ध रहेगी :-

- (1) संभागीय आयुक्त, जबलपुर मध्यप्रदेश,
- (2) कलेक्टर, जिला जबलपुर,
- (3) आयुक्त, नगर पालिक निगम जबलपुर,
- (4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पनागर, जिला जबलपुर,
- (5) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर,

आर. के. सिंह, संयुक्त संचालक.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 7 अप्रैल 2021

प्र. क्र. 8-अ-82-19-20-हरदू-4313.—चौकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नमबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	शाहपुर	हरदू	13.095	मोखा लघु जलाशय

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	छोटेलाल, रामदीन, लखनलाल व. जगना जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	44	0.688	0.130
		92/2	0.503	0.503
		51	1.255	0.075
योग			2.446	0.708
2	मुनिया पिता पन्ना जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी	45/2	0.446	0.325
		74/2	1.198	1.198
योग			1.644	1.523

3	बाबूलाल, बनवारी वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	67	0.214	0.150
4	लक्ष्मण, मनोहर वल्द टन्दू केरा, संतरा, सुनिता पिता टन्दू जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी	72/1	0.364	0.320
		73/1	0.364	0.334
योग			0.728	0.654
5	भग्गो बेवा गोपाल, बाबूलाल, बनवारी, अनार, संतोष वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	72/2	0.365	0.250
		73/2	0.334	0.334
योग			0.699	0.584
6	मंगता वल्द गिरधारी जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	74/1	1.178	1.178
7	बीरबल व. जोहरीलाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	75/1	0.440	0.440
8	भग्गी व. जुगलाल, बजेश व. साबूलाल, गुलाबाई सरस्वती पिता साबूलाल, मुकेश, नान्हु व. धीरज जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी	31/1	0.168	0.000
		76/1	0.372	0.372
		102	0.260	0.226
		107	0.267	0.165
		113/1	0.488	0.244
योग			1.555	1.007
9	ब्रजलाल व. मौजी कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी	77/1	0.063	0.063
		105	0.316	0.290
		112/1	0.448	0.118
योग			0.827	0.471
10	भजना ब्रजलाल व. मौजी जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	77/2	0.185	0.185
		33	0.384	0.384
योग			0.569	0.569

11	कलावती जौजे शोभाराम जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	92/1	0.298	0.120
		99/1	0.209	0.209
योग			0.507	0.329
12	जंगलसिंह वल्द बुकलू जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	95/2	0.381	0.381
13	शोभाराम वल्द जियालाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू-स्वामी	98/2	0.755	0.755
		106	0.328	0.328
योग			1.083	1.083
14	लालसिंग व. जियालाल जाति कतिया पता सा.देह भू-स्वामी	98/3	0.152	0.152
		111/2	0.476	0.180
		32/1	0.138	0.138
योग			0.766	0.470
15	नान्ही बे. परसू राधे, सीताराम, धनश्याम व. परसू सुक्कन, बुधराम व. कात्या, कलावती पुत्री परसू चंद्रकला कैलाश आनिक व. सुक्कन लता सुनिता अनिता अंजू पिता सुक्कन जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी	100/1	1.243	0.968
16	महेश व. जोहरीलाल जाति कतिया	101/1	0.301	0.230
17	पिन्डू र्छर्फ दिनेश व. जोहरीलाल जाति कतिया	101/3	0.300	0.300
18	भंगी व. बूकलू भागराम डालूरा रामपाल व. सहजा भागवती रामबाई समोती पिता सहजा जाति कतिया	114	0.057	0.057
19	नन्हा व. जियालाल जाति कतिया	116/1	0.699	0.294
20	जुंगी वल्द बूकलू जाति कतिया	8/2	0.122	0.122
		34/2	0.731	0.731
योग			0.853	0.853
21	प्रहलाद वर्मानंद व. गेंदलाल महेश पिता गेंदलाल राजेश वल्द बलीराम जाति मेहरा	34/3	0.796	0.796
22	रामू वल्द रामदयाल जाति कतिया	46	4.853	0.050
महायोग:-			22.139	13.095

- 2- चूँकि मोखा जलाशय का हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उप धारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
- 3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

जा. क्र.13466-67

राजगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

अनुसूची—1

क्रमांक 01-अ-82-2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2017-18.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के ग्राम मंगतपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित मकानों जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की मकानों की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूँकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा 19(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

कं.	ग्राम का नाम	कुल कृषक	रकबा (वर्ग मी.)
1	मंगतपुर	41	2261.53

—: अनुसूची — 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम मंगतपुर के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला :- राजगढ़

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
1	बाबूलाल पिता रामचरण	52/1/2	4	70.36
2	कालूराम पिता काशीराम	52/1/2	5	30.80
3	आत्माराम पिता कालूराम	52/1/2	6	30.80
4	रामप्रसाद पिता काशीराम	52/1/2	7	46.40
5	देवीसिंह पिता रामप्रसाद	52/1/2	8	12.72
6	मांगीलाल पिता काशीराम	52/1/2	9	15.34
7	बद्रीलाल पिता मांगीलाल	52/1/2	10	57.20
8	सोनू पिता बद्रीलाल	52/1/2	11	7.80
9	हरीप्रसाद पिता रोडजी	52/1/2	12	54.60

10	केलाश पिता नन्नूलाल	52/1/1	15	57.12
11	बबलू पिता नन्नूलाल	9/2	22	28.40
12	गोकुल पिता नन्नूलाल	9/2	23	28.40
13	पर्वतसिंह पिता नारायण	4	25	36.00
14	कमलसिंह पिता रामप्रसाद	4	26	27.00
15	जगदीश पिता रामप्रसाद	4	27	23.85
16	रामनारायण पिता कुंजीलाल	4	28	66.55
17	दिनेश पिता कुंजीलाल	4	29	66.55
18	ललीताबाई पति आत्माराम	4	30	61.48
19	लक्ष्मणसिंह पिता देवीलाल	4	31	43.20
20	संजय पिता रमेश	4	32	64.61
21	मोहनलाल पिता कुंजीलाल	4	33	65.88
22	अरविन्दसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	4	40	35.51
23	रमेश पिता देवीलाल	4	41	36.85
24	शिवनारायणसिंह पिता किशनलाल	4	42	89.82
25	मांगीलाल पिता प्रेमनारायण	4	43	58.10
26	लाडसिंह पिता देवीलाल	4	46	89.21
27	भारतसिंह पिता देवीलाल	4	47	147.15
28	रेखाबाई पति शिवनारायण	4	48	78.12
29	लाखनलाल पिता प्रेमनारायण	4	49	78.12
30	देवकरण पिता किशनलाल	4	50	193.55
31	राधाबाई पति देवकरण	4	51	35.88
32	राजेश पिता धीरप	4	52	134.86
33	विक्रम पिता धीरप	4	53	33.66
34	शान्तीबाई पति मथरालाल	4	54	11.88
35	धीरप पिता दयाराम	4	55	18.00
36	बबलू पिता मथरालाल	4	56	25.08
37	महेश पिता मथरालाल	4	57	25.08
38	सीताराम पिता रामप्रसाद	4	58	91.23
39	दिनेश पिता रामप्रसाद	4	59	91.23
40	भागमल पिता रामप्रसाद	4	60	57.72
41	धर्मन्द्र पिता भागमल	4	61	35.42
				2261.53

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2021

क्र. D-6054-दो-2-12-2017.—श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (I. L. R. & Exam), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2021

क्र. D-6013-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 25 से 26 अक्टूबर 2021 तक दो दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5595-दो-2-36-2021.—श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 06 अक्टूबर 2019 से दिनांक 05 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-5597-दो-2-56-2021.—श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 23 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2021 तक चौदह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave), स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 01 से 06 दिसम्बर 2021 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave), काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-5599-दो-2-9-2012.—श्री नवीन कुमार सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6001-दो-2-56-2016.—श्री प्रेमनारायण सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6015-दो-2-55-2021.—श्री शिवकांत पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6003-दो-2-4-2021.—श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6005-दो-2-35-2020.—श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2021 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6007-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 20 से 29 अक्टूबर 2021 तक दस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 19 अक्टूबर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6009-दो-2-52-2021.—श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 24 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2021 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6011-दो-2-75-2018.—श्री बी. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1)

के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1017-दो-2-57-2015.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2021

क्र. B-7352-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2021 तक तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अक्टूबर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-7354-दो-2-35-2020.—श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2021 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 31 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2021 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-7349-दो-2-28-2018.—श्री आर. सी. वार्णोय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1)

के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2021

क्र. A-4412-दो-2-70-2021.—श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 नवम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4414-दो-2-4-2019.—श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है..

क्र. A-4416-दो-2-72-2018.—श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6030-दो-2-37-2020.—श्री व्ही. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 13 से 17 दिसम्बर 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6032-दो-2-64-2014.—श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6034-दो-2-139-2006.—श्री एच. एस. यादव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6036-दो-2-16-2020.—श्री विनोद कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6038-दो-2-39-2021.—श्री आर. एस. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6040-दो-2-41-2017.—श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1)

के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6042-दो-2-41-2017.—श्री देव नारायण मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2021

क्र. D-6044-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री राजेश कुमार कोष्टा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक पत्र क्रमांक-4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री कोष्टा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	. . . 226
अर्द्धवेतन अवकाश	. . . 74

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 226 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = $\frac{\text{अर्जित अवकाश}}{2} \times 74$
 के एवज में नगद 30 भुगतान.

क्र. D-6046-दो-2-19-2020.—श्री सुरेश कुमार चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6048-दो-2-37-2020.—श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6050-दो-2-75-2017.—श्री रलेशचन्द्र सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6052-दो-2-5-18.—श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6056-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 08 से 17 दिसम्बर 2021 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6058-दो-2-15-2020.—श्री विजय कुमार पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित

अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6060-दो-2-29-2020.—श्री व्ही. पी. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6062-दो-2-23-2018.—श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय नरसिंहपुर को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 21 नवम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6064-दो-2-16-2019.—श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिस के अर्जित अवकाश

को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6066-दो-2-31-2021.—श्री पी. एल. दिनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 06 से 17 दिसम्बर 2021 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एल. दिनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एल. दिनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6068-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2021 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र- भू-अर्जन-04 (अ-82) 2020-21-67

मण्डला, दिनांक 13 अक्टूबर 2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला - मण्डला

(ख) तहसील - नारायणगंज

(ग) ग्राम-

क्र.	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का क्षेत्रफल हे. में
1	देहरा प.ह.नं-23/24	4.14
2	सिंगौधा प.ह.नं-34	0.81
3	देवगांव रै. प.ह.नं-40	0.50
4	बोरिया प.ह.नं-41	3.97
5	टिकरिया प.ह.नं-27/42	0.68
6	देवगांव माल प.ह.नं-40	0.84
7	देवहार प.ह.नं-40	3.21
8	मानेगांव प.ह.नं-24/36	1.87
9	बीजेगांव प.ह.नं-24/36	3.27
	कुल योग	19.29

1. ग्राम-देहरा प.ह.नं-23/24

खसरा नंबर	रकबा
149/1	0.05
150,152,494	0.21
151	0.09
154/3	0.09
155/1,109	0.16
144/3	0.02
144/2	0.04
144/1	0.05
203/1	0.09
202	0.07
203/5,203/2,205/7,205/2	0.12
205/9,205/3,122/3	0.08
205/5,205/1	0.07
124/1	0.02
210/1	0.04
122/2	0.02
121/1,120/1	0.09
117/1	0.04
114/1	0.03

खसरा नंबर	रकबा
115/3,115/1,213	0.11
113	0.04
214	0.04
215	0.02
108	0.07
107/3	0.03
106/1,106/3	0.09
105/1	0.03
103/1,103/3	0.06
76/1,77/2	0.05
77/3	0.04
100/1	0.04
100/2	0.03
264	0.04
267/1	0.03
455/1,455/3,456/3,456/1	0.12
450,452	0.08
453/3,453/1	0.13
448/1,496	0.05

खसरा नंबर	रकबा
487/2,487/4	0.14
488/1	0.08
493/1	0.06
495	0.04
496	0.02
498/3,498/1	0.31
497/3	0.06
489/1,454/1	0.22
449/1,497/1	0.15
487/1	0.02
484/1	0.09
486/1	0.09
491	0.05
492/2	0.04
492/1	0.10
501	0.03
498/1	0.16
योग	4.14

2. ग्राम-सिंगौघा प.ह.नं.-34

खसरा नंबर	रकवा
10/1,61	0.16
64,11	0.14
62	0.16
12/1	0.04
12/3	0.03
12/5	0.03

खसरा नंबर	रकवा
67	0.13
20	0.07
21	0.05
योग	0.81

3. ग्राम-देवगांव रैयत प.ह.नं.-40

खसरा नंबर	रकवा
146,148	0.34
53	0.03
122	0.04
124/1	0.05
147	0.04
योग	0.50

4. ग्राम-बोरिया प.ह.नं.-41

खसरा नंबर	रकवा
139/1	0.09
139/2	0.19
142	0.47
138/1	0.01
144/1	0.22
144/2	0.07
144/3	0.07
136/3	0.19
114	0.18
6/1,113/1	0.14
6/7,113/3	0.17
115	0.24

खसरा नंबर	रकवा
16	0.28
7/1	0.09
6/6	0.02
5/1	0.50
5/3	0.02
140/2	0.19
118/1	0.05
118/2	0.05
118/4	0.05
3/1	0.41
4	0.27
योग	3.97

5. ग्राम-टिकरिया प.ह.नं.-27/42

खसरा नंबर	रकवा
10/4	0.04
11/1	0.11
11/2	0.11
14	0.12
15	0.07
66/1	0.02

खसरा नंबर	रकवा
66/2	0.05
69	0.06
80/2	0.05
80/4	0.01
59	0.04
योग	0.68

6. ग्राम-देवगांव माल प.ह.नं.-40

खसरा नंबर	रकवा
25	0.13
145	0.09
127	0.05
30	0.03
29/2	0.02
44	0.06
112	0.03
45	0.02
46	0.02

खसरा नंबर	रकवा
47	0.01
111	0.07
51	0.01
52	0.09
60	0.07
61	0.01
58	0.13
योग	0.84

7. ग्राम-देवहार प.ह.नं.-40

खसरा नंबर	रकवा	खसरा नंबर	रकवा	खसरा नंबर	रकवा
29/1	0.16	14/2	0.04	123	0.02
30/1	0.04	14/1	0.03	119/1	0.04
30/2	0.06	17/3,17/1	0.10	120	0.12
26	0.15	18/1,18/3	0.10	121,201	0.38
21/3	0.01	19/1	0.05	135	0.07
21/2	0.02	19/3	0.07	134	0.19
21/1	0.06	58	0.11	126	0.07
21/4	0.03	74	0.28	204/1	0.43
22,59/1,122	0.13	62/1	0.02	106/1	0.10
14/4	0.08	63/1	0.06	206/1	0.01
14/3	0.05	67	0.13	योग	3.21

8. ग्राम-मानेगांव प.ह.नं.-27 / 36

खसरा नंबर	रकवा	खसरा नंबर	रकवा	खसरा नंबर	रकवा
123	0.04	340	0.01	376	0.09
389	0.01	339	0.01	375	0.09
124	0.07	338/1	0.02	447/2	0.01
128	0.16	338/2	0.02	444	0.01
134	0.10	338/3	0.01	445	0.01
130	0.08	337	0.03	446	0.02
131	0.03	336	0.02	447/1	0.01
132	0.04	311	0.04	448	0.01
207	0.07	305	0.01	449	0.01
374	0.13	304	0.03	451	0.01
351	0.01	307	0.01	452	0.01
350	0.08	385/2	0.08	453	0.01
348	0.01	385/1	0.06	454	0.01
347	0.01	384	0.07	456	0.01
345	0.01	383	0.06	466/2	0.03
344	0.01	379	0.03	466/1	0.03
343	0.01	378	0.05	467	0.03
342	0.01	377	0.03	योग	1.87

9. ग्राम-बीजेगांव प.ह.नं.-24 / 36

खसरा नंबर	रकवा	खसरा नंबर	रकवा	खसरा नंबर	रकवा
204	0.05	299	0.02	399/4	0.17
205	0.05	252	0.08	399/3	0.15
206	0.06	303	0.07	399/2	0.23
207	0.05	304	0.03	399/1	0.62
212	0.07	360/1	0.06	520	0.02
213	0.07	360/2	0.03	519	0.01
269	0.02	363	0.01	523	0.11
267	0.03	366	0.08	530	0.04
266	0.10	367	0.06	531	0.02
278/1	0.09	368	0.02	532	0.03
278/2	0.10	369	0.03	302/1	0.01
277/2	0.06	391	0.03	302/2	0.01
277/1	0.02	392	0.03	301	0.02
275/2	0.04	396	0.01	379	0.04
295	0.07	397	0.04	योग	3.27
296	0.09	398	0.04		
298	0.02	399/5	0.16		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टिकरिया, सिंगौधा, पाठा-चुटका मार्ग के चौड़ीकरण हेतु
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) निवास या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.